

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावरण भवन, सेक्टर-18, नया रायपुर जटल नगर, जिला-रायपुर (छ.प्र.)

E-मेल : 88800928@gmail.com

विषय:- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एच.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 27/08/2023 को संयुक्त 489वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एच.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 489वीं बैठक दिनांक 27/08/2023 को श्री. वी.पी. गौहारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संयुक्त हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. डॉ. रीतेश कुमार जलवा, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 2. श्री एच.जे. चण्डाकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 3. श्री किरान सिंह घुस, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 4. डॉ. मनोज कुमार घोषकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 5. श्री जी. तट्टल वैकट, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
- समिति द्वारा एजेन्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

एजेन्डा आइटम क्रमांक-1: 489वीं बैठक दिनांक 28/08/2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एच.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 489वीं बैठक दिनांक 28/08/2023 को संयुक्त हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष सीधे प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-2: वीन/मुख्य खनिजी संश्लेषण प्रकल्पों के प्रस्तुतीकरण उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. वेसर्स दाना(ख) लैण्ड हाईन (जे.- श्री चण्डनाथ बरगारह, घाम-दाना(ख), टाडगील-घलरी, जिला-बलौदाभाजार-बादाघाट (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 28005) ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नाम - एच.ई.ए.सी./ वीजी/ एच.ई.ए.सी./ 488008/2023, दिनांक 28/07/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (वीन खनिज) है। खदान घाम-दाना(ख), टाडगील-घलरी, जिला-बलौदाभाजार-बादाघाट स्थित पार्ट ऑफ खदान क्रमांक 1829, कुल क्षेत्रफल-4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। राजनमन महानदी से



विना नाम प्रस्तावित है। खदान की आवेदित अखण्डन क्रमांक-88,200 घोषित
प्रमाण है।

सदामुख्य परिचयना प्रस्तावक को एल.ओ.आई. अतीतनाम के द्वारा दिनांक
21/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति को 48वीं बैठक दिनांक 27/08/2023-

प्रस्तुतीकरण हेतु की अन्तर्गत लिख बरगार, प्रोपर्टाईटर अनिच्छित हुए। समिति द्वारा
नसी, प्रस्तुत खानकारी का अन्वयन एवं सीकरण करने पर किम समिति गई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय शीकृति संबंधी विवरण- इस खदान की पूर्व में
पर्यावरणीय शीकृति जारी नहीं की गई है।
2. काम पंचायत का अन्वयित प्रमाण पत्र - अखण्डन के संबंध में काम पंचायत
खदान(अ) का दिनांक 21/07/2018 का अन्वयित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया
है, जिसमें आवेदित क्षेत्र का खसरा एवं क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं है। अतः
समिति का मत है कि आवेदित क्षेत्र का खसरा एवं क्षेत्रफल का उल्लेख करवा
हूए काम पंचायत के अन्वयित प्रमाण पत्र (बैठक कार्यवाही विवरण एवं दिनांक
सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. विन्डफिल्ट/सीमफिल्ट - कार्यालय कलेक्टर, खनिज सारवा से प्राप्त प्रमाण पत्र
अनुसार यह खदान विन्डफिल्ट/सीमफिल्ट का घोषित है।
4. पराखण्ड सीमा - माईन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो एच-संख्यांक (खनि
ज सारवा), जिला-बलीदाखान-भाटाघरा के द्वारा क्रमांक 1587/बी 3-7/प.अ.
05/2023 बलीदाखान, दिनांक 25/07/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारवा),
जिला-बलीदाखान-भाटाघरा के द्वारा क्रमांक 1587/बी 3-7/प.अ.
05/2023, दिनांक 25/07/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के
पीछर आवेदित अन्य पत्र खदानों की संख्या निम्न है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर
(खनिज सारवा), जिला-बलीदाखान-भाटाघरा के द्वारा क्रमांक 1587/बी
3-7/प.अ. 05/2023, दिनांक 25/07/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार
इस खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय
राजमार्ग, राज्यमार्ग, पूर बांध, खान, अन्वयित, मंदिर, परिवार, कुख्यात, मकान
एवं पुरीकरण आदि घोषित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. की अन्तर्गत बरगार के नाम पर है, जो
कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारवा), जिला-बलीदाखान-भाटाघरा के द्वारा
क्रमांक 1100/बी 3-7/प.अ. 02/2023 बलीदाखान, दिनांक 26/08/2023
द्वारा जारी की गई, जिसकी फेला जारी दिनांक से 6 मही की अवधि तक है।
संप्रदायत कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारवा), जिला-बलीदाखान-भाटाघरा के
द्वारा क्रमांक 1587/बी 3-7/प.अ. 02/2023 बलीदाखान, दिनांक
09/08/2023 द्वारा एल.ओ.आई. में संशोधन जारी किया गया है।

अतीतनाम शकन, खनिज सारवा जिला, मंडलाय, महानदी पार, पता
सदामुख्य अटल नगर द्वारा अतीतनाम गौन खनिज सारवाय पत्र (अखण्डन एवं
खानसार) दिनांक 2018 हेतु संशोधन अधिसूचना दिनांक 09/08/2023 की जारी

की गई है। उक्त अधीनस्थान के विषय 4 अनुसार "उत्खनन पट्टे की कार्याधि-संरक्षण वेत की वसूली हेतु उत्खनन पट्टा पांच वर्ष की कार्याधि के लिए प्रदान किया जाएगा। पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर उत्खनन पट्टा वसूली के परीक्षण विभागा से किया जाएगा।" का उल्लेख है।

8. वन विभाग का अमान्यित प्रमाण वन - सीमा सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की कार्याधि दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जहाँ अमान्यित प्रमाण वन की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संदर्भ में स्पष्टीकरण दिया गया कि मुगल इमेज और क्षेत्र की टोपोग्राफी से स्पष्टांकित किया जा सकता है कि अमान्यित भूमि से लगभग 10 कि.मी. की दूरी में कोई राष्ट्रीय उद्यान, जंगल या वन्य जीव अभयारण नहीं है। मुगल में अमान्यित भूमि से वास्तविकतः वन्य जीव अभयारण की आकाशिक दूरी लगभग 15 कि.मी. दर्शाया गया है।
9. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. महावृष्टि संरक्षणार्थी की दूरी - निकटतम आबादी घास-बाग(ख) 1.15 कि.मी., स्कूल घास-बाग(ख) 2.4 कि.मी. एवं अभयारण कसबोत 13.85 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 117 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 132 कि.मी. दूर है। तालाब 1.3 कि.मी., नाला 510 मीटर, एनोबेट 4.1 कि.मी. एवं गहर 1.65 कि.मी. दूर है।
11. खदान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - आरेख अनुसार खदान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 838 मीटर, न्यूनतम 788 मीटर तथा खदान स्थल की लंबाई - अधिकतम 252 मीटर, न्यूनतम 201 मीटर एवं खदान स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 207 मीटर, न्यूनतम 180 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी के तट किनारे से दूरी - अधिकतम 188 मीटर, न्यूनतम 148 मीटर है।
12. खदान स्थल पर वेत की मोटाई - आरेख अनुसार स्थल पर वेत की मोटाई - 5.2 मीटर तथा वेत खदान की प्रस्तावित मोटाई - 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुसंधानित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माइनिंग वेत की मात्रा-88,200 घनमीटर है। वेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध वेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर सबसे कार्याधिक मोटाई का मूल्यांकन, स्थिति विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार वेत की उपलब्ध सीमात मोटाई 5.2 मीटर है। वेत की कार्याधिक मोटाई हेतु पर्याप्त प्रस्तुत किया गया है।
13. खदान क्षेत्र में वेत सतह के लेवलिंग - वेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुंथा 25 मीटर के विड सिन्डुर्डी पर दिनांक 08/08/2023 को वेत सतह के वर्तमान लेवलिंग (Levels) लेकर, सभी स्थिति विभाग से प्रस्तावित प्रस्तावित मोटाई/सतह सहित जानकारी/वस्तु प्रस्तुत किया गया है।
14. कॉर्पोरेट सॉल्यूशन रिपोर्ट (C.S.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ए.ए.ए. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से सभी प्रस्तावित निष्ठागत विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
34.58	2%	0.6916	Following activities at Nearby, Village- DATAN	
			Plantation around Pond & AMC for 5 years	0.75
			Total	0.75

13. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (आम, कटवाल, जमून आदि) पुनरोपवन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 80 नम चौकी का रोपण किया गया है। वर्तमान में एलायंस स्कूल पर 20 नम चौकी है। जिसके अनुसार 40 नम चौकी के लिए प्रति 4,000 रुपये, डीजेल के लिए प्रति 6,000 रुपये, खाद के लिए प्रति 2,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए प्रति 18,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल प्रति 30,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल प्रति 80,000 रुपये हेतु पर्याप्त व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परिशोधन प्रस्तावक द्वारा ग्राम संघपाल दान (श) के अंतर्गत तालाब पर पुनरोपवन (खसरा क्रमांक 587, क्षेत्रफल 1.215 हेक्टर) को संभाल में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

14. पुनरोपवन कार्य - ग्राम संघपाल दान (श) के सहायित उपरोक्त नदी के तट पर सावसीय भूमि (खसरा क्रमांक 1089/1, कुल खसरा 2.5 हेक्टर) में 1,000 नम पुनरोपवन करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है, जो निम्नानुसार है-

विवरण	प्रथम वर्ष (रुपये)	द्वितीय वर्ष (रुपये)	तृतीय वर्ष (रुपये)	चतुर्थ वर्ष (रुपये)	पंचम वर्ष (रुपये)	
प्रस्तुत निबंधन हेतु परिशोधन के दौरान सड़क/चट्टी कार्य में लगाने हुए उपकरणों के निबंधन हेतु खल सिंकाय	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
नदी के तट पर सावसीय भूमि में (1,000 नम) पुनरोपवन हेतु	पुनरोपवन (80 प्रतिशत जीवन दर) हेतु प्रति	1,00,000	—	—	—	—
	डीजेल हेतु प्रति	1,00,000	—	—	—	—
	खाद हेतु प्रति	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	सिंचाई एवं रख-रखाव आदि हेतु प्रति	1,58,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
कुल प्रति =	14,58,000	4,50,000	2,50,000	2,50,000	2,50,000	

17. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा बीईआर के तहत प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण बन जाने के उपरान्त संबंधित काम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, डिप्युटी कोर्टघाट सहित जामखोटी पर्यवेक्षण स्वीकृति हेतु जमा किये जाने वाले आवेदनिका रिपोर्ट में संशोधित कर प्रस्तुत किये जाने संबंध सम्म पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. परिशोधना से दिन-दिन स्थलों के न्युजिस्टिड अउट प्रारंभ होगा, इन स्थलों पर नियमित जल डिप्लोम की व्यवस्था किये जाने संबंध सम्म पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. खदान क्षेत्र के अन्न-वास नदी तट एवं पट्टीय मार्ग में खान खुदाईयन किये जाने एवं संघित सौधी का नगराईयन पट (Surveival map) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने संबंध सम्म पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. जलसंधारण आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को संलग्न किये जाने हेतु सम्म पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, खानार, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने संबंध सम्म पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा इस खदान का सम्म पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ललित नहीं है।
23. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा इस खदान का सम्म पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यवेक्षण, इन और जलसंधारण परिशोधन संरक्षण की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रारंभ का प्रकरण ललित नहीं है।
24. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा सम्म पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि नाननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India With Petition (C) 114 of 2014 में दिष्ट नष्ट रिक्त निर्देश का भी द्वारा पालन किया जाएगा।
25. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा सम्म पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि नाननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को With Petition (a) Civil No. 114/2014 Cause vs. Union of India & Ors. में दिष्ट नष्ट रिक्त निर्देश का भी द्वारा पालन किया जाएगा।
26. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा सम्म पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेबल सोड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2018 एवं इन्फोर्मेटिव एवं मीनिटिव गाइडलाईन और सोड माइनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
27. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा सम्म पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि अनुसंधित उत्खनन क्षेत्र में दिष्ट नष्ट माइनिंग रिजर्व का 80 प्रतिशत निजरी ही उत्खनन किया जाएगा।
28. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा सम्म पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि पर्यवेक्षण स्वीकृति में दिष्ट नष्ट सली का पालन किया जाएगा एवं सम्पत्ती पालन प्रतिवेदन पर्यवेक्षण कार्यालय में जमा कराया जाएगा।



0

29. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा सत्यापन एवं (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि वर्षा ऋतु के दौरान रेत उत्खनन नहीं किया जाएगा।
30. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा सत्यापन एवं (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि अपेक्षित स्थल से स्कूल 2.4 कि.मी., अस्पताल 13.85 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 1.15 कि.मी. की दूरी पर है जो कि उत्तीरगढ़ सीमा क्षणिक अधिनियम, 2015 में निर्धारित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाले जल उत्खननों के निराकरण हेतु निम्न प्रयास किये जाएंगे—
1. खदान क्षेत्र के आस-पास नदी तट एवं नदी किनारे में बाड़ी जल संचयन कुआरों का निर्माण किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में जल संचयन होगा।
 2. धूल (बस्ट) के निराकरण के लिए टीकर के द्वारा पानी का सिंचन किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में जल संचयन होगा।
 3. हमारे द्वारा क्षणिक का परिष्करण उपलब्धित से कीकृत किया जाएगा, जिससे धातु में जल से क्षणिक ना गिरे।
 4. हमारे द्वारा खानों का परिष्करण स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिष्करण का जल संचयन होगा।
 5. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में जल संचयन उपकरण स्थापित कराया जाएगा।
 6. हमारे द्वारा 2 प्रतिशत सी.ई.आर. के तहत कार्य किया जाएगा।
 7. मछली का पचित संचयन एवं धूल आदि के मुक्त हेतु निर्धारित जल सिंचन किया जाएगा, जिससे रेत, आबादी, स्कूल आदि का धूल का प्रभाव नगण्य होगा।
31. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में कुआरों का कार्य के नॉन्डिस्टिग एवं परीक्षण हेतु वि-सीमा समिति (मैलाइंडर/प्रतिनिधि, राम पंचायत के पर्यवेक्षक/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उत्तीरगढ़ पर्यवेक्षण संस्थान, मण्डल के पर्यवेक्षक/प्रतिनिधि) पठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में कुआरों का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत पठित वि-सीमा समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
32. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भरतई का कार्य जोकर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि जोकर जैसे संघर्षकारी बहन की सेवा के ही। अतः भरतई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जाये। भारी खानों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
33. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुशोधित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्स्थापन संबंधी अध्ययन कार्य एवं हलांकी जांचों का समावेश नहीं किया गया है। स्थानीय बड़ी नदी है तथा इससे वर्षाकाल में संचयन 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्स्थापन होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श प्रस्ताव संबंधितों से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. आरेखित खदान (डाम-दान(ख)) का गहरा 4.9 हेक्टर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संश्लिष्ट खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टर का उसी कम होने से कारण यह खदान सी-2 श्रेणी की बानी गयी।
2. परिवर्तना प्रस्तावक नेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत ग्राउंड वॉटर (Investigation Study) करायेगा, ताकि नेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाध नही आये। नेत वॉटर का नदी, नदीजल, स्थानीय जनसघी, जीव एवं मृम जीवों का प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर नेत खदान के प्रभाव की गरी जानकारी प्राप्त हो सके।
3. सीज क्षेत्र की सहाह का रेवलाईन डाटा --
 - a. नेत खदानन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित विड बिन्दुओं पर नदी में नेत की सहाह के सारी (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े उपलब्ध एम.ई.आई.ए.ए., जलीयगढ़ की प्रस्तुत किये जायें।
 - b. वीस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर मह में नेत खदानन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही विड बिन्दुओं में साईनिंग सीज क्षेत्र तथा सीज क्षेत्र के अलगस्टीम एवं खदानस्टीम में 100 मीटर तक तथा खानन सीज के बाहर / गरी घट (टीपी जीट) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सहाह के सारी (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित विड बिन्दुओं पर किया जायेगा।
 - c. इसी प्रकार नेत खानन उपरोक्त मानसून के पूर्व (गई मह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही विड बिन्दुओं पर नेत सहाह के लेवल (Levels) का मापन किया जाएगा।
 - d. नेत सहाह के पूर्व निर्धारित विड बिन्दुओं पर नेत सहाह के लेवल (Levels) के मापन का कार्य आगामी 8 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। वीस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं वी-मानसून के आंकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एम.ई.आई.ए.ए., जलीयगढ़ की प्रस्तुत किए जायेंगे।
4. आरेखित क्षेत्र का खस्ता एवं क्षेत्रफल का बालेख कपरी हुए डाम पंचायत का अनाधिक प्रमाण पत्र (बैठक कार्यवाही विवरण एवं विनांक सहित) की प्रति को एम.ई.आई.ए.ए., जलीयगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन ही पर्यावरणीय स्वीकृति की सार्व अनुमति की जायी है।
5. सभिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से विस्तार दान(ख) सैम्प साईन (सी- भी कन्वन्शन बरगाह), पार्ट ऑफ खारा कन्वन्क 1829, डाम-दान(ख), तहसील-पतारी, जिला-बलीदाबाजार-भारतगढ़, कुल सीज क्षेत्रफल 4.9 हेक्टर के कुल 80 परिवार क्षेत्रफल में ही नेत खदानन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 44,100 जनमीटर प्रतिवर्ष नेत खदानन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खानन पट्टे के निष्पदन की शर्तों से बांध वर्ष तक की अवधि हेतु परिशिष्ट-04 में उचित शर्तों के अधीन दिने जाने की अनुमति की गई। नेत की खुदाई सभिति द्वारा (Monthly) की जायेगी। निरर नेत (Miner Bed) में भारी जहनों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। सीज क्षेत्र में स्थित नेत खुदाई गड्ढे (Excavation pit) से जीवित प्याईट तक नेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रीली द्वारा किया जाएगा।
6. सस्टेनेबल सैम्प साईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2018 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2018) एवं इन्वोर्नेट एम्ब सैनिटरींग



0

गाईबलाईन और सैंपल गाइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

7. इन्फोर्सेमेंट एंड मॉनिटोरिंग गाईबलाईन और सैंपल गाइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिशत क्षेत्र में राजस्व काटे किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

राज्य सार्वजनिक पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एच.ई.आई.ए.ए.), जलसिंचन को तदनुसार सुधारे किया जाए।

2. मेरठ सिविलसप्लायमेंट स्टीम डक (डी.- बीपीटी एनए बीबी), ग्राम-सलवा, तहसील-खड़गवा, जिला-मनेन्द्रगढ़-दिल्ली-सलापुर (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 2004)

ऑनलाईन आवेदन - एच.आई.ए.ए. नम्बर - एच.आई.ए. /सीडी /एच.आई.ए.ए. /437749 /2023, दिनांक 28/07/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूरे में संघर्षित सार्वजनिक पर्यट (पीए सफिज) खदान है। खदान ग्राम-सलवा, तहसील-खड़गवा, जिला-मनेन्द्रगढ़-दिल्ली-सलापुर स्थित पार्ले ऑफ सलवा क्रमांक 181, कुल क्षेत्रफल 1.28 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित राजस्वगत क्षमता-9,392.1 टन प्रतिवर्ष है।

सलाह सचिवार की पर्यावरण, जल एवं जलवायु संचालन, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना संश्लेषण दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A. 142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त अधिसूचना संश्लेषण के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला सार्वजनिक पर्यावरण सभाघर निर्धारण प्राधिकरण के जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुमोदन (re-approval) हेतु एच.आई.ए.सी., जलसिंचन के साथ ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.आई.ए.सी., जलसिंचन के द्वारा दिनांक 21/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुधारे किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 490वीं बैठक दिनांक 21/08/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु की सिफर चीरे, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा सभी, प्रस्तुत प्रस्तावों का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिफरी पार्य पार्य-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

1. पूर्व में डीडीआईएट बालासोर प्रखण्ड खदान खसरा क्रमांक 181 कुल क्षेत्रफल—1.08 हेक्टेयर, क्षमता—3,478.8 घनमीटर (9,282.1 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण प्रशासन निर्देशन अधिसूचना, विना-सौरिया द्वारा दिनांक 01/08/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 3 वर्ष अवधि दिनांक 31/07/2023 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

परिचोपना प्रशासक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार—

"BA. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना से अनुसूचित पर्यावरणीय स्वीकृति की कालावधि जारी दिनांक से दिनांक 31/07/2024 तक की होगी।

- a. परिचोपना प्रशासक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व-प्रमाणित जनकारी प्रस्तुत की गई है।
- b. सर्वेक्षण में 640 गज पौधों का वृक्षारोपण किया गया है।
- c. कार्यलय कलेक्टर (अग्निज बाघा), विना-एन.सी.सी. को डायन क्रमांक 225/अग्निज/व.प./2023 एन.सी.सी., दिनांक 24/03/2023 द्वारा विना सर्वे में किये गये पर्यवेक्षण की जनकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018-19	निरत
2019-20	1,320
2020-21	1,790
2021-22	1,600
2022-23 (अधिसूचित बाघा सह)	1,063

2. क्षम पर्यावरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में क्षम पर्यावरण प्रमाण पत्र दिनांक 28/08/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. परखनन योजना — जारी प्लान, इन्फ्लामेटरी मैनेजमेंट प्लान एवम जारी खोज प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो अग्नि अधिकाारी, विना-बालासोर-बलानुजर्माज को डायन क्रमांक 78/अग्निज/2018 बालासोर, दिनांक 28/04/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. 600 मीटर की गहिराई में निचत खदान — कार्यलय कलेक्टर (अग्निज बाघा), विना-एन.सी.सी. को डायन क्रमांक 234/अग्निज/व.प./2023 एन.सी.सी., दिनांक 24/03/2023 से अनुसूचित अनापत्ति खदान से 600 मीटर के भीतर अनापत्ति खदानों की संख्या निरत है।



5. 200 मीटर की चौड़ाई में सिंचाई कार्ययोजना क्षेत्र/संचालनार्थ – कार्यालय कलेक्टर (संचित साधन), जिला-एम.सी.डी. के ज्ञान क्रमांक 224/संचित/स.प./2023 एम.सी.डी. दिनांक 24/09/2023 द्वारा जारी प्रस्ताव पर अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की चौड़ाई में कोई भी कार्ययोजना क्षेत्र जैसे बंदि, नजिर, मलपट, अमपटल, मसुन, पुन, एबीकट, बंध एवं जल जादुई अति प्रतिबंधित क्षेत्र सिंचाई नहीं है।
6. लीज का विवरण – लीज फार्म सिंचाईयोजना स्टोन क्रॉस के नाम पर है। लीज क्षेत्र 30 वर्ग मीटर दिनांक 19/09/2019 से 19/09/2048 तक की अवधि हेतु है।
7. सू-स्वच्छ – भूमि की सतह कुआर बीबे एवं अरिंदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पर प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनुमति प्रस्ताव पत्र – कार्यालय वनसंरक्षणविभागी, अतिरिक्त वनसंरक्षण, कैम्पलपुर के ज्ञान क्रमांक/स.प./2277 कैम्पलपुर दिनांक 28/09/2019 से जारी अनुमति प्रस्ताव पत्र अनुसार अतिरिक्त क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 1.08 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महासमुद्र संचालनार्थ की दूरी – निकटतम आबादी घान-सलका 500 मीटर, मसुन घान-सलका 1 कि.मी. एवं अमपटल कलेक्टर 22 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 21.45 कि.मी. एवं राजमार्ग 8.88 कि.मी. दूर है। इन्दौर नदी 3.2 कि.मी., कुआर नदी 2.8 कि.मी., रिजिस्टर 500 मीटर, सतह नाला 440 मीटर, तालाब 210 मीटर एवं नहर 308 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/पैरासिंचाईय संचालनार्थ क्षेत्र – परियोजना आवासीय द्वारा 16 कि.मी. की चौड़ाई में आवासीय क्षेत्र, राष्ट्रीय राजमार्ग, अमपटल, केंद्रीय प्रमुख निवेशन बोर्ड द्वारा घोषित डिस्ट्रीक्ट पीपुल टैक्स, पारिस्थितिकीय संचालनार्थ क्षेत्र या घोषित पैरासिंचाईय क्षेत्र सिंचाई नहीं होना घोषित किया है।
12. खान संख्या एवं खान का विवरण – पूर्व में डिपोजीटिबल सिंचाई 1,80,388 टन, माईनेबल सिंचाई 1,84,302 टन एवं रिजर्वेबल सिंचाई 60,873 टन था। वर्तमान में डिपोजीटिबल सिंचाई 1,40,081 टन, माईनेबल सिंचाई 84,253 टन एवं रिजर्वेबल सिंचाई 75,811 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,188.73 वर्गमीटर है। औसत खानत सीमा में माईनेबल सिंचाई से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की अनुमति अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल गांभ 3,820.13 वर्गमीटर है। जिसमें से 3,188.73 वर्गमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में सीमित पूरालेख किया जाएगा एवं शेष 2,742.04 वर्गमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र की बाहर सतह से प्राप्त भूमि (वर्ग लीज खाना क्रमांक 181, क्षेत्रफल 0.10 हेक्टेयर, सू-स्वच्छी सीमा सीमा बीबे एवं सी सतह कुआर बीबे) में संचालित कर संचालित रखा जाएगा। क्षेत्र की मोटाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। उत्खनन की अनुमति जादु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में उत्खनन स्थानित नहीं है, एवं इसकी स्वामता का प्रस्ताव नहीं है। लीज क्षेत्र से डिपोजि एवं कंट्रोल

आवृत्ति प्राप्त है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का विद्यमान विद्यमान किया गया है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	9,385.9	द्वितीय	9,385.8
द्वितीय	9,385.9	तृतीय	9,387.4
तृतीय	9,385.9	चतुर्थ	9,388.7
चतुर्थ	9,385.9	पंचम	9,387.1
पंचम	9,385.4	षष्ठम	9,388.1

- जल आपूर्ति - परिवर्धना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरहोल के माध्यम से की जाती है। इस बोरहोल सेक्टर के लिए जमीनी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
- कृषारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की गहरी में कुल 824 नग कृषारोपण किया जाएगा। वर्षावन में 548 नग कृषारोपण किया गया है, क्षेत्र 84 नग कृषारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए प्रति 8,000 रुपये, फेंसिंग के लिए प्रति 50,000 रुपये, खाद के लिए प्रति 31,250 रुपये, सिंचाई तथा पत्र-पत्राव आदि के लिए प्रति 1,58,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल प्रति 2,47,800 रुपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल प्रति 7,24,800 रुपये हेतु पर्याप्तकर व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
- खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा गहरी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा गहरी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
- कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
10.78	2%	0.2158	Following activities at nearby, Village-Saika	
			Plantation at Village pond	0.50
			Total	0.50

- सीईआर की अंतर्गत उत्खनन कर (आम, कटहल एवं जसुर) कृषारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 20 नग कृषारोपण किया जाता है। वर्षावन में 10 नग कुल उत्खनन कर किया है, क्षेत्र 20 नग कृषारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 20 नग पौधों के लिए प्रति 2,000 रुपये, फेंसिंग के लिए प्रति 3,000 रुपये, खाद के लिए प्रति 1,000 रुपये, सिंचाई तथा पत्र-पत्राव आदि के लिए प्रति 12,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल प्रति 18,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल प्रति 30,000 रुपये हेतु पर्याप्तकर व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा प्राप्त पंचायत समिति की सहमति उपरोक्त कृषारोपण

Handwritten signature

Handwritten mark

समान (अवकाश अर्थात् 85%, मूल्य 0.84 (इंस्टेंस) के संकेत में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

18. परिचालन प्रस्तावक द्वारा कंपनी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेवती ज़ोन में 4 मीटर की चौड़ाई तक सन्धारित किये जाने तथा क्षेत्र कंपनी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर में संश्लिष्ट किये जाने। इस प्रकार सन्धारित कंपनी मिट्टी का किसी भी प्रकार का दुसलपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने, इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भरण हेतु किये जाने तथा निरीक्षणकर्ता/अधिकारी को उसके निरीक्षण/समय के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबद् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. खदान में पत्थर उत्खनन हेतु कम तीव्रता युक्त वैज्ञानिक विधि से निश्चित मात्राओं के अनुसार डी.जी.एम.एस. अधिकृत एवं पंजीकृत श्वानिंटिंग विरोधक द्वारा ही श्वानिंटिंग कराये जाने बाबद् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. सफुडिष्ठित अम्ल उत्सर्जन के निरोधन हेतु निर्धारित जल छिड़काव किये जाने बाबद् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. सड़कनिर्माण लीज क्षेत्र के अंदर सड़क पुनर्निर्माण किये जाने एवं सेमित पीसी का सन्धारण/सेट (Bundling work) का प्रीतिता सुनिश्चित किये जाने बाबद् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. श्वानिंसगद् अथवा पुनर्वास नीति के तहत स्वतन्त्र ज़ोनों को संरक्षित किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. परिचालन प्रस्तावक द्वारा खनिज निपटी के तहत बाधक/पिन्डलर द्वारा लीजकरण का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबद् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परिचालन प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तब) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा। इसके द्वारा खदान के संरक्षण के दौरान तालाब एवं अन्य निक्षेपण जल निक्षेपों को किसी भी प्रकार की छोड़ें नहीं छोड़ें नहीं चढ़ाई/जाहनी, एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब को संरक्षण और संरक्षण हेतु निम्न उपाय किये जायेंगे : -
 - I. अर्थात् खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है अर्थात् किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत में नहीं किया जायेगा।
 - II. खदान कार्यलय से उत्पन्न भरे/अधिकारी के निरोधन के लिए सेमितिक टैंक और सीख गद्दे खदान किये जायेंगे।
 - III. सफुडी जल के संरक्षण के लिए खदान के चारों ओर सफुडी ड्रेन एवं सेमितिक टैंक के द्वारा उपस्थापित कराये ही अन्य सफुडी में छोड़ें जायेंगे।
 - IV. खदान के अंदर चारों द्वारा सेमित जल को उपस्थापित कराये जायेंगे/अनुमान जाहनी को उपस्थापित कराया जायेगा।
 - V. खदान की बाधक/पिन्डलर के चारों ओर सड़क पुनर्निर्माण किया जायेगा।

ख. हमारे द्वारा प्राप्त की गयी जानकारी में परिवर्तन लागू की 2 प्रतिलिपि प्रति सी.ई.आर. के तहत राज्य के सभी और अन्य की विभिन्न इकाइयों, जसुन, कटहल आदि के पीछे का रोपण एवं सुरक्षा हेतु परीक्षण तथा 3 वर्ष तक संपूर्ण देखभाल किया जायेगा।

ख. सुरक्षा का उचित रखरखाव एवं पूरा आदि से सुरक्षा हेतु निर्धारित जल सिंचन किया जायेगा, जिससे मृत्यु, अक्षयता एवं आबादी क्षेत्र में पूरा का प्रभाव नगण्य होगा।

ख. पूरा एवं स्थायित्व आदि के होने वाले इमारतों के लिए 20000 की रजिस्टर्ड स्टाफ्ट द्वारा नियमनुसार कम सीमा वाले निर्धारित विस्फोट की तकनीक अपनायन कम किया जाएगा। जिससे स्थायित्व के कारण आबादी क्षेत्र, मृत्यु एवं अक्षयता पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।

21. परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण कर लेने के उपरान्त संबंधित प्राप्त संस्था से कार्यपूर्ण प्रमाणित प्राप्त कर, विस्फोटन शीटोपल सहित प्राप्तकारी पर्यावरण स्वीकृति हेतु जमा किये जाने वाले आर्थिक निर्धारित में सम्मिलित कर प्रस्तुत किये जाने वाला समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. हमारे द्वारा प्राप्त जानकारी हेतु आवेदित भूमि की नू-सुधियों के भूमि से संबंधित समस्त किराई की कर, मरत के समस्त नियमों के अंतर्गत प्राप्त की जिम्मेदारी लेने वाला समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं कुशलतापूर्ण कार्य के स्थायित्व एवं परीक्षण हेतु वि-सदस्यीय समिति (प्रोन्नत/प्रतिनिधि, प्राप्त संस्था के परामर्शकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या अतीरक पर्यावरण संरक्षण समिति के परामर्शकारी/प्रतिनिधि) सहित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं कुशलतापूर्ण कर कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त सहित वि-सदस्यीय समिति से सम्बन्धित कराया जाना आवश्यक है।

24. भारतीय एन.डी.टी., डिमिशन बैंक, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च राष्ट्रीय विस्फोट प्रशासन, पर्यावरण, कम और प्रभावित परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अधिकृत एडिशनल नं. 188 और 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पत्रित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार किये गए उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

1. सर्वोच्च कलेक्टर (सुनिश्चित सार्वजनिक), जिला-एन.डी.टी. के द्वारा जारी किये गए 204/सुनिश्चित/एन.डी.टी./2023 एन.डी.टी., दिनांक 24/09/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर से अधिक अवस्थित खदानों की संख्या निम्न है। आवेदित खदान (घास-सालक) का क्षेत्रफल 1.08 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संबन्धित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर का उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार की पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी अधिसूचना नम्बर/2023 में दिने गये निर्देश का विन्यस्त पालन किये जाने बाबत राज्य पत्र (Miscellaneous Departmental) को एन.ई.आई.ए.ए., उत्तीरगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की बात को अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त अनुमोदित की जाती है।

3. समिति द्वारा विधान विधित्त उपरोक्त पर्यावरण से आवेदन - वेस्टाई डिवाइसिनी स्टोन इन्डिया (जे-बीसी) कम्पनी प्राईम) को घास-सतक, तहसील-घासगा, जिला-सोन्भर-विद्युति-पतापुर के घाट जीक खसत इन्फोक 181 में विधात सञ्चालन पञ्चर (पीन सनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.08 हेक्टर, क्षमता - 8,282.1 टन प्रतिवर्ष हेतु परिसिध-02 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति विद् जाने की अनुमोदित की गई।

राज्य सार्वीय पर्यावरण इन्फा आकलन प्रसिधकन (एन.ई.आई.ए.ए.), उत्तीरगढ़ को उपानुसार सुचित किया जाद्।

2. वेस्टाई डिवाइसिनी स्टोन इन्डिया (जे-बीसी) कम्पनी प्राईम, घाटगा-बी सकिन खदान, घास-सतक, तहसील-सोन्भर, जिला-सन्धुजा (सविधातक का पत्ती इन्फोक 2002)

डीनलडॉन आवेदन - प्रवेधत नम्बर - एन.ई.आई.ए.ए./ सीडी/ एन.ई.आई.ए.ए./ 428153/2023, दिनांक 28/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह घाट में संवेदित सञ्चालन पञ्चर (पीन सनिज) खदान है। खदान घास-सतक, तहसील-सोन्भर, जिला-सन्धुजा विधात खसत इन्फोक 173/3, कुल क्षेत्रफल-1.088 हेक्टर में है। खदान की आवेदित पराकलन क्षमता-7,282 टन प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार की पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना नम्बर/2023 जारी किया गया है, जिसके पैर 4 में निम्न प्रस्ताव है-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A. 142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 13.01.2018 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त अधिसूचना नम्बर/2023 के तहत परिसिधना प्रस्तावक द्वारा जिला सार्वीय पर्यावरण सञ्चालन विधात प्रसिधकन से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की पुनः अनुमोदित (re-appraised) हेतु एन.ई.आई.ए.ए., उत्तीरगढ़ को सञ्च डीनलडॉन आवेदन किया गया है।

उपानुसार परिसिधना प्रस्तावक को एन.ई.आई.ए.ए., उत्तीरगढ़ को इन्फोक दिनांक 21/09/2023 द्वारा प्रसुतीकरण हेतु सुचित किया गया।



बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 27/08/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सविन अग्रवाल, पार्टीवर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नती, प्रस्तुत जानकारी का अनावरण एवं सीटिंग करने का निम्न विधि पाई गई-

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय सीटिंग संबंधी विवरण-

- a. पूर्ण में कार्य खदान खतरा क्रमांक 778/3, कुल क्षेत्रफल 1.068 हेक्टर, क्षमता-7,767.82 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय सीटिंग जिला स्तरीय पर्यावरण अग्रवाल निर्धारण अधिकरण, जिला-संगरुज द्वारा दिनांक 24/03/2017 को जारी की गई।
- b. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा पूर्ण में जारी पर्यावरणीय सीटिंग को जारी के पालन में की गई कार्यवाही को स-अन्यति जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- c. कार्यक्रम में 270 नए कुआरेशन किया गया है।
- d. कार्यलय कलेक्टर (अग्निज शाखा), जिला-संगरुज के द्वारा क्रमांक 717/अग्निज/अग्नि./2023 अम्बिकपुर, दिनांक 10/07/2023 द्वारा विगत वर्ष में किये गये उखानन की जानकारी निम्नानुसार है-

वित्तीय वर्ष	उखानन (टन में)
2017-18	252.00
2018-19	252.40
2019-20	4,622.40
2020-21	4,691.20
2021-22	4,000.00
2022-23	88.00
वर्ष 2023 तक	निर्णय

2. ग्राम पंचायत का अनुरोधित प्रमाण पत्र - उखानन एवं उखान के संबंध में ग्राम पंचायत पटवरी का दिनांक 02/01/2008 का अनुरोधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उखानन योजना - नॉटिफाईड क्वार्टी प्लान, इन्फार्मेट वेनेजमेंट प्लान एवं सीटिंग करीबत प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो अग्नि अधिकारी जिला-संगरुज के द्वा. द्वारा क्रमांक 43-44/अग्नि./संग./2023 रायपुर, दिनांक 12/01/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यलय कलेक्टर (अग्निज शाखा), जिला-संगरुज के द्वारा क्रमांक 431/अग्निज/अग्नि./2023 अम्बिकपुर, दिनांक 22/08/2023 के अनुसार अनुरोधित खदान से 500 मीटर की सीमा अवधिगत खदानों की संख्या निर्णय है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संगणन - कार्यलय कलेक्टर (अग्निज शाखा), जिला-संगरुज के द्वारा क्रमांक 430/अग्निज/अग्नि./2023 अम्बिकपुर, दिनांक 22/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार सजा खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेजल्टाईन, चहर, बांध, एरीकट, मकान, मस्जिद, अस्पताल, सीटर सजलई परिशोधन, नदी, नाला, कुआर, मध्य, सार्वजनिक स्थल अदि परिशोधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

4. **भूमि एवं जल का विवरण** - यह सारकारी भूमि है। जल बीभी बंधू मिलाल की नाम पर है। जल क्षेत्र 10 वर्षी अवधि दिनांक 07/03/2008 से 08/03/2018 तक की अवधि हेतु रैप थी। उपर्युक्त जल क्षेत्र 20 वर्षी अवधि दिनांक 07/03/2018 से 08/03/2038 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है। कार्यालय कलेक्टर मन्सूर (अभिलेख संख्या) अमिकापुर की अर्पण दिनांक 29/04/2022 द्वारा उक्त उपखण पट्टा की मेसर्स अर्पण कुशल उपखण जो- बी सचिन उपखण, पिता श्री अर्पण कुमार उपखण, पिता श्री रमेश हीरा पंडा उपखण, पिता-जगतपुर ग्राम, जो पत्र में अंतरण करने के लिए आवेदन पर दिनांक 25/03/2022 को प्रस्तुत किया गया था। पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर तथा अंतर्गति के द्वारा प्रस्तुत सत्य पत्र के अधिन पर ग्राम, बीम सचिन विधान 2015 की नियम 20(2) के तहत उक्त उपखण पट्टा को अंतर्गति के पत्र के अंतरण करने की अनुमति प्रदान की जाती है। का उल्लेख है। साथ ही परिशीलन प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सत्य पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि अंतर्गति विधान के निर्देशानुसार पर्यावरण स्वीकृत प्राप्त होने के पश्चात् ही जल अंतरण अनुबंध करवाया जा सकता है। उक्त सत्य पत्र पर्यावरण सहायता निर्धारण प्रक्रिया पूर्ण होने के द्वारा अंतरण को पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् जल अंतरण कराकर अपने कार्यालय में जल अंतरण अनुबंध की प्रती जमा की जायेगी।

फॉरेनर द्वारा चार्टरड जल क्षेत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार श्री सचिन उपखण, बीभी अल्ला देवी उपखण, बीभी मन्सूरी उपखण, श्री मदन जी, एच. श्री अर्पण कुमार उपखण, श्री अनुप मिलाल एवं बीभी बंधू मिलाल फॉरेनर है।

7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनाधिकृत प्रमाण पत्र** - कार्यालय वनसहायक/डी.पी. मन्सूर/उपखण अमिकापुर, अमिकापुर की द्वारा दिनांक/स.पि./201 अमिकापुर, दिनांक 12/01/2009 को जारी पत्र अनुसार आवेदित भूमि राज्य अभिलेखों में सारकारी भूमि महाक पट्टा पर है, उक्त भूमि अल्ला बीभी अंतरण वन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है।
9. **पहाड़पूर्ण सीमापट्टी की दूरी** - निकटतम आवादी ग्राम-कुनसूरी 400 मीटर, ग्राम-मटली 750 मीटर, स्कूल ग्राम-मटली 1.15 कि.मी. एवं अमिकापुर अमिकापुर 28 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 700 मीटर एवं राजमार्ग 29.2 कि.मी. दूर है। बांड नदी 3.4 कि.मी., मेसर्स नाला 750 मीटर, काला 230 मीटर, रीढ़ रीढ़ 1.8 कि.मी. एवं पार 20.80 कि.मी. दूर है।
10. **खनन क्षेत्र एवं खनन का विवरण** - जियोलॉजिकल रिजर्व 1,52,430 टन, पेट्रोलियम रिजर्व 88,737 टन एवं निकलीयत रिजर्व 78,080 टन है। जल की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उपखण के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,000 वर्गमीटर है। खनन आस्ट कंपनी मेसर्स/ई.पी. विधि से उपखण किया जाता है। उपखण की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। जल क्षेत्र में अपनी निट्टी की गहराई 8.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,008.50 घनमीटर है। जिसमें से 1,082 घनमीटर अपनी निट्टी को जल की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उपखण के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में सीमाकर कुशासन किया जाएगा एवं शेष 1,008.5 घनमीटर अपनी निट्टी को जल क्षेत्र के बाहर मर्यादित कर संबंधित सब





जाएगा। बीच की चौड़ाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संयमित ऊंचाई 11 वर्ष है। जीज क्षेत्र में खनन संचालित है, जिसका क्षेत्रफल 700 वर्गमीटर है। जीज क्षेत्र से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल बलस्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिस्तेम किया जाता है। सर्वेक्षण प्रस्तावित प्रखणन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित प्रखणन (टन)
प्रथम	7,800
द्वितीय	7,800
तृतीय	7,800
चतुर्थ	7,800
पंचम	7,800

11. जल आपूर्ति - परिवर्धन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोयरेल से माध्यम से की जाती है। इस कार्य सेटल कार्यकाल के अंतर्गत ही अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
12. कृषासेवा कार्य - जीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 854 नम कृषासेवा किया जाएगा। वर्तमान में 332 नम कृषासेवा किया गया है, बीच 284 नम कृषासेवा किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछी के लिए प्रति 28,400 रुपये, पीसिंग के लिए प्रति 50,000 रुपये, खाद के लिए प्रति 28,700 रुपये, सिंचाई तथा पत्र-पत्रात आदि के लिए प्रति 1,88,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल प्रति 2,81,100 रुपये एवं अगामी 4 वर्षों में कुल प्रति 8,08,000 रुपये हेतु पर्यवेक्षण कार्य का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
13. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में प्रखणन - जीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में प्रखणन कार्य नहीं किया गया है।
14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परिवर्धन प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार से कार्य पर्यवेक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
34.56	2%	0.7	Following activities at Nearby Village- Kunkurkela	
			Plantation around village pond	0.025
			Total	0.025

15. सीईआर के अंतर्गत खदान पर (खन, कटकाट एवं जापुन) कृषासेवा हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 80 नम कृषासेवा किया जाता है। वर्तमान में 42 नम कृषा खदान पर किया है, बीच 80 नम कृषासेवा किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 20 नम पीछी के लिए प्रति 5,000 रुपये, पीसिंग के लिए प्रति 7,500 रुपये, खाद के लिए प्रति 2,000 रुपये, सिंचाई तथा पत्र-पत्रात आदि के लिए प्रति 17,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल प्रति 32,500 रुपये तथा अगामी 4 वर्षों में

कुल राशि 60,000 रुपये हेतु पराक्रमर स्था का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राप्त पंजीकृत मुल्मुदीकाल के सारणी उपरोक्त स्थायी स्थान (खसरा क्रमांक 64, पन्ना 0.888 हेक्टेयर) को खंड में उपलब्धी प्रस्तुत की गई है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरी मिट्टी को जीज क्षेत्र के अंदर सेकरी जल में 1 मीटर की ऊंचाई तक सम्बन्धित किये जाने, सेक उपरी मिट्टी को जीज क्षेत्र के बाहर में सम्बन्धित किये जाने। इस प्रकार सम्बन्धित उपरी मिट्टी का किसी भी प्रकार का दुसमयोन न करने, विखन न करने एवं अन्य कर्तों में उपयोन नहीं किये जाने, इस मिट्टी का उपयोन पुनर्वापन हेतु किये जाने तथा निरीक्षणकर्ता/अधिकारी को पन्ना निरीक्षण/जनन के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
17. खदान में पत्थर उत्खनन हेतु कम तीव्रता युक्त वैज्ञानिक विधि से निर्दिष्ट समयवर्षों के अनुसार सी.पी.एम.एस. अधिकृत एवं पंजीकृत स्थायित्व विवेकण द्वारा ही स्थायित्व कराये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. सड़कविशेष बसत उत्खनन के निरंजन हेतु निर्दिष्ट जल किण्वनय किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. साईनिंग जीज क्षेत्र के अंदर सधन कुलवैपन किये जाने एवं सेपित सेरी का ससवाईपल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. उत्खननय आदर्श पुनर्वाक नीति के तहत स्थानीय लोगों को सेकवार दिवे जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज निचनों के तहत बालगुडी मिलनरी द्वारा सेकजन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान में किसी भी प्रकार का सृजित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, तालब, नदी, नाला में नहीं किया जाया करेगा द्वारा खदान के संरक्षण के दौरान तालब एवं अन्य निरंजन जल निचनों को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी, एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाल, नदी, तालब के संरक्षण और सेकजन हेतु निम्न उपाय किये जायेंगे : -
 - I. निर्दिष्ट खदान को किसी भी प्रकार का सृजित जल उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि किसी भी प्रकार के सृजित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत में नहीं किया जायेगा।
 - II. खदान कार्यलय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निरंजन के लिए सेपिक टैंक और सीख गड्ढे प्रदान किये जायेंगे।
 - III. सारी जल के संरक्षण के लिए खदान को पानी और गालटीक ड्रेन एवं सेपिंग टैंक के द्वारा सम्बन्धित करके ही अन्य स्रोतों में छोड़ा जायेगा।
 - IV. खदान के अंदर नहीं द्वारा सृजित जल को सम्बन्धित करके आवश्यकानुसार स्थानीयों को उपलब्ध कराया जायेगा।

v. खदान की खानड़ी की चाली और सभ्य कुशलरक्षण किया जायेगा।

vi. एक सभ्य लालक के चाली और भी सभ्य कुशलरक्षण किया जायेगा।

अनुगत आवेदन में आवेदित स्थल से लालक 230 मीटर तथा गहर 20.80 मीटर की दूरी पर है जो कि उत्तीरगढ़ गौन खनिज अधिनियम, 2016 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संशोधन के दौरान उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (i) से (vi) के परतन से लालक एवं गहर पर प्रभाव को रोका जा सकेगा।

23. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा सभ्य पत्र (Notarized undertaking) अनुगत किया गया है कि उसके विरुद्ध इस परिशोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देहा के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लभित नहीं है।

24. परिशोजना प्रस्तावक द्वारा सभ्य पत्र (Notarized undertaking) अनुगत किया गया है कि उसके विरुद्ध सभ्य सनसभ्य, सवीरसभ्य, वन और जलसभ्य परिवर्तन संशोधन की अधिसूचना संख्या 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रकरण का प्रकरण लभित नहीं है।

25. साननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause Vs. Union Of India With Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए विवा निरीस का सभ्य करने बाबत सभ्य पत्र (Notarized undertaking) अनुगत किया गया है।

26. साननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को With Petition (S) Civil No. 114 (2014) Common Cause Vs. Union Of India & Ors. में दिए गए विवा निरीस का सभ्य करने बाबत सभ्य पत्र (Notarized undertaking) अनुगत किया गया है।

27. परिशोजना प्रस्तावक द्वारा इस आवेदन का सभ्य पत्र (Notarized undertaking) अनुगत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 1.15 कि.मी., अस्पताल 28 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 730 मीटर की दूरी पर है जो कि उत्तीरगढ़ गौन खनिज अधिनियम, 2016 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाली वन सनसभ्य की निराकरण हेतु निम्न सभ्य किये जायेंगे—

i. खदान के माईन खानड़ी में चाली और सभ्य कुशलरक्षण किया जायेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

ii. धूल (डस्ट) के निराकरण के लिए टीकर के द्वारा चाली का सिद्धांत किया जायेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन हायवेसिन से प्रकरण किया जायेगा, जिससे चाली में खदान से खनिज ना गिरे।

iv. हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जायेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।

v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में सभ्य सभ्य संशोधन परीक्षण कराया जायेगा।

vi. हमारे द्वारा डाम में किया लालक में परिशोजना लागत की 2 प्रतिशत सति सी.ई.आर. के तहत लालक के चाली और खनन की विभिन्न प्रकृतियों, जमून,

कठघना आदि की पीछी का रोना एवं सुखा हेतु पीछीग लडा 6 वर्ष तक संपूर्ण देखावात किया जावेगा।

भा. सड़की का उचित रखरखाव एवं दुरुन आदि से सुखा हेतु निर्धारित जल सिंचकाव किया जावेगा, जिससे सड़क, अस्पताल एवं आवासी क्षेत्र में दुरुन का प्रभाव कमया होना।

भा. दुरुन एवं क्लस्टरिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए DWAAS के सजिस्टर्ड आउटर द्वारा निम्ननुसार कम तीव्रता वाले निर्धारित रिपोर्ट को तत्कालीन अंशगत कम किया जाएगा। जिससे क्लस्टरिंग से कारण आवासी क्षेत्र, सड़क एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव कमया होना।

28. परिषोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण कर लेने के उपरान्त संबंधित प्राण पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतियेदन प्राप्त कर, सिटीजन फीडबैक सहित जानकारी पर्यावरण सर्वेक्षी हेतु जमा किये जाने वाले आधिकारिक रिपोर्ट में समाहित कर प्रस्तुत किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. सीज क्षेत्र को घाटी नईन बावन्दी में सीज सेल्ट योजना के तहत पीछा रोना किया गया है, सीज पीछो का रोपन पीछीग के साथ करके सिटीजन फीडबैक को साथ आधिकारिक रिपोर्ट में जमा किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार किये गए प्रस्ताव कार्यसम्पत्ति से निम्ननुसार निर्णय किया गया—

1. 1,000 घनमीटर क्षमती मिट्टी को सीज क्षेत्र के बाहर सज्जित कर संक्षिप्त रखे जाने बाबत क्षमती मिट्टी प्रबंधन योजना को प्रस्तुत किया जाए।

2. भारत सरकार की पर्यावरण, वन एवं जलवायु संकालन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी अधिसूचना पर्यावरण में विधे करे निर्देश का सिन्दुवन चलन किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त उचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त जानामी कार्यवाही की जाएगी।

परिषोजना प्रस्तावक को तदानुसार सुचित किया जाए। साथ ही कार्यलय सलाहदायकियारी, जिला-समुदाय को पत्र लेख किया जाए।

4. मेसर्स एचि ओलोनग्राईट सवारी (प्री)- की वन संक्षिप्त, राम-एचि, तहसील-अकलात, जिला-जांजगीर-बांग (संक्षिप्तलय का पल्ली क्रमांक 2008)

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए /सीपी /एसआईएन / 437791 / 2023, दिनांक 28/07/2023 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संक्षिप्त ओलोनग्राईट (एचि सजिज) सदान है। सदान राम-एचि, तहसील-अकलात, जिला-जांजगीर-बांग स्थित जसता क्रमांक 488/2, कुल क्षेत्रफल-2.17 हेक्टेयर में है। सदान की आवेदित परचालन क्षमता-84,800 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परिषोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, उत्तीतगढ़ से ज्ञान दिनांक 21/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।



बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 27/08/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रीनिटिव उपस्थित नहीं हुए। परिचोपना प्रस्तावक को यह दिनांक 27/08/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अधिविधायक कानगी से समिति को सप्ताह बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आपकी आवेदित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुपस्थित किया गया है।

समिति द्वारा विधान विभाग पर्याप्त सर्वसाध्वि की निर्णय लिया गया कि परिचोपना प्रस्तावक को पूर्व में जारी हुई वरिष्ठ जानकारी एवं सप्ताह सुनिश्चित जानकारी/वस्तुनिष्ठ वरिष्ठ प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परिचोपना प्रस्तावक को तयानुसार सूचित किया जाए।

9. **नेहरू वर्ग कन्ट्रिबुशन एवं ट्रांसपोर्ट आवेदन की स्वीकृति (जे.- सीमा विभाग वर्ग),**
ग्राम-किरंदुल, तहसील-बड़े बघेली, जिला-बरेवाड़ा (सकियालय का गली क्रमांक 2807)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नंबर - एसआईए /सीसी /एसआईएन /438825 /2023, दिनांक 21/07/2023 द्वारा सी.सी.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह सप्ताह विभाग का प्रकरण है। यह पूर्व से संघटित सप्ताह पत्र (पीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-किरंदुल, तहसील-बड़े बघेली, जिला-बरेवाड़ा जिला खदान क्रमांक 81, कुल क्षेत्रफल 2.22 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित सप्ताह सप्ताह-20,828 टन प्रतिवर्ष है।

तयानुसार परिचोपना प्रस्तावक को एसआईएसी, परीक्षण हेतु ज्ञान दिनांक 21/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 27/08/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कपिलेश वर्मा, आवेदित प्रीनिटिव उपस्थित हुए। समिति द्वारा जारी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-**

1. पूर्व में पत्र खदान खदान क्रमांक 81, कुल क्षेत्रफल-2.22 हेक्टेयर, सप्ताह-2,081 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सप्ताह निर्धारण अधिनियम, जिला-बरेवाड़ा द्वारा दिनांक 03/08/2017 को प्रस्तावनाबद्धा आवेदित एक (मिलीमीटर आवेदित सप्ताह) जारी की गई।

2. परिचोपना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी के पालन में की गई सर्वेवादी की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि चूंकि यह सप्ताह विभाग का प्रकरण है। अतः परिचोपना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रीय कार्यलय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन सप्ताह, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रीनिटिव द्वारा कर प्रस्तुत किया जाय आवश्यक है।

क. निर्धारित शर्तानुसार कुलरोपण नहीं किया गया है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय सौकरिता की शर्तों के अनुसार निर्धारित शर्तानुसार कुलरोपण करते हुए पौधों में संतुलन (Balance) एवं पौधों की मात्रा का उत्तरेख किया जाकर पोस्टप्लांट गडिड जायकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

ख. कार्यलय कलेक्टर (अग्निज शाखा), जिला-दक्षिण उत्तर दौरेवाड़ा के द्वारा अर्नांक 438/अग्निज/क.नि./2023-24 दलीवाड़ा, दिनांक 21/07/2023 द्वारा निम्न शर्तों में किये गये उत्खनन की जायकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्खनन (खनवीट)
2018-19	निरुड
2019-20	301
2020-21	79
2021-22	58
2022-23	425

2. नगर परिषद का अनाधिकृत प्रमाण पत्र - उत्खनन की संख्या में नगर परिषद परिषद किराटुन का दिनांक 01/08/2023 का अनाधिकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. उत्खनन योजना - जारी प्लान एरिंग किड माईन उत्खनन प्लान किड इन्स्टापरमेड मेनेजमेड प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो एम-संघालक (ख.उ.), जिला-उत्तर उत्तर कांकीर के द्वारा अर्नांक 1479/अग्निज/उत्तर.पौ.अनु./उ.प./2023-24 कांकीर, दिनांक 24/07/2023 द्वारा अनुमोदित है।

4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यलय कलेक्टर (अग्निज शाखा), जिला-दक्षिण उत्तर दौरेवाड़ा के द्वारा अर्नांक 438/अग्निज/उ.प./2023-24 दलीवाड़ा, दिनांक 21/07/2023 के अनुसार आवेदित खदान की 500 मीटर की मीटर अर्नांक 3 खदान, क्षेत्रफल 7.25 हेक्टेयर है।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यलय कलेक्टर (अग्निज शाखा), जिला-दक्षिण उत्तर दौरेवाड़ा के द्वारा अर्नांक 437/अग्निज/उ.प./2023-24 दलीवाड़ा, दिनांक 21/07/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान की 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मण्डर, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राजमार्ग आदि अतिथित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. भूमि एवं लीज का विवरण - उक्त सार्वजनिक भूमि है। लीज बीमारी किलेनी वर्ग की मात्रा पत्र है। लीज बीज 30 वर्ष अवधि दिनांक 20/07/2017 से 19/07/2047 तक की अवधि हेतु है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. वन विभाग का अनाधिकृत प्रमाण पत्र - कार्यलय वनसंरक्षक/कार्यालय, दौरेवाड़ा वनसंरक्षक, दौरेवाड़ा के द्वारा अर्नांक/क.उ.अ./8404 दौरेवाड़ा, दिनांक 08/08/2023 की जारी अनाधिकृत प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा से 5 कि.मी. की मीटर कोई अंधारण्य/ सभुत प्रदान/ टाईगर रिजर्व नहीं है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र में निकटात वन क्षेत्र की दूरी का उत्तरेख

30

करीब दूर कार्यालय इलाहाबाद/लखनऊ, जिला-दोहाड़ा का अनुमति प्राप्त नए प्रस्ताव किया जाना आवश्यक है।

8. महापूरण परियोजना की दूरी - निकटतम आवासीय घाट-किनारा 3 कि.मी., स्थूल घाट-किनारा 3 कि.मी. एवं अस्थायी घाट-किनारा 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 23 कि.मी. दूर है। कोयल नदी 80 मीटर दूर है।
9. पर्यावरण/संवर्धन संबंधित क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिसर में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संघीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित जलवायु संवेदनशील क्षेत्र, पर्यावरण/संवर्धन संबंधित क्षेत्र या घोषित जलवायु संवेदनशील क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
10. खान खनन एवं खान का विवरण - जियोमॉर्फिकल रिजर्व 2,21,836 टन, माइनेबल रिजर्व 1,48,018 टन एवं निकलसहित रिजर्व 1,38,715 टन है। खान की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (खानागार के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,592 वर्गमीटर है। खान खनन सीमा केन्द्रबिन्दु विधि से परखनन किया जाता है। खानागार की स्थायीत अधिकतम गहराई 8 मीटर है। खान क्षेत्र में कच्ची मिट्टी नहीं है। क्षेत्र की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खान की स्थापित आयु 7 वर्ष है। खान क्षेत्र में खान स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं है। खान क्षेत्र से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल परमिटिंग जाता है। खान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिद्धांत किया जाता है। वर्षावन प्रभावित परखनन का विवरण निम्नप्रकार है-

वर्ष	प्रस्तावित परखनन (टन)
प्रथम	20,828
द्वितीय	20,828
तृतीय	20,828
चतुर्थ	20,828
पंचम	20,828

12. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से वाहन से की जाती है। इन वाहन से प्राप्त घाबरे बालर उपयोगिता से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
13. कृषाधीनता कार्य - खान क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 800 मग कृषाधीनता किया जाएगा।
14. खान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में परखनन - पर्यावरण के दोषपूर्ण परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदन खान से 800 मीटर की भीतर स्थापित अन्य खानों के प्रतिस्पर्धन (overlapping) की कारण एवं पूर्ण में परखननपट्टा क्षेत्र का सीमांकन कर खानों को सीमा सीमा का क्षेत्रफल परखनन परियोजना में अधिक जो-अधिकतम सीमा प्राप्त हो सिद्ध होने के कारण खान की चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुछ भाग परखनन हो गया है। समिति का मत है कि प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में परखनन किया जाना पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रों का प्रस्ताव है। अतः खान चारों ओर नियंत्रण प्राप्त कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. कार्बोक्सीड है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माइनिंग प्रोवैडेंट हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक 17(a) के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 3 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

एक मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े घेराई क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-दक्षिण बल्लर रोडका के मु. प्रमाण क्रमांक 358-A/खनिज/स.प./2023-24 वनोपका, दिनांक 08/07/2023 के अनुसार खनि निर्देशक रोडका के द्वारा स्वीकृत लखनिपट्टा का निर्दिष्ट किया गया। निर्दिष्ट में लखनिपट्टावासी के द्वारा लखनिपट्टा क्षेत्र का सीमांकन वन सीमा सॉल संपादा गया किन्तु लखनन योजना में अंकित को-ऑर्डिनेट सीमा सॉल के कार्याधिक को-ऑर्डिनेट से भिन्न पाया गया है। खदान क्षेत्र में लगे सीमा सॉल के शर्तों को-ऑर्डिनेट दिए गये हैं जो निम्नलिखित हैं-

खण्ड क्रमांक	सीमा सॉल	अक्षांस	देशान्तर
1	A	18°38'47.23" N	81°18'36.79" E
2	B	18°38'47.33" N	81°18'36.58" E
3	C	18°38'41.00" N	81°18'42.14" E
4	D	18°38'40.11" N	81°18'37.60" E

अतः पर्यावरणानुसार पूर्ण में लखनन योजना में दर्शित सीमा सॉल से लिये गये को-ऑर्डिनेट के खदान पर सजिदा में दर्शित खदान क्षेत्र के शर्तों को-ऑर्डिनेट को परिवर्तित किये जाने हेतु आदेश जारी किया गया है।

17. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी अधिका संश्लेषण में दिये गये निर्देश का किन्तुका प्रमाण किये जाने बाबत कार्य पत्र (Standard undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. माननीय एन.जी.टी., डिप्लोमट बंध, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च राष्ट्रीय न्यायालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजिनल एडिसंसन नं. 188 जीक 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को परित आदेश में सुझ रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEMA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा किया किन्तु प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालय से निम्नानुसार निर्णय किया गया-



1. सर्वोच्च कोर्ट (सुप्रीम कोर्ट), विना-डोमिन क्वॉटर टॉवरों के कानून क्रमांक 438/सुप्रीम/स.प./2023-24 एनोवाका, दिनांक 21/07/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 7.23 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (ग्राम-किरंदुल) का क्षेत्र 2.22 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-किरंदुल) को मिलाकर कुल क्षेत्र 9.45 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की दूरी में सीमा/संघीय खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्वॉटर निर्मित होने से खदान का खदान 'बी' श्रेणी की मानी नहीं।
2. माईन सीमा क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सीमाई जोन के कुछ भाग में किये गये उपखनन के कारण इस क्षेत्र के लगभगी खानों (Subsided Mines) की संख्या में तथा सीमा क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक खानों तथा कृत्रिम खानों के लिये समुचित खानों को क्रियान्वित करने हेतु संघालक, संघालनक, सीमाई तथा खनिकों, इत्यादी खान, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेखा किया जाय।
3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में जीव उपखनन किया जाना पाये जाने पर जीव खानों नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संघालक, संघालनक, सीमाई तथा खनिकों को एवं पर्यावरण को क्षति पहुँचाने हेतु उपरीक्षण परीक्षण संघालन मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेखा किया जाय।
4. एकीकृत क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मासिक सफल परीक्षण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंडल, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय सीमाई का पालन प्रतिबंधित खान कर प्रस्तुत किया जाय।
5. शक्ति द्वारा विधान विधायक खानों सर्वेक्षणों की प्रकल्प 'बी' खंडों के का होने से खनन भन्ना सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंडल द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकल्पित सीमाई टाई ऑफ रिजर्व (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एनटीएमटीज विस्थापित इन्वॉल्वमेंट क्लीयरेंस आउटर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का सीमाई टीओआर (लोक सुनवाई सहित) गैर जीव माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु विना अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गयी-

- i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
- iv. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.
- v. Project proponent shall submit the details of plants along with photographs by mentioning the numbering of the trees and the name of the plant.



- vi. Project proponent shall submit the undertaking regarding cutting of trees only when required and only after permission from the competent authority.
- vii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- viii. Project proponent shall submit the top soil & over burden management plan & incorporate the details in the EIA report.
- ix. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- x. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- xi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- xii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction
- xiii. Project proponent shall submit the copy of pinchname and photographs of every monitoring station.
- xiv. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xvi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xvii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xix. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xx. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant

cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.) अंतीकरण हेतु तदनुसार सुधारा किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यलय, भूमा सलकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तथा राज्यस्तरीय अटल भवन एवं कार्यलय कल्याण-महाराष्ट्र, जिला-महाराष्ट्र को पत्र भेजा गया है।

6. मेकारा नु सिस्टा लिमिटेड (एन.ए.आई.ए.ए. अंतीकरण हेतु) जल-संसाधन, तहसील-महाराष्ट्र, जिला-महाराष्ट्र-महाराष्ट्र (संविधान संख्या 2285)

जीवजल अंतीकरण - प्रयोजन संख्या - एन.ए.आई.ए.ए. / सीजी / एन.ए.आई.ए.ए. / 423152/2023, दिनांक 04/04/2023 द्वारा टी.जी.आर. हेतु अंतीकरण किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित कुल पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान जल-संसाधन, तहसील-महाराष्ट्र, जिला-महाराष्ट्र-महाराष्ट्र जिले का संख्या 228, 229, 238, 240, 241/1, 241/2, 242/2, 243, 245, 247, 248, 249, 250/1, 250/2, 251, 252, 253, 254/1, 254/2, 254/3, 254/4, 254/5, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 270/1, 270/2, 273, 274, 275, 277/1 में शामिल 278, 282, 283, 284 में शामिल 285, 286/1/1 में शामिल 291, 288/1/2 में शामिल 291, 288/1/3 में शामिल 291, 290/1, 294/1, 294/2, 295, 296, 298, 299, 300, 301/1, 301/2, 302/1, 302/2, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310/1, 310/2, 310/3, 311, 312/1, 312/2, 312/3, 312/4, 314/1, 314/2, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337/1, 337/2, 338, 339, 340, 341/1, 341/2, 342, 343, 344, 345, 346, 348, 349, 350, 351, 352, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 421, 422/1, 422/2, 422/3, 422/4, 422/5, 422/6, 422/7, 422/8, 458, 478, 271, 272, 353/1 शामिल 358, 353/2, 344/1, 338/1, 338/2, 348/1, 348/2, 382/1, 382/2, 382/3, 383/1, 383/2, 384, 385/1, 376/1, 376/2, 376/3, 376/4, 377/2 शामिल 378, 377/3, 388/1, 388/2, 388/3, 388/4, 387/1 शामिल 387/2, 387/3, 312/1, 312/2, 321/1, 321/2 शामिल 322/1, 325/1, 325/2, 415/1, 415/2, 415/3, 415/4, 281/1, 281/4, 281/5, 281/6, 481/17, 401 एवं 402, कुल क्षेत्रफल-28.481 हेक्टर में प्रस्तावित है। खदान की अंतीकरण संख्या-06 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। परियोजना हेतु कुल विनिर्माण की राशि 62 करोड़ रुपये है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.आई.ए.ए. अंतीकरण हेतु जल-संसाधन 04/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुधारा किया गया है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 485वीं बैठक दिनांक 22/05/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु की राज्य पर्यावरण, पॉवर टैड एवं की सुदीन डिप्टी सी.जी.ए. द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुधारा किया गया है। समिति द्वारा मंत्री, प्रस्तुत जानकारी का अंतीकरण एवं परीक्षण करने का प्रयास किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि प्रस्ताव प्रस्तुत की राशि प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा सार्वजनिक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा संबंधित जानकारी / अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत करने एवं प्रस्तुतीकरण हेतु अनुबंध पत्र प्रेषित होने पर आपापी कार्यवाही की जाएगी।

एल.ई.ए.सी., जलोसगढ़ के द्वारा दिनांक 08/07/2022 की परिधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित माइनिंग प्लान एवं प्रस्तुतीकरण हेतु अनुबंध पत्र दिनांक 29/08/2022 की प्रस्तुत किया गया है।

(ख) समिति की 488वीं बैठक दिनांक 13/08/2022:

समिति द्वारा नसीरी, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण कर, विपदा निवृत्ति समर्थक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्ण में जारी गई संबंधित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज संबंधित प्रस्तुतीकरण दिष्ट करने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एल.ई.ए.सी., जलोसगढ़ के द्वारा दिनांक 21/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ग) समिति की 489वीं बैठक दिनांक 27/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुरीय डिनेटी, सी.पी.एम इन्फ्रास्ट्रक्चर, नवीन चाल, डेड लैंड डेवलपमेंट एवं अजय खरे, माईन डेड एनफिक्ट हुए। समिति द्वारा नसीरी, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान की पूर्ण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. धारा संशोधन का अद्यतन प्रमाण पत्र — सार्वजनिक क्षेत्र में धारा संशोधन परमाणु (निकास) का दिनांक 13/03/2022 का अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. परीक्षण योजना — माइनिंग प्लान एकीकृत विधु प्रोसेसिंग माईन अद्यतन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खनिज निदेशक, भारतीय खान भूरो, जिला-रायपुर के द्वारा क्रमांक आरपीआर/बलीदा-राजल /एल.ए.सी /1072 /एसी /2022-23, दिनांक 22/08/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाओं की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि आरेखित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे नदी, नहर, नाला, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनकर एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है अथवा नहीं की जानकारी कार्यालय कोलेक्टर (खनिज संसाधन), जिला-बलीदाबाजार-रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाय आवश्यक है।
5. एल.ओ.आई, संबंधी विवरण — एल.ओ.आई, सेलर्स वु विन्टा लिमिटेड (पूर्व में सेलर्स इन्फोर्मेटिक्स लिमिटेड) के नाम पर है। एल.ओ.आई, जलोसगढ़ सार्वजनिक खनिज संधान विभाग संशोधन महानदी बंधन, पंच रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर के द्वारा क्रमांक एन 3-03/2020/12, पंच रायपुर, अटल नगर, दिनांक 04/08/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी विपदा जारी दिनांक से 3 वर्ष की अवधि तक है।
6. नू-स्वामित्व — प्रस्तुतीकरण की दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कुल क्षेत्रफल 28.481 हेक्टेयर में से 3.84 हेक्टेयर सार्वजनिक भूमि एवं 24.

82: हेल्थियम प्रदूषित भूमि है। भूमि स्वामी संबंधी जानकारी/व्यवस्था (सी-1, सी-2) प्रस्तुत नहीं की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित लीज क्षेत्र से आसानीत निर्जल बरिस 2.3 कि.मी., लताव निर्जल बरिस 5.1 कि.मी., सोनबस्ता निर्जल बरिस 4.8 कि.मी. एवं मोहताव निर्जल बरिस 5.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित होगा बताया गया है। समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं आसानीत की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वन विभाग से जारी अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. **महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-पल्लानटन 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। पहले बंदखन-वाटवारा 10 कि.मी. दूर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कि.मी. एवं राजमार्ग 15 कि.मी. दूर है। लीज क्षेत्र के भीतर से वास्तु प्रस्ताव है।
10. **पारिस्थितिकीय/पौधविधियात संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय प्रद्यान, अभयारण्य, राष्ट्रीय प्रद्यान निर्वाहन बोर्ड द्वारा घोषित डिस्टिकली पौल्टेटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का घोषित क्षेत्रविधियात क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिवेदित किया है।
11. **खनन संभव एवं खनन का विवरण** – डिपॉजिटिज्जल रिजर्व 10,871 मिलियन टन एवं माईनेबल रिजर्व 4,734 मिलियन है। लीज की 7.5 बीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 89,800 वर्गमीटर है। खनन कार्य कुली मेकनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। प्रथम 5 वर्ष में अपनी मिट्टी की कुल मात्रा 5,700 किलोमीटर एवं अंतर्राष्ट्रीय/देश की मात्रा कुल 89,100 टन होगी। क्षेत्र की चौड़ाई 8 मीटर एवं चौड़ाई 10 मीटर है। खदान की संभावित आयु 8 वर्ष है। लीज क्षेत्र में उत्खनन स्वस्थित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। डिजिटिंग एवं स्वस्थित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	टीप बॉडिल (किलोमीटर)	वेस्ट (टन)	प्रस्तावित आखनन (टन)
प्रथम	निरंक	निरंक	निरंक
द्वितीय	5,700	59,100	निरंक
कुलीय	निरंक	निरंक	89,790
वस्तु	निरंक	निरंक	2,00,000
पंचम	निरंक	निरंक	5,00,000

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 40 किलोमीटर प्रतिदिन होगी है। जिसमें से पहले अनुमान हेतु 7.5 किलोमीटर, अंत खदान हेतु 17.5 किलोमीटर एवं कुआरौयन हेतु 15 किलोमीटर जल की आवश्यकता होगी। जल की आपूर्ति नू-जल एवं माईन पीट से वास्तव से किया जाएगा। इस वास्तु संयुक्त आखनन क्षेत्र अर्थात्पि से अनुमति प्राप्त किया जाएगा।
13. **कुआरौयन कार्य** – अनुमतिजनन के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रतिवर्ष 4,000 नए कुआरौयन लीज क्षेत्र की सीमा में पानी और 7.5 मीटर की पट्टी में किया जाना बताया गया है, इस प्रकार 8 वर्ष में कुल

23.475 गज कुआरीयन किया जाएगा। समिति का मत है कि 23.475 गज पीछी का कुआरीयन करते हुए पीछी में संशोधन (Modification) एवं पीछी के नाम का उल्लेख किया जाकर पोर्टोफोलो सहित जानकारी नार्डिनल ई.आई.ए. में शामिल करते हुए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा बढ़ती में उत्खनन – लीड क्षेत्र के बायीं ओर 7.5 मीटर की सीमा बढ़ती में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. गैर नार्डनिंग क्षेत्र – लीड क्षेत्र के पीछल से नाला गुजरने के कारण गार्डे को पीछी तरफ 50 मीटर की लम्बाई तक, कुल 1.241 हेक्टेयर क्षेत्र की गैर नार्डनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख नार्डनिंग प्लान में किया गया है।
16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाइन डाटा कलेक्शन का कार्य दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 तक किया गया है।
17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित क्षेत्र को 10 कि.मी. की परिधि में संयुक्त 4 प्रजाति पाई गई है। समिति का मत है कि उपरोक्त सबूत आवेदित क्षेत्र का अन्य लीड संरक्षण योजना तैयार कर वन विभाग के स्थान अधिकारी के अनुमोदन उपरंत नार्डिनल ई.आई.ए. में शामिल करते हुए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार किया उपरंत सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

1. आवेदित खदान (खान-परतानवेरु) का रकबा 28.481 हेक्टेयर है। जल यह खदान बी-1 श्रेणी की है।
2. समिति द्वारा विचार किया उपरंत सर्वसम्पत्ति से प्रकल्प बी-1 कोटेनरी का होने के कारण नाला सरकान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित सीएचई एनई लीड निर्देश (टीओआर) और ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज निम्नलिखित इन्सपेक्टेड क्लीयरेंस अफर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का सीएचई टीओआर (लेड गुनवाई सहित) नोन वोल नार्डनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया जाने की अनुमति की गई:-

- i. Project proponent shall submit the land (B-1, P-2) document.
- ii. Project proponent shall submit certificate regarding important structure within 200 meter radius from the mine, from the concerned department.
- iii. Project proponent shall submit the NOC from (DFD) forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.
- iv. Project proponent shall submit the detail proposals of gartland drain, check dams, drainage and also submit Ground Vibration Study alongwith required mitigation measures.
- v. Project proponent shall submit performance report of Baseline Data Generation for preparation of EIA Study Report.
- vi. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- vii. Project proponent shall submit the Environment Management Plan in detail in accordance to MoEF & CC guidelines and EIA Manual.

- viii. Project proponent shall submit the top soil & over burden management plan & incorporate the details in the EIA report.
- ix. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- x. Project proponent shall submit a conservation plan for Schedule-I species and incorporate in the EIA report.
- xi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- xii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- xiii. EIA study shall be done at minimum 08 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xiv. Project proponent shall submit the copy of panorama and photographs of every monitoring station.
- xv. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- xvi. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery of mining lease area & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of plants of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xix. Project proponent shall submit CER proposals preferably for creation of ECO park with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

इसमें उल्लेखित पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन (एन.ई.आइ.ए.ए.) पर्यावरण की संतुलन सुनिश्चित किया जाए।

1. मैसर्स दुलना लाईन स्टोन क्वारी (प्री- की साबैल जेम्स, धाम-दुलना, ताड़वील-अमनपुर, जिला-रायपुर (अधिराज्य का नसीब क्रमांक 2223)

ऑनलाईन आवेदन - एनईआर नम्बर - एमआईएसी/ पीपी/ एमआईएन/ 409378/ 2022, दिनांक 08/12/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह अमरा विस्तार का प्रस्ताव है। यह पूर्ण संयोजित चूना पत्थर (पीन खनिज) खदान है। खदान धाम-दुलना, ताड़वील-अमनपुर, जिला-रायपुर स्थित खदान क्रमांक 657, 658, 663, 665, 668, 669, 673, 684, 695, 698, 699 एवं 698, कुल क्षेत्रफल-2.6 हेक्टेयर में है। खदान की अधिकतम गहराई-50.0022.5 टन प्रतिवर्ष है।

अनुसार परिषदीय प्रस्तावक को एमआईएसी, फरीदाबाद के द्वारा दिनांक 23/12/2022 द्वारा अनुमोदन हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 444वीं बैठक दिनांक 29/12/2022 :

अनुमोदन हेतु की साबैल जेम्स, एमआईएन उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसीब, अनुमति जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने का निम्न निर्णय पार्योक्त:-

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

a. पूर्ण में चूना पत्थर खदान खदान क्रमांक 657, 658, 663, 665, 668, 669, 673, 684, 695, 698, 699 एवं 698, कुल क्षेत्रफल-2.6 हेक्टेयर, क्षमता-26,014 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण प्रशासन निर्देशन प्रतिक्रमा, जिला-रायपुर द्वारा दिनांक 13/12/2017 की जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि अवधि दिनांक 12/12/2022 तक वैध थी।

परिषदीय प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

"GA. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 12/12/2022 तक वैध होगी।

b. परिषदीय प्रस्तावक द्वारा पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी अनुमति की गई है। समिति का मत है कि परिषदीय प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय आवेदन, भारत सरकार,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, नया रायपुर जटल नगर के पूर्व में जारी सर्वेक्षण की खोज का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

- ii. निर्धारित सर्वेक्षण कालांतर नहीं किया गया है।
- iii. कार्यलय कलेक्टर (खनिज खाद्य), जिला-रायपुर के द्वारा क्रमांक/क./ख. दि./वीन-8/2022 रायपुर, दिनांक 04/11/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्ष में किये गये सर्वेक्षण की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रमाणपत्र (एन)
08/02/2018 से 31/03/2018	5,500
2018-2019	25,014
2019-2020	25,014
2020-2021	25,014
2021-2022	25,014

समिति का मत है कि दिनांक 04/04/2022 से किए गए सर्वेक्षण की कार्यालय नया रायपुर के खनिज विभाग से निर्धारित कार्यालय प्रस्तुत किया गया आवश्यक है।

2. ग्राम पंचायत का अनुमति प्रमाण पत्र - सर्वेक्षण के संबंध में ग्राम पंचायत दुल्हा का दिनांक 19/04/2017 का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. सर्वेक्षण योजना - सर्वेक्षण योजना प्रस्तुत किया गया है, जो अनुसूची-संशोधक (ख. प्र.) संशोधन-अध्यक्ष, खनिजी तथा खनिज, नया रायपुर जटल नगर के द्वारा क्र. 8888/खनिज 02/मा.प्र.अनुमति/न.रा.04/2018(2) नया रायपुर, दिनांक 20/11/2022 द्वारा अनुमति है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित सर्वेक्षण - कार्यलय कलेक्टर (खनिज खाद्य), जिला-रायपुर के द्वारा क्रमांक 1779/खनिज./वीन-8/2022 रायपुर, दिनांक 07/11/2022 अनुसार निर्धारित क्षेत्र में 500 मीटर की परिधि में 4 खानों, क्षेत्रफल 5.250 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यलय कलेक्टर (खनिज खाद्य), जिला-रायपुर के द्वारा क्रमांक 1779/खनिज./वीन-8/2022 रायपुर, दिनांक 07/11/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त क्षेत्र में 200 मीटर की परिधि में खोईं-बी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मस्जिद, पूजा, गरी, रेल लाइन, अस्पताल, स्कूल, एनईएट एवं अन्य जैसी प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। न्यूनतम गहराई 120 मीटर की गूनी पर है।
6. सीज का विवरण - सीज की गहराई 10 मीटर पर है। सीज क्षेत्र 30 वर्ग मीटर दिनांक 08/02/2018 से 07/02/2018 तक की अवधि हेतु है।
7. भू-सर्वेक्षण - भूमि खण्ड क्रमांक 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894 एवं 895 की सीमाएं खानों एवं सीमाएं खानों, खण्ड क्रमांक 883 की सीमाएं खानों एवं सीमाएं खानों, खण्ड क्रमांक 884 की सीमाएं खानों एवं सीमाएं खानों के नाम पर है। सर्वेक्षण हेतु भूमि खानों का सर्वेक्षण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की नहीं है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – अनुवीक्षण के दौरान परिवेक्षण प्रदायक द्वारा वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में अनुवीक्ष किया गया कि लीज क्षेत्र से जमी हुई अन्य खदान (खसरा क्रमांक 238 एवं 240, कुल रकबा 1.12 हेक्टेयर) को वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की ही अनापत्ति प्रदान हेतु मान्य विवेक करने हेतु अनुवीक्ष किया है, जिसके अनुसार कार्यालय वनसंरक्षणविभाग, सामान्य वनसंरक्षण, रायपुर के द्वारा क्रमांक/स.वि./रा.वि./2021 रायपुर, दिनांक 15/08/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 100 मीटर की दूरी पर है। समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. महाखदून संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी घन-दुलगा 230 मीटर, स्कूल घन-दुलगा 230 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. दूर है। नहरादी 120 मीटर दूर है। समिति का मत है कि निकटतम आबादी से लीज क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में जानकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजरा) से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है एवं नहरादी से लीज क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में जानकारी कार्यालय अधिकारी, जल संसाधन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
11. परिधिस्थलीय/जैवमिश्रित संरचनाशील क्षेत्र – परिवेक्षण प्रदायक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय खदान, अनापत्ति, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिफलाइन पीम्बुटेड एरिया, परिधिस्थलीय संरचनाशील क्षेत्र या घोषित जैवमिश्रित क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संरक्षा एवं खनन का विवरण – डिप्लोमाधिकार निजर्ग 18,43,730 टन, माईनेसल निजर्ग 8,31,440 टन एवं रिजर्वेशनल निजर्ग 5,13,488 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा बंदी (खसरा के लिए प्रतिवेदित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,887 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेडोन्सहूण्ड विधि से खसरा किया जाता है। खसरा की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में काली मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है। बेस की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संरक्षित आयु 10 वर्ष है। जैक हेमल से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्टाफिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में कालर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का डिफ्यूजर किया जाता है। स्वीच प्रस्तावित खसरा का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ग	प्रस्तावित खसरा (टन)
अथन	80,000.5
ड्रिलिंग	80,000.5
पूरिंग	80,000.5
वायु	80,000.5
पंपन	80,000.5

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति राम पंचायत द्वारा टैंकरी के माध्यम से की जाती है। इस कार्य राम पंचायत का अनादीत उम्मीद पर समुल किया गया है।

14. **कुआरीयन कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की गड्ढी में 1,000 मग कुआरीयन किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा गड्ढी में वास्तव्य** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा गड्ढी का कुल क्षेत्रफल 8,887 वर्गमीटर है, जिसमें से 1,473 वर्गमीटर क्षेत्र 8 मीटर की गहराई तक एवं 1,724 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक है। जिसका उल्लेख अनुमोदित खोली प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा गड्ढी में वास्तव्य किया जाना पर्यावरणीय स्थैर्यता की शर्त का अंग है। अतः परियोजना उदात्तक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि उपरोक्त 7.5 मीटर की सीमा गड्ढी का पुनर्गठन प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही 7.5 मीटर की सीमा गड्ढी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर पौधों का सम्भालन एवं नवनिर्माण कर फोटोडॉक्युमेंट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली द्वारा नीम कोल माइनिंग कोरपोरेशन हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्तें क्रमांक 18/12 के अनुसार--

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े क्षेत्रों को भी कुआरीयन किया जाना आवश्यक है।

17. **पैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र का कुछ भाग दूर से उपखनित होने के कारण 2,365 वर्गमीटर (प्लॉट 1 से प्लॉट 8 तक) क्षेत्र को पैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है।

18. **प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना उदात्तक द्वारा बताया गया कि कलक्टर ने अपने वाली अन्य शर्तों के लिए बैकग्राउंड डाटा कलेक्शन का कार्य विराम 2022 से प्रारंभ किया गया है, नॉनितरिंग का कार्य फरवरी, 2023 तक किया जाएगा। उक्त के संबंध में दिनांक 18/12/2022 को सूचना दी गई। समिति का मत है कि ई.आई.ए. स्टडी रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु बैकग्राउंड डाटा कलेक्शन का कार्य मार्च 2023 तक किया जाना आवश्यक है।**

समिति द्वारा उदात्तक कार्यवाही से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था--

1. ई.आई.ए. स्टडी रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु बैकग्राउंड डाटा कलेक्शन का कार्य मार्च 2023 तक किया जाए।
2. निरुदात्तक अंशों से लीज क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में जानकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

3. जलगादी से लीज क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में जानकारी कार्यपालन अधिनियम, जल संसाधन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
4. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यलय, गंगा नाला, पार्सल, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रारम्भ प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. दिनांक 01/04/2022 से किए गए उखलन की वास्तविक मात्रा की जानकारी स्थानिक विभाग से उपस्थित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
6. लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में इन विभाग से जारी अधिनियम प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
7. प्राथमिक 7.5 मीटर की लीज पट्टी का पुनर्मूल्यांकन प्रारम्भ (Re-evaluation प्रारम्भ) प्रस्तुत किया जाए। पुनर्मूल्यांकन प्रमाण 7.5 मीटर की लीज पट्टी में तीन परिवर्तनों में परिवर्तन का विवरण कर, वीथी का निर्माण एवं सफाई कर श्रेणीकरण प्रस्तुत किया जाए।
8. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े वेस्टी जॉन के कुछ भाग में किये गये उखलन के कारण इस क्षेत्र के अधिभूत जमीन (Benevolent Occupancy) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र से अंदर माईनिंग डिपार्टमेंटों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक जमीन तथा पूंजावेला आदि के किये सम्पत्ति जमीन को विन्यासित करने संबंध में संघालक, संघालनालय, सीमित तथा स्थानिक, इंडस्ट्री भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (अलीमगढ़) को लेख किया जाए।
9. इतिहासिक 7.5 मीटर चौड़ी लीज पट्टी में अतिक्रमण किया जाना एवं जाने पर परिवर्तना प्रस्तावक को विरुद्ध निष्पत्तुकर वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संघालक, संघालनालय, सीमित तथा स्थानिक को एवं पर्यावरण की प्रति पट्टीकरण हेतु अलीमगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

संबंधित अधिनियम जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने पर्याप्त जानकारी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एन.ई.ए.सी., अलीमगढ़ को ज्ञापन दिनांक 22/02/2023 को परिशेष में परिपोषण प्रस्तावक द्वारा प्राप्त दिनांक 02/08/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(र) समिति की 420वीं बैठक दिनांक 27/09/2023:

समिति द्वारा गरी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. ई.आई.ए. सटीक रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु वेस्टाईन साइट कार्यस्थल का कार्य दिनांक 2022 से मार्च 2023 तक किया गया है।
2. निकटतम जलगादी से लीज क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में गंगाजाल नाला एकीकरण योजना, जिला-रायपुर को ज्ञापन दिनांक 12/08/2017 द्वारा जारी स्थल जॉन प्रतिवेदन अनुसार "जलगादी से 320 मीटर, नदी से 180 मीटर, मुख्य मार्ग से 1.4 कि.मी. दूर है, जिस पर उखलन होने से जलगादी पर एवं परिवहन दिशा में स्थित खेतों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।" होना बताया गया है।

3. महानदी के लीज क्षेत्र की वार्षिक दूरी के संबंध में कार्यालय कार्यालय अभियंता, जल संवर्धन संभाग डा. 1, रायपुर के द्वारा क्रमांक 2221/राज/रायपुर दिनांक 23/08/2023 के अनुसार "लीज क्षेत्र की महानदी तटबंध से वार्षिक दूरी 120 मीटर है।" होना बताया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/02/2023 को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर में आवेदन किया जाना बताया गया है, जो अद्यतन है। सदस्य सचिव, भारतीय पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर में दिनांक 01/08/2023 आवेदन किया गया है। एम.ई.ए.सी. के द्वारा दिनांक 22/02/2023 के माध्यम से एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु अनुरोध पत्र भेजा गया था, जो आज दिनांक तक अद्यतन है।

समिति यह बात है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संश्लेषण दिनांक 08/08/2022 अनुसार-

A. Proposals involving expansion of existing EC

i. At the time of issuance of expansion TOR, the MS of EAC/SEAC shall endorse a copy of the TOR to the concerned IRO of MoEF&CC. Based on the same, project proponent shall approach the concerned IRO of MoEF&CC to issue CCR. Such request shall be expeditiously considered and disposed of by the concerned IRO within a time frame of three months from the date of application of project proponent. In case, the CCR is not issued within three months, the project proponent shall approach concerned Regional Offices of Central Pollution Control Board (CPCB) or MS of respective State Pollution Control Boards (SPCB) or State Pollution Control Committees (SPCCs) for the same. है। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से तीन माह के भीतर प्रस्ताव नहीं होने की दशा में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन हेतु भारतीय पर्यावरण संरक्षण मंडल को भेजा किया जाना आवश्यक है।

5. कार्यालय इंजीनियर (अभियंता रायपुर), जिला-रायपुर के द्वारा क्रमांक/828/अभियंता/रायपुर/राज-अन्य/2023 रायपुर दिनांक 08/08/2023 द्वारा जारी अद्यतन पत्र अनुसार अक्टूबर 2022 में मार्च 2023 तक कुल 25.014 टन उत्खनन किया गया है।

6. कार्यालय वन्यजन्तुसंरक्षक, रायपुर वनमंडल, रायपुर के द्वारा क्रमांक/राज.अ./रा/1474 रायपुर, दिनांक 18/08/2023 से जारी अनुरोधित प्रमाण पत्र अनुसार "अनुवेष्टित लीज की भूमि इस वन परिसर के निकटस्थ वनोच्च से 250 मीटर की वार्षिक दूरी से अधिक दूरी पर है। अनुवेष्टित लीज भूमि क्षेत्र की सीमा में अर्थात् 10 कि.मी. की दूरी पर कोई वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान नहीं है।" होना बताया गया है।

7. अनुवेष्टित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनर्भरण प्लान (Restoration plan) अनुवेष्टित उत्खनन योजना में किया गया है। 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में एक अन्य खण्ड (निजी भूमि अर्थात् क्रमांक 728, 890 एवं 715) में पौधों का रोपण

कर, वीरों का नामांकन एवं मासिक कर प्रोटोकॉल सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

8. माननीय एन.डी.डी., डिस्ट्रिक्ट वेज, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च राष्ट्रीय विस्फोटक बालक कारखाना, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं जन्व (अपरिष्कृत एनिलॉयन नं. 188 जीक 2018 एवं जन्व) में दिनांक 13/09/2018 को प्रेषित आदेश में कुछ रूप से विन्ययुक्त निर्दिष्ट किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster of an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से विन्ययुक्त निर्दिष्ट किया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (प्रतिष्ठान शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1179/ख. लि./तीन-8/2022 रायपुर, दिनांक 07/11/2022 अनुसार आवेदित खदान से 800 मीटर की सीमा अवस्थित 4 खदानों, क्षेत्रफल 5,208 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (घान-दुलन) का खनन 28 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (घान-दुलन) की मिलाकर कुल खनन 7,208 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 800 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर से अधिक का कवरज निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की वर्गीकृत की।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन से संबंध में पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय को पत्र भेजा किया जाय।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से उपरोक्त 'बी' श्रेणी का होने के कारण मानक सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित रीकॉर्ड्स एन्ड ऑफ रिजर्भ (टीओआर) और ईआईए / ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिजर्वेशन इन्वायर्समेंट क्लेयरेंस अफर ईआईए, नॉन-फिजिकल, 2008 में वर्णित श्रेणी 1(ग) का रीकॉर्ड्स टीओआर (जोकि सुनवाई सहित) वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूर्व निम्न अधिलिखित टीओआर के साथ जारी करने वाले की अनुमति की गई—

- Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Chhattisgarh Environment Conservation Board.
- Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
- Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil and over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

- vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- viii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- ix. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintenance of water bodies & prepare and submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahawadi.
- x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xi. Project proponent shall submit the copy of panorama and photographs of every monitoring station.
- xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 03.08.2017.
- xv. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xvii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance

to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

- ix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

सम्बन्धित पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिकूल (एच.ई.आइ.ए.ए.), जलसिंचना के उपानुसार सुचित किया जाय। साथ ही जलसिंचना पर्यावरण संरक्षण मंडल को यह ज्ञात किया जाय।

2. मेसर्स आईन स्टोन खनो (पै.- सीनोई कर्मिता जैन, ग्राम-दुलगा, तहसील-अनूपपुर, जिला-रायपुर (अधिकार का नसी अर्थांक 2225)

औसत आईन आवेदन - पर्यावरण नम्बर - एच.ई.आइ.ए./ सीजी/ एच.ई.आइ.ए./ 402021/2022, दिनांक 08/12/2022 द्वारा ही.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

अवकाश का विवरण - यह अवकाश सिंचना का अवकाश है। यह पूर्व में संघारित कुल पत्थर (सीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-दुलगा, तहसील-अनूपपुर, जिला-रायपुर जिला अवकाश अर्थांक 433/1, 880 एच 501, कुल क्षेत्रफल-1.377 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता-83,488 टन प्रतिवर्ष है।

संबन्धित परियोजना अवकाश को एच.ई.ए.सी, जलसिंचना के द्वारा दिनांक 23/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

बैठकी का विवरण -

(क) समिति की 44वीं बैठक दिनांक 28/12/2022 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सचिव जैन, अधिकृत समिति उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने का निम्न सिद्धि आई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

1. पूर्व में कुल पत्थर खदान अवकाश अर्थांक 433/1, 880 एच 501, कुल क्षेत्रफल-1.377 हेक्टेयर, क्षमता-12,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण संरक्षण निदेशक प्रतिकूल, जिला-रायपुर द्वारा दिनांक 14/05/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अवधि दिनांक 13/05/2023 को अवधि तक वैध है।

परियोजना अवकाश द्वारा बताया गया कि पाठ्य संघार, पर्यावरण का और जलवायु परिवर्तन संरक्षण, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/04/2021 अनुसार-

"BA, Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

पर्यवेक्षण अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की केवल जारी दिनांक से दिनांक 13/08/2024 तक वैध होगी।

- क. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन अधिवेशन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- ख. निर्दिष्ट शर्तनुसार पूराकरण नहीं किया गया है।
- ग. कार्यालय कलेक्टर (अग्नि शाखा), जिला-रायपुर के डायन क्रमांक/क./ख. ति./वीन-8/2022 रायपुर, दिनांक 04/11/2022 द्वारा जारी डायन पर अनुसार विषय शर्तों में किये गये उल्लंघन की जानकारी विम्बानुसार है—

वर्ष	उत्पदन (टन)
2017-18	12,380
2018-19	15,000
2019-20	15,000
2020-21	15,000
2021-22	15,000

समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2022 से किन्तु नए उत्पादन की वार्षिक मात्रा की जानकारी सत्रिय विधायक से प्राप्तित करके प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. डायन संशोधन का अनामति डायन पर - उल्लंघन की संख्या में डायन संशोधन डायन का दिनांक 08/08/2022 का अनामति डायन पर प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्पादन योजना - सीनल ऑफ अटली आईडिंग प्लान एलॉग विथ आईडिंग कॉन्डर प्लान विथ इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो रायपुर-रावापल (ख.प्र.) संघालनालय, बीनिसी तथा सत्रियन, नया रायपुर अटल नगर के पु. डायन का 8884/अग्नि 02/रा.प.अनुमोदन/4.02.04/2018(3) नया रायपुर, दिनांक 20/11/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 800 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (अग्नि शाखा), जिला-रायपुर के डायन क्रमांक 1782/अग्नि./वीन-8/2022 रायपुर, दिनांक 07/10/2022 अनुसार अधिवित खदान की 800 मीटर की मीटर अधिवित 4 खदान, सीनकल 6.482 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित कार्बनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (अग्नि शाखा), जिला-रायपुर के डायन क्रमांक 1782/अग्नि./वीन-8/2022 रायपुर, दिनांक 07/10/2022 द्वारा जारी डायन पर अनुसार खदान की 200 मीटर की परिधि में कोई भी कार्बनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मस्जिद, कुल, नदी, पेस आईन, अनायास, मसुन, एनीकट बांध एवं खल आधुनि अधि अधिवित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. सीनल का विवरण - सीनल बीनसी कठित वीन के नाम पर है। कुल उत्पादनका विवरण 10 वर्ष की अवधि में हेतु खदान 0.587 हेक्टेयर क्षेत्र पर दिनांक

22/09/2012 से दिनांक 21/09/2022 तक एवं एका 0.75 हेक्टेयर क्षेत्र पर दिनांक 14/02/2011 से 13/02/2021 तक कुल चट्टा निष्कासित किया गया था। अवधि विस्तार को अनुसार टीवी खदानों का सम्मिलित आवेदन को तहत नियम 51(4) के तहत अवधि दिनांक 14/02/2021 से दिनांक 13/02/2021 तक विस्तारित किया गया है।

7. नू-स्वामिन - भूमि खसत क्रमांक 433/1, 591 श्री योगेश चंदावी एवं सीमती सविता जैन तथा खसत क्रमांक 590 श्री सचिन जैन के नाम पर है। परमाणु हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र - प्रस्तुतीकरण को दौरान परियोजना प्रभावक द्वारा वन विभाग द्वारा जारी अनुमति प्रमाण पत्र के संकेत में अनुमति किया गया कि लीज क्षेत्र से जारी हुई अन्य खदान (खसत क्रमांक 239 एवं 240, एका 1.12 हेक्टेयर) को वन विभाग द्वारा जारी अनुमति प्रमाण पत्र की ही आवेदन प्रकरण हेतु मान्य किंचे जाने हेतु अनुमति किया है, जिसके अनुसार सार्वजनिक वनसम्पदाविहारी, सामान्य वनसम्पदा, रावपुर के ग्राम्य क्रमांक/वा.वि./रा./2571 रावपुर, दिनांक 16/05/2018 से जारी अनुमति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 750 मीटर की दूरी पर है। समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वार्षिक दूरी के संकेत में वन विभाग से जारी अनुमति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. महानदी संरक्षणी की दूरी - निकटतम आबादी राम-दुलना 320 मीटर, स्कूल राम-दुलना 320 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. दूर है। महानदी 350 मीटर दूर है। समिति का मत है कि निकटतम आबादी से लीज क्षेत्र की वार्षिक दूरी के संकेत में जानकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजसद) से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है एवं महानदी से लीज क्षेत्र की वार्षिक दूरी के संकेत में जानकारी कार्यालय अनिवार्य ताल संसाधन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
11. पारिस्थितिकीय/संवर्धित संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रभावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संवर्धित प्रमुख निर्यात रोड द्वारा घेरित इतिहासी पील्गुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घेरित पारिस्थितिक क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
12. खनन संभव एवं खनन का विवरण - जियोटेक्निकल रिजर्व 2,12,879 टन, पाईपलाइन रिजर्व 3,83,258 टन एवं निकटतम रिजर्व 3,83,848 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,612 वर्गमीटर है। खनन कास्ट सेरी मेकैनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 29.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। क्षेत्र की चौड़ाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 6.52 वर्ष है। लीज क्षेत्र से डिज़निंग एवं स्टाबिलिटींग किया जाता है। लीज क्षेत्र में उत्तर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना कर प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में संपूर्ण प्रमुख निर्यात हेतु ताल का सिंचन किया जाता है। वर्षाकर प्रस्तावित उत्खनन को विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित व्यय (₹)
प्रथम	54,000
द्वितीय	59,250
तृतीय	65,667.5
चतुर्थ	51,300
पंचम	47,007.5

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति घन पंपाघाट द्वारा टैंकरी के माध्यम से की जाती है। इस कार्य घन पंपाघाट का अंतर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. कुआरेशन कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में घाटी और 7.5 मीटर की गहरी में 1,000 घन कुआरेशन किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा गहरी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के घाटी और 7.5 मीटर की सीमा गहरी का कुल क्षेत्रफल 4,812 वर्गमीटर है, जिसमें से 540 वर्गमीटर क्षेत्र 3 मीटर की गहराई तक एवं 282 वर्गमीटर क्षेत्र 5.5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित कर्तरी प्रमाण में किया गया है। प्रतिबन्धित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा गहरी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय सर्वेक्षण की कर्तरी का उत्तराह्वान है। अतः परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार आवश्यक सर्वेक्षाएँ किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा गहरी का पुनर्गठन प्रमाण (Restoration plan) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही 7.5 मीटर की सीमा गहरी में लीज पश्चिम में सीमा का रोपण कर, सीमा का नमोकरण एवं नवीनीकरण कर पर्यावरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लीज क्षेत्र नॉर्दर्निंग ग्रीनबेल्ट हेतु भारत पर्यावरणीय कर्तरी जारी की गई है। कर्तरी क्रमांक 138/23 के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मन्त्रक कर्तरी के अनुसार नॉर्दर्निंग लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े रोपटी लीज में कुआरेशन किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कलक्टर में जाने वाली अन्य खदानों के लिए बैकलाइन बाटा कनेक्शन का कार्य दिसंबर 2022 से शुरु किया गया है। उक्त के संबंध में दिनांक 18/12/2022 की सूचना दी गई। समिति का मत है कि ई.आई.ए. सटडी रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु बैकलाइन बाटा कनेक्शन का कार्य मार्च 2023 तक किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उत्खनन सर्वेक्षण से निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-

1. ई.आई.ए. सटडी रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु बैकलाइन बाटा कनेक्शन का कार्य मार्च 2023 तक किया जाए।

2. निवृत्तता आवादी से लीज क्षेत्र की वार्षिक दूरी के संबंध में जानकारी अनुसंधानीय अधिकारी (एनआई) से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. महानदी से लीज क्षेत्र की वार्षिक दूरी के संबंध में जानकारी कार्पोरेशन अधिकारी, जल संवर्धन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
4. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, बाटा बरबहार, पर्यटन, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रावपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का फालन इतिहास प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. दिनांक 04/04/2022 से किट गट्ट उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रदानित करके प्रस्तुत किया जाए।
6. लीज सीमा से निवृत्तता का क्षेत्र की वार्षिक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनुमति प्रदान कर की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
7. अनुमति 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनःप्राप्त प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किया जाए। पुनःप्राप्त प्लान 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का संवर्धन एवं रखरखाव कर भीतरावला प्रस्तुत किया जाए।
8. बाईन लीज क्षेत्र के घनी क्षेत्र 7.5 मीटर चौड़े सीमा पट्टी के कुछ भाग में किचे गेट उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपरवी सुधारी (Surface Measurement) से संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर बाईनिंग विचारणाओं के कारण उत्खनन प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा फुलरॉपमेंट आदि से किचे समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत संघालक, संघालनालय, नीमिडी तथा खनिज, इंधन, वन, नया रावपुर अटल नगर, जिला – रावपुर (प्रतीसगढ़) को लेख किया जाए।
9. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अधिक उत्खनन किया जाने वाले जगह पर परिशोधन प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किचे जाने हेतु संघालक, संघालनालय, नीमिडी तथा खनिज को एवं पर्यटन को प्रति सूचना हेतु उपरीसगढ़ पर्यटन संवर्धन मंत्रालय, नया रावपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किचे जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त बर्धित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरंत अगामी कार्यवाही की जाएगी।

सदामुख एन.ई.ए.सी., प्रतीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 22/02/2023 के बर्धित में परिशोधन प्रस्तावक द्वारा प्राप्त दिनांक 02/08/2023 की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 27/08/2023

समिति द्वारा जारी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. ई.आई.ए. अटली रिपोर्ट तैयार किचे जाने हेतु वेस्टलईन बाटा कार्पोरेशन का कार्य दिसम्बर 2022 से मार्च 2023 तक किया गया है।
2. निवृत्तता आवादी से लीज क्षेत्र की वार्षिक दूरी के संबंध में तद्वर्ती अनुमति द्वारा जारी पट्टा की इतिहास दिनांक 08/03/2022 के अनुसार वन-पुनरा से





288 मीटर, घास-पटेरा से 3 कि.मी., नाला से 402 मीटर एवं तालाब से 312 मीटर दूर होना बचाया गया है।

3. नाला की सेज क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में कार्यालय कार्यालय अभियंता, जल प्रबंध संभाग क्र. 1, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2220/तक/रायपुर दिनांक 23/08/2023 के अनुसार "सेज क्षेत्र की नाला की वास्तविक दूरी 280 मीटर है।" होना बचाया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/08/2023 को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिबंध प्राप्त करने हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर में आवेदन किया जाना बचाया गया है, जो अग्रगत है। सदस्य सचिव, क्लॉसिंग प्रशासन संभाग, रायपुर में दिनांक 21/08/2023 आवेदन किया गया है। ईआईएसी, के ज्ञापन दिनांक 22/08/2023 के माध्यम से एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिबंध प्रेषित करने हेतु अनुरोध पत्र लेख किया था, जो आज दिनांक तक अग्रगत है।

समिति का मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या दिनांक 08/08/2023 अनुसार-

A. Proposals involving expansion of existing EC

1. At the time of issuance of expansion TOR, the MS of EAC/SEAC shall endorse a copy of the TOR to the concerned IRO of MoEF&CC. Based on the same, project proponent shall approach the concerned IRO of MoEF&CC to issue CCR. Such request shall be expeditiously considered and disposed of by the concerned IRO within a time frame of three months from the date of application of project proponent. In case, the CCR is not issued within three months, the project proponent shall approach concerned Regional Offices of Central Pollution Control Board (CPCB) or MS of respective State Pollution Control Boards (SPCB) or State Pollution Control Committees (SPCCs) for the same. है। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से तीन महीने के भीतर प्राप्त नहीं होने की दशा में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिबंध हेतु क्लॉसिंग प्रशासन संभाग को लेख किया जाना आवश्यक है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज संसाधन), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/828/खनिज/घुप./न.सं.-एसी/2023 रायपुर, दिनांक 08/08/2023 द्वारा जारी ज्ञापन पत्र अनुसार अगस्त 2022 से मार्च 2023 तक कुल 15,000 टन उत्खनन किया गया है।
6. सेज क्षेत्र के विकसित एवं क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में जल विभाग से जारी अनुरोधित ज्ञापन पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि जल विभाग पत्र ईआईए, रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
7. उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनर्स्थापन प्लान (Rehabilitation plan) अनुमोदित प्राप्त करना में किया गया है। 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में एवं अन्य स्थान (गिरी भूमि प्लान क्रमांक 708, 880 एवं 716) में सीमा का संरक्षण

उपर, नीचे का सम्बन्धन एवं सम्बन्धि का प्रोटोकॉल सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

- a. सामूहिक एवं जी.डी. डिफिण्ड क्षेत्र, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च राष्ट्रीय विस्फोट गणतंत्र सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संरक्षण, नई दिल्ली एवं अन्य (नोटिफिकेशन एनिलोकेशन नं. 188 जीए 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पत्रित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्देश किया गया—

1. कार्यालय कोलेक्टर (समिति साख), जिला—रायपुर से आवन क्रमांक 1782/ख. ति./तीन-8/2022 रायपुर, दिनांक 07/10/2022 अनुसार आवंटित खदान से 800 मीटर की सीमा अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 8.882 हेक्टेयर है। आवंटित खदान (घान-दुलगा) का सन्धा 1.377 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवंटित खदान (घान-दुलगा) की मिजरात कुल सन्धा 1.888 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 800 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संघालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 9 हेक्टेयर से अधिक का कस्तार निर्मित होने से कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की शयी नहीं।
2. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन अधिबेदन के संबंध में प्रतीतगण्ड पर्यावरण संरक्षण संरक्षण को पत्र भेज किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से आवन 'बी' श्रेणी का होने से कारण गणतंत्र सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संरक्षण द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित नोटिसाई टर्म्स ऑफ रिक्लिस (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. निर्देश और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायर्ड इन्वायर्मेंट इलैबोरेश अनुसार ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में शरीत श्रेणी 1(ग) का नोटिसाई टीओआर (शोक पुनर्गाई सहित) तीन कोल सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अधिलिखित टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई—

- i. Project proponent shall submit the individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Chhattisgarh Environment Conservation Board.
- iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
- iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil and over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&OC.



- vi. Project proponent shall submit the NDC issued by the DFO with monitoring the distance of the nearest forest area from the lease boundary.
- vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
 - b. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
 - a. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintenance of water bodies & prepare and submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi.
 - ii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
 - iii. Project proponent shall submit the copy of panoramas and photographs of every monitoring station.
 - iiii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- ix. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- x. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.06.2017.
- xi. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xiii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xiv. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The

plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

- ix. Project proponent shall submit GER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

उक्त शर्तीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन (एच.ई.आई.ए.ए.), अतीसमय को उपानुसार सुधित किया जाए। साथ ही अतीसमय पर्यावरण संरक्षण संयंत्र को भी संकलित किया जाए।

3. **पैदाई जमीन विवरण (जे.- बीमती जमीन चन्दा, घाम-केन्दुवार, तारसील-कटाईवासी, जिला-महासमुद्र (पश्चिमांचल का नक्शे क्रमांक 2100))**

ऑनलाइन आवेदन - प्रयोजन क्रमा - एसआईए/ सीजी/ एनआईए/ 401232/2022, दिनांक 24/09/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमिटी होने से ज्ञापन दिनांक 21/10/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सशिष्ट जानकारी दिनांक 19/02/2023 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई। परन्तु परियोजना पोर्टल में तकनीकी त्रुटि होने के कारण सशिष्ट जानकारी दिनांक 17/05/2023 को प्राप्त हुआ।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्लॉट में संघटित मिट्टी उत्खनन (सीम खनिज) खदान है। खदान घाम-केन्दुवार, तारसील-कटाईवासी, जिला-महासमुद्र स्थित खसरा क्रमांक 25/1, 120/1, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132/1, 132/2, 132/3, 134 एवं 135/1, कुल क्षेत्रफल-4.882 हेक्टेयर में है। जिला प्लॉट क्रमांक-3,348 चणवीटर (डिटे निर्माण इकाई-25,00,000 वर्ग) प्रतिफल है।

उपानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., अतीसमय को ज्ञापन दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुधित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) सशिष्टि की 44वीं बैठक दिनांक 24/05/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु बीमती जमीनचन्दा, डेनरआईटा उपस्थित हुए। सशिष्टि द्वारा नक्शे, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिधिति पाई गई-

1. प्लॉट में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

1. प्लॉट में मिट्टी उत्खनन खदान खसरा क्रमांक 25/1, 120/1, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132/1, 132/2, 132/3, 134 एवं 135/1, कुल क्षेत्रफल-4.882 हेक्टेयर, क्रमांक-4,800 चणवीटर प्रतिफल हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण संरक्षण निरीक्षण प्रतिवेदन जिला-सुपौरी द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19/01/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष हेतु वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"6A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 18/01/2024 तक वैध होगी।

- परिचालन प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- निर्धारित शर्तानुसार कूचरोपण नहीं किया गया है। शर्तों का पता है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार कूचरोपण इसी मानक में कर्तव्य रूप में संख्यांक (Numbering) एवं पंजे के नाम का उल्लेख किया जाकर खोटीबावना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-महासमुद्र के ज्ञापन क्रमांक 1178/क/खनि/म.स. /2021 महासमुद्र, दिनांक 21/09/2022 द्वारा जारी ज्ञापन पर अनुसार विगत वर्षों में किये गये उपायों की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उपाय (रुप)
दिनांक 01.01.2018 से 30.08.2018 तक	निरंक
दिनांक 01.07.2018 से 31.12.2018 तक	निरंक
दिनांक 01.01.2019 से 30.08.2019 तक	30.50,000
दिनांक 01.07.2019 से 31.12.2019 तक	निरंक
दिनांक 01.01.2020 से 30.08.2020 तक	3.11,800
दिनांक 01.07.2020 से 31.12.2020 तक	निरंक
दिनांक 01.01.2021 से 30.08.2021 तक	13,00,100
दिनांक 01.07.2021 से 30.08.2021 तक	निरंक
दिनांक 01.10.2021 से 31.03.2022 तक	18,89,800

दिनांक 21/09/2022 के उपरोक्त विधि एवं उपायों की कार्यादेश नाम की अधिसूचना के तहत खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- वाम संसाधन का अनावृत्त ज्ञापन पर - उपायों के संबंध में वाम संसाधन को सुधार का दिनांक 18/01/2018 का अनावृत्त ज्ञापन पर प्रस्तुत किया गया है।
- उत्खनन योजना - जारी प्लान एलांग विधि जारी करवाकर प्लान एलांग इन्फार्मेशनल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संसाधक (खनि.प्रशा.), जिला-समपुर के पु. ज्ञापन क्रमांक/क/खनि./सीन-8/2017 समपुर, दिनांक 18/11/2017 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की शर्तों में विगत करवा - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुद्र के ज्ञापन क्रमांक 1178/क/खनि/म.स. /2021 महासमुद्र,

दिनांक 21/09/2022 की अनुसार अधिसूचित खदान से 800 मीटर के भीतर कोई अन्य मिट्टी खदान अधिसूचित नहीं है।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (जमि खाना), जिला-महासमुंद के डायन क्रमांक 1178/क/जमि/सख./2021 महासमुंद, दिनांक 21/09/2022 की अनुसार द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार एकल खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ, पूजा, मदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एंग्रीकॉर्ट एवं बंध आदि अधिसूचित क्षेत्र निर्दिष्ट नहीं है। सार्वजनिक-सार्वजनिक बर्न लगभग 100 मीटर दूर है।
6. लीज का विवरण - लीज बीगटी 28वीं चक्रा के नाम पर है। लीज बीड 30 वर्ष अधिसूचित दिनांक 22/02/2018 से 22/02/2048 तक की अवधि हेतु है।
7. भू-सूचिका - भूमि खसरा क्रमांक 25/1, 122, 128, 130, 132/1, 132/2, 132/3, 134 एवं 136/1 की सनीज अडवाला, खसरा क्रमांक 120/1, 123, 124, 125, बीगटी वर्ष अडवाला, खसरा क्रमांक 121 की महा लाल, की मिथला, पानी, सुकमोति, खसरा क्रमांक 122, 128 की पशु, खसरा क्रमांक 127, 129 बीगटी आसमोति के नाम पर है। जलखनन के संकेत में श्री सनीज अडवाला, की महा लाल, की मिथला, पानी, सुकमोति, की पशु, बीगटी आसमोति का सार्वजनिक पर प्रस्तुत किया गया है। सविधि का मत है कि जलखनन के संकेत में खसरा क्रमांक 122 की सनीज अडवाला का सार्वजनिक पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अधिसूचित प्रमाण पत्र - कार्यालय जलसंयोजक/सीडी, सामान्य सार्वजनिक, जिला-महासमुंद के डायन क्रमांक वा.वि./82 महासमुंद, दिनांक 04/01/2023 से जारी अधिसूचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. महासमुंद संरचनाओं की दूरी - निकटतम आसानी घास-संग्रहण + डि.पी., स्कूल सार्वजनिक 8 कि.मी. एवं अस्पताल सार्वजनिक 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता सार्वजनिक क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में जलसंयोजक सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संघीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित जलसंयोजक सीमा/सीमा के अंतर्गत, पारिस्थितिकीय सार्वजनिक क्षेत्र का घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने अधिसूचित किया है।
12. खनन सीमा एवं खनन का विवरण - डिप्लोमा/डिप्लोमा रिजर्व 60.660 सन्मीटर, माईनर रिजर्व 64.210 सन्मीटर एवं रिजर्वेशन रिजर्व 66.460 सन्मीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (जलखनन के लिए अधिसूचित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1.660 सन्मीटर है। खनन साइट मैनुअल विधि से प्रस्तुत किया जाता है। जलखनन की अधिसूचित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। क्षेत्र की चौड़ाई 1 मीटर एवं गहराई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.18 हेक्टेयर में क्षेत्र ईट निर्माण हेतु भूदा अधिसूचित किया जाना अधिसूचित है। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के सात 50 अधिसूचित गहराई रेंज का उपयोग किया जाता है। खदान की अधिसूचित



कायु 29 वर्ष है। कायान में कायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का डिस्चार्ज किया जाता है। अनुसंधित स्वच्छ प्वात अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उपखनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उपखनन (घनमीटर)	लागत (₹)
प्रथम	3,200	24,00,000
द्वितीय	3,200	24,00,000
तृतीय	3,200	24,00,000
चतुर्थ	3,210	24,07,500
पंचम	3,210	24,07,500

आगामी वर्षों का उपखनन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उपखनन (घनमीटर)	लागत (₹)
प्रथम	3,220	24,15,000
द्वितीय	3,220	24,15,000
तृतीय	3,275	24,98,250
चतुर्थ	3,290	24,90,250
पंचम	3,348	25,08,500

- जल आपूर्ति - परिधीयता हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति सोपेल के माध्यम से की जाती है। नू-जल की उपस्थिति हेतु सोपेल इन्फ्रार स्ट्रक्चर असेंबली की अनुमति प्राप्त कर अनुसूचित किया गया है।
- वृक्षादीयन कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 820 पत्र वृक्षादीयन किया जाएगा। अनुसूचित प्रकार अनुसार पौधों के लिए प्रति 20,000 रुपये, सीडिंग के लिए प्रति 2,41,800 रुपये, खाद के लिए प्रति 3,280 रुपये, सिंचाई एवं सड़क-सहाय कार्य के लिए प्रति 38,000 रुपये, इस प्रकार कुल प्रति 3,09,480 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं सड़क-सहाय हेतु कुल प्रति 1,44,000 रुपये आगामी पांच वर्षों हेतु प्रत्येकवार व्यय का विवरण अनुसूचित किया गया है।
- गैर माइनिंग क्षेत्र - माइनिंग प्वात अनुसार लीज क्षेत्र में 100 वर्गमीटर क्षेत्र को अधिनियम निर्माण के लिए गैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका पंजीयन किया गया है।
- अनुसूचित माइनिंग प्वात में उल्लेखित अक्षांत एवं देशांत के अक्षर पर पुराने के माध्यम से डी.एम.एल. कार्डिंग में देखे जाने पर विनयी भट्टा का अक्षर भाग लीज क्षेत्र को अंदर एवं अक्षर भाग लीज क्षेत्र को बाहर स्थानित होना पड़ा गया। जबकि अनुसूचित स्वच्छ प्वात को लेम्बे कुल पैटर्न अनुसार लीज क्षेत्र को भीतर 0.18 हेक्टेयर में क्षेत्र ईट निर्माण हेतु भट्टा स्थानित किया गया है, परंतु रिजर्व की संपत्ति में स्थानित भट्टा 0.18 हेक्टेयर में क्षेत्र को गैर माइनिंग क्षेत्र रखते हुए रिजर्व की संपत्ति नहीं किया गया है। समिति का मत है कि विनयी भट्टा (डिस्कल विनयी) को विनयीकरण कर, लीज क्षेत्र को भीतर 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उपखनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़ते हुए विनयी स्थानित किये जाने हेतु रिजर्व की संपत्ति को संबंधित माइनिंग प्वात अनुसूचित किया जाना आवश्यक है।

17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय ज़िम्मेदार (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से कार्य प्रस्तुत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
48.73	2%	0.93	Following activities at Govt. Primary School Village - Kandudhar	
			Plantation with fencing	1.464
			Total	1.464

- सी.ई.आर. के अंतर्गत कुलरोपण (नीम, पीपल, आम, कपड़, कदम, जाड़ुन, जंबोज, जमलासक, बरगद आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नम पीपल के लिए राशि 8,000 रुपये, पीपल के लिए राशि 80,000 रुपये, आम के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंघाई एवं लख-लखान के लिए राशि 17,000 रुपये, इस प्रकार कुल नर्सरी में कुल राशि 89,000 रुपये तथा लगभग 4 वर्षों में कुल राशि 90,400 रुपये हेतु पर्यवेक्षण कार्य का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
18. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के कार्य (Mandatory) का सहायता पत्र प्रस्तुत किया गया है।
19. परियोजना से दिन-दिन स्वामी की कम्प्लिटेड कन्ट्रैक्ट एग्जाईक्यूटिव होना, उन स्वामी पर नियमित जल विद्युत की व्यवस्था किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. माइनिंग लीज क्षेत्र की अंदर समान कुलरोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सारवाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत बाउण्ड्री विलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत सीमांकन कन्ट्रैक्ट खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार कार्य स्थापित किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण विधियों के तहत स्वामीय लोको को रोजगार किये जाने हेतु समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस प्रकार का नोटिस को सत्यापित समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसकी विस्तृत भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लक्षित नहीं है।



29. परिचोदना प्रस्तावक द्वारा इस आवेदन का समर्थन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके निरूद्ध इस आवेदन से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकल्प देना के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में उचित नहीं है।

समिति द्वारा उल्लेख्य कार्यसमिती से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. पूर्व में जारी न्यायालयीय स्वीकृति के शर्तों के अनुसार निर्धारित शर्तानुसार कुशासन इली मानसून में सबसे हार्द शर्तों में संख्यांक Numbering एवं पीठ के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोसहस्य सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. दिनांक 21/03/2022 के उपरोक्त सिद्द गद् उल्लेखन की कार्यालय भाग की उपरोक्त जानकारी उचित विधान से उपस्थित कलाकल प्रस्तुत किया जाए।
3. उल्लेखन के संकेत में मुनि जगदा इनांक 122 के दू-सामी की मनेज उपरोक्त का समिती पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तुत माईनिंग प्लान में उल्लेखित आवेदन एवं देसांत की उपरोक्त पर मुनल की मन्थन से की.एम.एल. काईल में देखे जाने पर विमनी मद्दत का अथा नाम लीज क्षेत्र की अंदर एवं अथा नाम लीज क्षेत्र की बाहर स्थापित होना पनाया गया। जबकि प्रस्तुत कराई प्लान के लेखक मुज पैटर्न अनुसार लीज क्षेत्र की पीठर 0.18 हेक्टेयर में क्षेत्र ईट निर्माण हेतु मद्दत स्थापित किया गया है, परंतु निर्णय की मन्थन में स्थापित मद्दत 0.18 हेक्टेयर में क्षेत्र की पीठ माईनिंग क्षेत्र लको हुये निर्णय की मन्थन नहीं किया गया है। समिती का मत है कि विमनी मद्दत (किमया विमनी) को डिमिटेड कर, लीज क्षेत्र की पीठर 1 पीठर पीछी लीज मद्दती (उल्लेखन के सिद्द प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़ते हुये विमनी स्थापित किये जाने हेतु निर्णय की मन्थन कर संबंधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
5. एक लाख ईट निर्माण हेतु किराने कोयले की आवश्यकता होनी के संकेत में मन्थन सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही कोयले की परिचयन एवं मन्थन हेतु की गई आवश्यक व्यवस्था की जानकारी भी प्रस्तुत किया जाए।
6. परिचोदना प्रस्तावक द्वारा बरिष्प में न्यायालयीय स्वीकृति प्राप्त किये किने किने उल्लेखन नहीं करने एवं समता से अधिक उल्लेखन नहीं करने बाबद् समर्थ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. परिचोदना प्रस्तावक द्वारा आवेदित क्षेत्र में निचा 10 का पूर्व की प्रकृति की जानकारी प्रस्तुत किये जाने साथ उला पूर्व की आवश्यकता पड़ने पर कटाई समर्थ प्रकृति की से अनुमति उपरोक्त की करने बाबद् समर्थ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परिचोदना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले कुशासन का 6 वर्ष तक एल-एलए किये जाने बाबद् समर्थ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. परिचोदना प्रस्तावक द्वारा इस आवेदन का समर्थन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि ईट निर्माण में उपरोक्त किये जाने वाले कोयले एवं कटाई देना के उचित एल-एलए के किये टिन रीज का उपयोग किया जाएगा।
10. ईट को बनाने के सिद्द ईट मद्दती में केवल डिग-वेग तकनीक का वर्तितक हीनत तकनीक का उपयोग किये जाने बाबद् समर्थ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. परिचोपना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूधित जल का व्यवहार वास्तुिक जल स्रोत, तालाब, खेत, नहर, नदी एवं अन्य जल स्रोतों में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण एवं संरक्षण किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. स्थानीय लोगों को एवं निकटवर्ती आवासीय क्षेत्रों के निवासियों को संरक्षण में सम्मिलित करने के अन्तर्गत पर निर्धारित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
13. परिचोपना प्रस्तावक द्वारा इस प्रकार का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके द्वारा सत्य सत्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिकल्प, पर्यावरण द्वारा निर्धारित किये गए कर्तव्य का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विभिन्न वैधानिक एवं दण्डनीय कार्यवाही स्वीकार करने।
14. परिचोपना प्रस्तावक द्वारा इस प्रकार का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उन्हें अधिक में पर्यावरण सौकरिता कर्तव्य के पालन का कोई धरोर नहीं होने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनके द्वारा अधिक में पर्यावरण नियमों एवं कर्तव्य का पालन किया जाएगा।
15. ईट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईट (ब्लॉक) को रजिस्टर्ड कोर कर्तव्य या कोर माईन से खरीदे जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
16. ईट निर्माण में अनुमोदित ईट (ब्लॉक, कृषि उपकरण आदि) का उपयोग किये जाने तथा वास्तविक उपकरण जैसे टायर, प्लमिटर, पीटरोल आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
17. पर्यावरण के निरक्षण के लिए संघीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/संकेत अनुसार ईट ब्लॉक में खाई सुक्ति (घोरे होल एवं पीटरोल) का निर्माण किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
18. ईट ब्लॉक से निकलने वाले पदार्थ का उपयोग इसी परिधर में पुनः काले ईट निर्माण में किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
19. काले माल/ईट परिवहन की दौरान काले को धक कर लगे जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

पर्यावरण रक्षित जनकारी/पर्यावरण प्रभाव होने पर्यावरण अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

समानुसार एच.ई.ए.सी., पर्यावरण के प्रभाव दिनांक 18/07/2023 की परिधि में परिचोपना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 02/08/2023 की जनकारी/पर्यावरण प्रस्तुत किया गया।

(र) समिति की 400वीं बैठक दिनांक 27/08/2023

समिति द्वारा काले, अनुगत जनकारी का अन्तर्गत एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—



1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुसार निर्धारित वर्गीकरण 200 मग पीपी (विन, कटन, जल आदि) का सेवन कर सीटीवाला सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
2. कार्योत्पन्न कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-महासमुद्र के आदेश क्रमांक/831/क/खनि/न.क./2021 महासमुद्र, दिनांक 28/07/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार जिला वर्गी में किये गये उद्योगन की जानकारी निम्नानुसार है-

क्र.	दिनांक	मिट्टी उपखनन (घनमीटर)	ईट उत्पादन क्षमता (एन)
1.	01/04/2022 से 30/09/2022	833	6,25,000
2.	01/10/2022 से 31/03/2023	107	80,000

3. उद्योगन के संकेत में भूमि कायदा क्रमांक 122 के यू-काली श्री मनोज उद्योगन का संपत्ति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. विनपी भट्टा (खनिज विनपी) को डिमेंशन कर जीज क्षेत्र के पीछर 1 पीटर पीपी सीमेंट पट्टी (उद्योगन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़ते हुए विनपी स्थापित किये जाने हेतु निर्देश की पत्रिका कर सीटिफिकेट काली प्लान एलान किए प्रोपेसिब काली कलोजन प्लान एक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (खनिज), संचालनसम, सीमेंटी तथा खनिजमें, तथा रायपुर अटल कर, जिला-रायपुर के आदेश क्रमांक/4450/खनिज/सा.प.अनुवीक्षण/न.क.02/2018(8) तथा रायपुर, दिनांक 11/07/2023 द्वारा अनुमति है।
5. एक लाख ईट निर्माण हेतु 20 टन सीमेंट की आवश्यकता होती है, जो कि क्षमता योजना अनुसार आवश्यक मात्रा सीमेंट से टुक से सीमेंट कर साथ साथ है एवं उक्तका उचित भण्डारण सीज एरिया में सैद बनकर किया जाता है। इस बाबद् साथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. परियोजना संचालक द्वारा खनिज में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये किता उद्योगन नहीं करने एवं क्षमता से अधिक उद्योगन नहीं करने बाबद् साथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. अधीनित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के कोई पुख नहीं है। उक्त सख्त खनिजपी में अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बाबद् साथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. परियोजना संचालक द्वारा सीईआर के अधीन किये जाने वाले कारोबार का 8 वर्ष तक रक-रखाव किये जाने बाबद् साथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. परियोजना संचालक द्वारा इस आदेश का साथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि ईट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले सीमेंट एवं सखई एन के उचित रक-रखाव के किये दिन सीज का उपयोग किया जा चुका है।
10. ईट को रखने के लिए ईट भट्टा विनपी विनपी का निर्माण उचित सीज तकनीक का उपयोग किये जाने बाबद् साथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। समिति का पत्र है कि ईट को रखने के लिए ईट भट्टी में

संसाधन विनियमन-टीएनए का उपयोग किये जाने वाले बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, पोखर, नहर, नदी एवं अन्य जल निकायों में नहीं किये जाने एवं इससे संरक्षण एवं संरक्षण किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. स्थानीय लोगों को एवं निकटवर्ती आबादी क्षेत्रों के निवासियों को संज्ञाना में प्रदर्शित करने के अर्थ में प्रदर्शित किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण द्वारा आशय प्रदर्शित, उत्तीर्णन द्वारा निर्मित किये गए सर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विविध विधायक एवं दम्भात्मक कार्यवाही करवाये करेगे।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके भविष्य में पर्यावरण सौकरिता सर्तों के प्रदर्शन का कोई कार्य करने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं सर्तों का पालन किया जाएगा।
15. ईट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईट (ब्लॉक) को परिवर्तन करके किये या कोल गार्डन से खरीदे जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
16. ईट निर्माण में अनुमोदित ईट (ब्लॉक, कुनि अतिरिक्त आदि) का उपयोग किये जाने तथा अतिरिक्त अतिरिक्त टीएनए/परमिट, विद्युतिक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
17. उत्खनन के निरवधि के लिए क्षेत्रीय प्रमुख नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गहराई/समस्या अनुसार ईट बट्टे में खड़े कुनि (सेट) होना एवं ब्लॉक/टीएनए का निर्माण किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. ईट बट्टे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईट निर्माण में किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. कच्चे माल/ईट परिवहन के दौरान वाहनों को ढांक बन नहीं जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. समिति का मत है कि सी.ई.ओ. एवं कुशलता कार्य के परिचालन एवं परीक्षण हेतु वि-प्राथमिक समिति (जिम्मेदार/प्रतिनिधि, घास संयोजक के परामर्श/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उत्तीर्णन पर्यावरण संरक्षण मण्डल के परामर्श/प्रतिनिधि) सहित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.ओ. एवं कुशलता का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त सहित वि-प्राथमिक समिति से सम्बन्धित बनाया जाना आवश्यक है।





21. भारतीय एन.डी.टी., दिल्लीवा बीच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली नगर सरकार, पॉलिटर, का बीच जलवायु परिवर्तन संकलन, नई दिल्ली एवं अन्य (अतिरिक्त एडिशन नं. 188 डीपी 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को जारी अधिसूचना में सुझाव रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEMA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श करवाते सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कारोक्टर (समिति हाउस), जिला-ग्वाहाटपुर के छापन क्रमांक 1178/क/सति/न.क./2021 ग्वाहाटपुर, दिनांक 21/09/2022 के अनुसार अधिसूचित छापन से 500 मीटर के भीतर कोई अन्य मिट्टी छापन अधिसूचित नहीं है। अधिसूचित छापन (ग्राम-बोन्दुवार) का एका 4.882 हेक्टेयर है। छापन की सीमा से 500 मीटर की परिधि में सीकृत/संचालित छापनों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह छापन सी-2 श्रेणी की नहीं गयी।
2. ईट को पकाने के लिए ईट मशीन में केवल जिन-जिन तकनीक का उपयोग किये जाने वाले कार्य पत्र (integrated undertaking) को एन.ई.आई.ए.ए., फलीगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त अनुमति की जाती है।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श करवाते सर्वसम्मति से अधिसूचना - मेसर्स लक्ष्मी किरा (डी.- सीनारी लक्ष्मी किरा) को ग्राम-बोन्दुवार, तहसील-साईनारी, जिला-ग्वाहाटपुर के एका क्रमांक 25/1, 120/1, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132/1, 132/2, 132/3, 134 एवं 135/1 में स्थित मिट्टी काछवन (पीन सतिज) छापन, कुल क्षेत्रफल-4.882 हेक्टेयर, एका-3.348 वर्गमीटर (ईट निर्माण इकाई-25,08,500 नए) प्रतिवर्ष हेतु परिसीप्ट-03 में उल्लिखित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।
एक राष्ट्रीय पर्यावरण द्वारा आकलन प्रतिकल्प (एन.ई.आई.ए.ए.), फलीगढ़ को तत्पश्चात् सुचित किया जाए।

4. मेसर्स आयाकोनी साईन स्टोन क्वारी (डी.- सी राजय मल्लव), ग्राम-आयाकोनी, तहसील-सिमरा, जिला-बलीदासजल-भाटापारा (समिवालय का नसी क्रमांक 1888) ऑनलाइन आवेदन - उपरोक्त नम्बर - एन.आई.ए. / सीडी / एन.आई.ए. / 70282/2021, दिनांक 30/12/2021 द्वारा टी.डी.आर हेतु आवेदन किया गया है। परिसीप्ट प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उल्लिखित होने से छापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परिसीप्ट प्रस्तावक द्वारा उचित जानकारी दिनांक 13/12/2022 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का निरूपण - यह पूरा से संचालित चुन पत्थर (पीन सतिज) छापन है। छापन ग्राम-आयाकोनी, तहसील-सिमरा, जिला-बलीदासजल-भाटापारा स्थित

खसरा क्रमांक 80, 80, 81, 82 एवं 83, कुल क्षेत्रफल-0.83 हेक्टर में है। जंगल की आवेदित फलजलन क्षमता-32,248.88 टन प्रतिवर्ष है।

अनुसार परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.ए.सी., अलीगढ़ के जंगल विभाग 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 88वीं बैठक दिनांक 24/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु की मांग पर मंत्रालय, प्रोत्साहित हुए। समिति द्वारा जारी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने का निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

- a. पूर्व में कुल चार (तीन खनिज) खदान खसरा क्रमांक 88, 80, 81, 82 एवं 83, कुल क्षेत्रफल-0.83 हेक्टर, क्षमता-32,248.88 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला अरबीय पर्यावरण सहायता निरीक्षण प्रविक्त, जिला-बलीदासगंज-गठामवा द्वारा दिनांक 14/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि तक वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"BA. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 13/02/2023 तक वैध होगी।

- b. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी खोटासाला सहित प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- c. कार्यालय अलीगढ़ (खनिज सखर), जिला-बलीदासगंज-गठामवा के जंगल क्रमांक 884/टीए-8/ए.ए.ए./2023 बलीदासगंज, दिनांक 14/10/2022 द्वारा जारी जंगल पत्र अनुसार विगत वर्ष में कितने गने पालन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017	13,500
2018	32,060

0

2019	28,855
2020	4,265
2021 (31 मार्च 2021)	निर्दिष्ट

समिति का मत है कि मार्च 2021 की समाप्ति किए गए संरक्षण की वार्षिक मात्र की अंतिम जानकारी खनिज विभाग से उपलब्ध कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. धान संरक्षण का अनारक्षित प्रमाण पत्र – संरक्षण के संबंध में धान संरक्षण अधिनियम का दिनांक 20/10/2006 का अनारक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. संरक्षण योजना – राष्ट्रीय धान प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संचालक (खनिज प्रशासन), जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा के द्वारा क्रमांक 1818/स.लि./वीन-1/2015 बलीदाबाजार, दिनांक 11/01/2017 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यलय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा के द्वारा क्रमांक 884/वीन-8/न.अ./2002 बलीदाबाजार, दिनांक 14/10/2002 के अनुसार अर्जित खदान से 500 मीटर से नीचे अवस्थित 32 खदानें, कुलफल 82.887 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरक्षण – कार्यलय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा के द्वारा क्रमांक 884/वीन-8/न.अ./2002 बलीदाबाजार, दिनांक 14/10/2002 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार एक खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनकेट आदि प्रतीक्षित क्षेत्र निर्दिष्ट नहीं है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण – भूमि एवं लीज की संख्या संलग्न के नाम पर है। लीज लीज 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 22/08/2008 से 21/08/2018 तक की गई थी। संपत्तिसूची लीज लीज 20 वर्ष अर्थात् दिनांक 22/08/2018 से 21/08/2038 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनारक्षित प्रमाण पत्र – कार्यलय उपमहासंचालिका, बलीदाबाजार सख्त, जिला-बलीदाबाजार के द्वारा क्रमांक/सकनीकी/खनिज/24 बलीदाबाजार, दिनांक 08/01/2023 से जारी अनारक्षित प्रमाण पत्र अनुसार अर्जित क्षेत्र निकटतम वन भूमि की सीमा से 8.84 कि.मी. की दूरी पर है।
9. सड़कपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवासीय एवं स्कूल घास-भूखंड 4 कि.मी., अस्पताल घास-भूखंड 4 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8 कि.मी. दूर है। लताव 1.54 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परिसीमा प्रशासक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अनासक्त, राष्ट्रीय प्रकृत संरक्षण बोर्ड द्वारा घोषित किरिगली विलुप्त प्रजाति, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतीक्षित किया है।

11. खनन क्षेत्र एवं खनन का विवरण – डिपॉजिटिजेशन डिपॉ 3,81,872 टन, फाईनेसल डिपॉ 1,50,000 टन एवं रिक्लैबल डिपॉ 1,25,000 टन हैं। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (प्राखनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,485.36 वर्गमीटर है। खनन कार्ट वेगपुअर विधि से प्राखनन किया जाता है। प्राखनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। लीज क्षेत्र में खपती मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। क्षेत्र की चौड़ाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में खनन स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्थापित नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंक्रलत किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित प्राखनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित प्राखनन (टन)
प्रथम	17,057.72
द्वितीय	32,245.89
तृतीय	28,898.20
चतुर्थ	31,343.48
पंचम	27,438.14

12. जल आपूर्ति – परिवहन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में जल की आपूर्ति का माध्यम/रखत एवं संबंधित विभाग से सहायता प्रदान पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. कुलरोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1.500 मम कुलरोपण किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में प्राखनन – प्रस्तुतीकरण की दौरान परिवहन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,485.36 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ भाग पूर्व से प्राखनित है, जिसका पुनर्भरण किया जाना संभव नहीं है। इस बावजूद सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में प्राखनन किया जाना पर्यावरणीय लक्ष्य की दृष्टि का उपयोग है। जल परिवहन प्रस्तावक को विस्तृत निवेदनानुसार दैनिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। सत्य ही सन्धि का मत है कि 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में जिस स्थान पर पुनर्भरण किया जाना संभव है, उस स्थान का पुनर्भरण कर कुलरोपण पूर्ण कर कोटीकरण सहित फाईनेल ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करने वाले हेतु निर्दिष्ट किया गया है।
15. प्रस्तुत जारी पत्रानुसार खदान की संभावित आयु 5 वर्ष की, जिसके अनुसार प्राखनन किया जा चुका है। जल सन्धि का मत है कि परिवहन प्रस्तावक द्वारा अद्यतन स्थिति में डिपॉ की गणना कर अनुबंधित जारी पत्रानुसार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
16. पर्यावरणीय है कि सत्य सचकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिशिष्टीय मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वीन कोल नॉईजिंग प्रोटेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय दृष्टि जारी की गई है। दृष्टि संशोधक 5/2023 के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from

windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

एक मात्रक हाई को अनुसार वाईन लीड क्षेत्र को अंदर 7.5 मीटर चौड़े संरक्षी जोन में वृक्षरोपण किया जाना आवश्यक है।

17. सार्वजनिक एन.जी.टी., विभिन्न क्षेत्र, नई दिल्ली द्वारा जारी पारंपरिक विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजिनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य बात से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. सार्वजनिक असेसमेंट (पब्लिक हायर), जिला-बलीदासगढ़-भटानवा की इच्छा क्रमांक 884/वीन-8/न.क./2022 बलीदासगढ़, दिनांक 14/10/2022 को अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर को भीतर अवस्थित 32 खदानों, क्षेत्रफल 82.887 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (घान-आमाकोनी) का सतह 0.83 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (घान-आमाकोनी) को गिलावर कुल सतह 83.714 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में वसीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर से अधिक का बसकर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की मानी गयी।
2. वाईन लीड क्षेत्र को बाईं ओर 7.5 मीटर चौड़े संरक्षी जोन को कुछ भाग में किये गये उल्लंघन के कारण इस क्षेत्र को उपरोक्त उपाय (Remedial Measures) की संरक्ष में तथा लीड क्षेत्र के अंदर वाईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों का वृक्षरोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित बनाने बाबत संचालक, संचालनलय, बीमिडी तथा सैनिकर्न, इटावा की सतह, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छापीसगढ़) को संरक्ष किया जाए।
3. प्रतिक्रियित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा सड़की में लीड उल्लंघन किया जाना पाये जाने पर लीड उपरोक्त परीक्षण प्रस्तावक को विरुद्ध निम्नानुसार कैबिनेट कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनलय, बीमिडी तथा सैनिकर्न को एवं पर्यावरण को बाईं पहुंचाने हेतु छापीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संरक्ष किया जाए।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय वसीकृति का पालन प्रतिबंधन वसीकृत क्षेत्रीय सार्वजनिक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से कराये जाने हेतु यह संरक्ष किया जाए।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से उल्लंघन 'बी' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2018 में प्रकटित सौमवर्द्ध एवं ऑफ रिकॉर्ड (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट ऑन प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज विस्वाचरिण इन्वायलमेंट क्लीयरेंस

अनुच्छेद 1(2) के अन्तर्गत, 2008 में संशोधित सेक्टो (1)(2) का अंशों में विभाजन (लोक सुव्यवस्था अधिनियम) में संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए विभिन्न संशोधनों के साथ जारी किए जाने की अनुमति दी गई-

- i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C, Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&OC Raipur.
- iii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iv. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2021 to till date from the mining department.
- v. Project proponent shall submit the revised quarry plan with reserve calculation.
- vi. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- vii. Project proponent shall submit the details of water source and NOD for usage of water from competent authority / concerned organization.
- viii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- ix. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xiv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery as much as possible & complete plantation alongwith photographs and incorporate in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued

from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

- zvi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

प्रतिक्रमण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिक्रमण की दिनांक 20/03/2023 को संलग्न 142वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रमण द्वारा नली का अवलोकन किया गया। प्रतिक्रमण द्वारा noted किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अद्यतन स्थिति में निजर्व की गणना कर अनुमोदित कच्ची प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रतिक्रमण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त कार्यसमिति से परियोजना प्रस्तावक द्वारा अद्यतन स्थिति में निजर्व की गणना कर अनुमोदित कच्ची प्लान प्रस्तुत किये जाने को उपरोक्त ही उपयुक्त अनुबंधों किये जाने हेतु अद्यतन को एच.ई.ए.सी., फाटीसमूह को लक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ख) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, एलएमए कार्यसमिति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अद्यतन स्थिति में निजर्व की गणना कर अनुमोदित कच्ची प्लान प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त अगली कार्यवाही की जाएगी।

सहायमान एच.ई.ए.सी., फाटीसमूह को ज्ञापन दिनांक 14/08/2023 को परिशिष्ट में परियोजना प्रस्तावक द्वारा द्वारा दिनांक 25/08/2023 को जानकारी/रसायन प्रस्तुत किया गया।

(ग) समिति की 460वीं बैठक दिनांक 27/09/2023:

समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि कच्ची प्लान ऑफ एल्यूमिनियम कच्ची लीज प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ऑनि.प्रसा.), संसाधनसमूह, सीनिकी तथा ऑनिसर्व, तथा रावपुर अटल नगर, जिला-रावपुर के ज्ञापन क्रमांक./8288/ऑनिसर्व/सा.पल.अनुमोदन/न.अ.08/2021(1) तथा रावपुर दिनांक 18/12/2021 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार उल्लेखन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। जिपसोसॉडिकल निजर्व 8,80,290 टन एवं नाईनेसल निजर्व 1,47,807 टन है। क्वॉल में जिपसोसॉडिकल निजर्व 4,80,348 टन एवं नाईनेसल निजर्व 1,40,483 टन लग है। क्वॉल की संघटित आयु 15 वर्ष है।

वर्षवार प्रस्तावित उल्लेखन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उल्लेखन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उल्लेखन (टन)
प्रथम	12,738.88	चतुर्थ	8,478.87
द्वितीय	11,648.81	पांचम	8,478.8
तृतीय	10,588.24	छठम	8,478.25
सातम	8,480.89	आठम	8,478.77
आठम	8,481.35	दशम	8,477.58

समिति द्वारा साब नया कि कुल प्रस्तुत अनुसूचित जातियों पत्रों में अधिकतम प्राधान्य क्षमता 12,738.88 टन है, जबकि परिवोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्राधान्य क्षमता 32,248.88 टन प्रतिवर्ष के लिए टी.ओ.आर. में आवंटन किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श पर्याप्त कार्यक्षमता से पहले आन्तकीनी लाईन स्टोन कारी (टी.- की संख्या 148/20) को घास-आनाखोरी, तहसील-सिन्धु, जिला-कोरिया-महापौर के खसरा क्रमांक 88, 89, 91, 92 एवं 93 में कुल पथर (पीग खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-0.83 हेक्टेयर, क्षमता-12,738.88 टन प्रतिवर्ष हेतु सीनलाईन टीओआर (लोक सुनवाई अधिनियम) जारी करने जाने की अनुमति की गई। राज्य ही पूर्व में समिति की 44वीं बैठक दिनांक 24/01/2022 में की गई अनुमति में उल्लिखित टी.ओ.आर. हेतु अधिनियम नहीं व्यवस्था नहीं।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिनियम (एआईआईएए), पर्यावरण को परामुक्तार सुचित किया जाए।

8. नैसर्गिक खनिज खनन स्टोन कारी (टी.- की अंशिक कुनार आवस्यक), घास-आनाखोरी, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (सविभाजन का नया क्रमांक 1888)

ऑनलाईन आवंटन - आवंटन नम्बर - एनआईए/सीजी/एनआईए/244382/2021, दिनांक 13/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवंटन किया गया है। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवंटन में समिती होने से आपन दिनांक 18/12/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा उचित जानकारी दिनांक 28/12/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह क्षमता विस्तार का प्रस्ताव है। यह पूर्व से संघटित संचालन पथर (पीग खनिज) खदान है। खदान घास-आनाखोरी, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 04, कुल क्षेत्रफल-1.83 हेक्टेयर है। खदान की आवंटित प्राधान्य क्षमता-18,288 टन प्रतिवर्ष है।

परामुक्तार परिवोजना प्रस्तावक को एआईआईए, पर्यावरण को आपन दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतकरण हेतु सुचित किया गया।

बैठकी का विवरण -

(अ) समिति की 45वीं बैठक दिनांक 20/04/2022

प्रस्तुतकरण हेतु की अंशिक कुनार आवस्यक, ऑनलाईन उपस्थित हुए। समिति द्वारा नया, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

1. पूर्व में संचालन पथर खदान खसरा क्रमांक 04, कुल क्षेत्रफल-1.83 हेक्टेयर, क्षमता- 4,568 टन/वर्ष (11,871.8 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सभागत निर्धारण प्रतिकरण, जिला-कोरिया द्वारा दिनांक 12/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि हेतु जारी की गई है।

2. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत के प्राधान्य में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। परंतु प्रकरण

60

अन्ततः विस्तार का है। जहाँ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पूर्व में जारी पर्यावरणीय सर्वेक्षणों का प्रारंभ प्रविष्टिगत संसाधन जमा आवकका है।

- क. निर्धारित सर्वेक्षणों का प्रारंभ नहीं किया गया है।
- ख. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्वजनिक), जिला-कोरिया के द्वारा क्रमांक 1778/खनिज/उ.प./2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 18/12/2021 द्वारा विस्तार वर्षों में किये गये प्रारंभ की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रारंभ (घनमीटर)
2017	4,465
2018	656
2019	2,968
2020	4,550
2021	3,710

3. प्रायः संसाधन का अन्वेषण प्रारंभ पर - प्रारंभ की संख्या में प्रायः संसाधन अन्वेषण का दिनांक 18/12/2021 का अन्वेषण प्रारंभ प्रस्तुत किया गया है।
4. प्रारंभ की संख्या - पर्यावरणीय सर्वेक्षण प्रारंभ की संख्या प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला-कोरिया के द्वारा क्रमांक 1521/खनिज/खनि.2/2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 17/11/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्वजनिक), जिला-कोरिया के द्वारा क्रमांक 1777/खनिज/उ.प./2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 18/12/2021 के अनुसार आवेदित खदानों की 500 मीटर की परिधि में स्थित अन्य खदानों की संख्या निम्न है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्वजनिक), जिला-कोरिया के द्वारा क्रमांक 1778/खनिज/उ.प./2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 18/12/2021 द्वारा जारी प्रारंभ पर अनुमोदित प्रारंभ खदानों की 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ, अस्पताल एवं रेल लाईन आदि प्रविष्टिगत क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. भूमि एवं लीज का विवरण - यह सार्वजनिक भूमि है। लीज की अवधि कुल सार्वजनिक क्षेत्र के नाम पर है। लीज क्षेत्र की अवधि 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 05/03/2011 से 04/03/2016 की अवधि तक थी। सार्वजनिक क्षेत्र क्षेत्र में 25 वर्षों की, दिनांक 05/03/2016 से 04/03/2041 तक की अवधि वृद्धि की गई है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अन्वेषण प्रारंभ पर - कार्यालय वन सहायक/अधीनकारी कोरिया सहायक, बैकुण्ठपुर के द्वारा क्रमांक/वा.वि./1682 बैकुण्ठपुर, दिनांक 08/08/2019 को जारी अन्वेषण प्रारंभ पर अनुमोदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 2 कि.मी की दूरी पर है।

9. **सबसेपूरुन संरक्षणकी की दूरी** – निम्नलिखित आवादी ग्राम-अमरपुर 1 कि.मी, बसुल ग्राम-अमरपुर 1.2 कि.मी, एवं अमरपुरल वैशुपुनपुर 12 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी, एवं राजमार्ग 12 कि.मी, दूर है। समुद्रतीरे पास 250 मीटर दूर है।
10. **परिचालितकीय/पैकजिफिकल संरक्षणकीय क्षेत्र** – परिचालना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी की दूरी में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अमरपुरल, अंतर्राज्यीय प्रमुख निरंजन कीर्ण द्वारा घोषित किरीकली पैन्कुटेड एरिया, परिचालितकीय संरक्षणकीय क्षेत्र का घोषित क्षेत्रीयिकल क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिक्रियित किया है।
11. **खाना संभवा एवं खाना का विलय** – विद्योतीकिरल निरुई 7,75,000 टन, माईनेरल निरुई 1,77,372 टन एवं लिक्विडरल निरुई 1,00,000 टन है। खीज की 7.5 मीटर कीकी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिक्रियित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,800 वर्गमीटर है। खीजल खाना की पैकजिफिकल विधि में उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। खीज क्षेत्र में खनी मिट्टी की गहराई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 5,348 वर्गमीटर है। इस मिट्टी की सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में पैकजिफिकल खाना के लिए उपयोग किया जाएगा। क्षेत्र की लंबाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संरक्षित आयु 10 वर्ष है। खीज क्षेत्र में खाना स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खीज क्षेत्र में डिप्लोम एवं अटोमल स्थापित किया जाता है। खदान में वस्तु प्रदूषण निरंजन हेतु जल का चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विलय निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	17,007	पंचम	17,007
द्वितीय	17,007	षष्ठम	17,007
तृतीय	17,007	अष्टम	17,007
चतुर्थ	17,007	नवम	17,007
दशम	17,007	दशम	18,309

12. **जल आपूर्ति** – परिचालना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 वर्गमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर से माध्यम से की जाएगी। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनुरोध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
13. **पुनरोपनन कार्य** – खीज क्षेत्र की सीमा में चानी खीज 7.5 मीटर की पट्टी में 1,248 वर्ग पुनरोपनन किया जाएगा।
14. **खदान की 7.5 मीटर की कीकी सीमा पट्टी में उत्खनन** – खीज क्षेत्र की चानी खीज 7.5 मीटर की कीकी सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. **कीकीरित सर्वांसनीय जमिल (C.E.R.)** – परिचालना प्रस्तावक द्वारा कीकीरित (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से कार्य उपरंत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)

			Rupees)	
25	2%	0.50	Following activities at Approach road Village-Amarpur	
			Pintra Van	2.24
			Nirman	
Total			2.24	

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत "परिवेक वन" के लक्ष्य (अवकाश, बड़ पीपल, चीन्, आम, आड़ू, बेत आदि) कुशलतापूर्वक हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 वर्ग चौकी के लिए राशि 800 रुपये, बीसिंग के लिए राशि 40,000 रुपये, आवर के लिए राशि 700 रुपये, सिंचाई तथा पक्क-रस्ता के लिए राशि 20,000 रुपये, इस प्रस्ताव प्रत्येक वर्ष में कुल राशि 77,300 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 1,44,800 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के लक्ष्य परिवेक वन हेतु राम पंचायत की सहमति उपरोक्त राम पंचायत अन्तर्गत आवासीय भूमि नहीं होने के कारण राम पंचायत अन्तर्गत के पट्टेच कार्यों में दोनों लक्ष्य कुशलतापूर्वक कार्य के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा आवश्यक सर्वेक्षणों के निम्नानुसार निर्णय किया गया था—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का निम्नानुसार फालन इतिहास एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर के द्वारा कर प्रस्तुत किया जाए।
2. सीमा क्षेत्र की सीमा में जारी और 7.5 मीटर की चौड़ाई में कुशलतापूर्वक हेतु चौकी का पीपल, सुब्बा हेतु बीसिंग, आवर एवं सिंचाई तथा पक्क-रस्ता के लिए 8 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त परिचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

उपानुसार एन.ई.ए.सी., उत्तीसप्रदेश के द्वारा दिनांक 01/08/2022 की तारीख में पर्यावरण प्रस्तावक द्वारा दिनांक 28/12/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ख) समिति की 400वीं बैठक दिनांक 24/01/2023:

समिति द्वारा जारी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने का निम्न रिपोर्ट की गई—

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर के द्वारा दिनांक 25/12/2022 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का फालन इतिहास प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार—

- i. Greenbelt development has not been carried out.
- ii. Only few demarcation boundary pillars are available and no fencing is observed around the lease area.
- iii. Six monthly compliance report has not been submitted to the Regional Office of MoEF&CC regularly.
- iv. Public Liability Insurance has not been obtained under Public Liability Insurance Act, 1991.
- v. During the visit, it has been observed that apart from the old pit, excavation of soil and mining has been carried out in an area

11

demarcated in the revised quarry plan for the year 2022-2023 to 2031-2032.

- vi. It appears that paper advertisement regarding grant of EC have been made in the Hindi daily viz. Dink Shaker (on 24/4/2022) and Harituni (22/4/2022), i.e. after the lapse of EC validity period, which is in contravention to the condition No.25 of the EC.
- vii. Waste material / boulders are being stacked in the adjoining area of the public Road.

समिति का मत है कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्वारण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त प्रतिवेदन के संकेत में कार्ययोजना एवं जानकारी (Action Taken Report) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में क्वारिरीयन डेपु (अपराह, चिपल, बगार, पीप, जाम्, जर्जुन एवं बेल) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,100 गां चौकी के लिए प्रति 11,850 रुपये, सीलिंग के लिए प्रति 1,40,000 रुपये, लॉक के लिए प्रति 8,000 रुपये, सिंचाई तथा पत्थर-पत्थार आदि के लिए प्रति 88,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल प्रति 2,07,850 रुपये तथा आगामी चार वर्षों में कुल प्रति 2,08,000 रुपये हेतु घटकवार मूल का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय किया गया था कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्वारण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त प्रतिवेदन के संकेत में कार्ययोजना एवं जानकारी (Action Taken Report) प्रस्तुत किये जाने की उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एच.ई.ए.सी., जलौकान्त के द्वारा दिनांक 18/08/2023 के परिवेदन में कार्ययोजना असावक द्वारा द्वारा दिनांक 21/08/2023 को प्रतिवेदन एवं जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ग) समिति की 420वीं बैठक दिनांक 27/08/2023

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्वारण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त प्रतिवेदन के संकेत में कार्ययोजना एवं जानकारी (Action Taken Report) प्रस्तुत की गई है, जो अपूर्ण है। अतः समिति का मत है कि सभी विन्दुओं की पूर्ण कार्ययोजना एवं जानकारी (Action Taken Report) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्वारण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त प्रतिवेदन के संकेत में कार्ययोजना एवं जानकारी (Action Taken Report) प्रस्तुत की गई है, जो अपूर्ण है। अतः सभी विन्दुओं की पूर्ण कार्ययोजना एवं जानकारी (Action Taken Report) प्रस्तुत किये जाने की उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

कार्ययोजना असावक को तदनुसार सूचित किया जाए।



6. मेसर्स बरभौया चौध गार्डन (जी-सी नयन जाल अडवाळ), धान-बलरीन, तहसील-खरकेवा, जिला-रायगड (परिचालन का नवी क्रमांक 1740)

ऑनलाईन आवेदन - एप्लिकेशन नम्बर - एम.ओ.आर्. / सीजी / एम.ओ.आर्. / 202007 / 2021, दिनांक 20/07/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित वेत (ग्रीन चमिज) खदान है। यह खदान धान-बलरीन, तहसील-खरकेवा, जिला-रायगड स्थित खाना क्रमांक 180, कुल क्षेत्रफल-4.881 हेक्टर में प्रस्तावित है। जलवायु सुरक्षा नदी से किंचा जल प्रस्तावित है। खदान की आवेदित जलवायु क्षमता - 81,724 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परिचालन प्रस्तावक को एम.ओ.आर्.सी, खरकेवा के द्वारा एवं ई-वेत दिनांक 29/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 26वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु जी नयन जाल अडवाळ, ऑनलाईन सिटिंगो कार्नाडोलि के माध्यम से परीक्षाएं हुए। समिति द्वारा नवी, प्रस्तुत जलवायु का आवेदन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि पाई गई-

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय जीववृत्ति संबंधी विवरण- इस खदान की पूर्ण में पर्यावरणीय जीववृत्ति जारी नहीं की गई है।
2. धान पंचायत का अप्रतिष्ठ प्रमाण पत्र - जलवायु के संबंध में धान पंचायत बरभौया का दिनांक 08/11/2020 का अप्रतिष्ठ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. विन्दकित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज सारण से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्दकित/सीमांकित बन भविष्य है।
4. जलवायु की क्षमता - माइनिंग नयन प्रस्तुत किया गया है, जो उस क्षेत्राधिकार (ख.प्र.) जिला-रायगड के द्वारा क्रमांक 1028/ख.नि.-3/वेत/2021 रायगड, दिनांक 10/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारण), जिला-रायगड के द्वारा क्रमांक 1058/ख.नि.-3/वेत/2021 रायगड, दिनांक 10/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य वेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरक्षण - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारण), जिला-रायगड के द्वारा क्रमांक 1068/ख.नि.-3/वेत/2021 रायगड, दिनांक 10/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजधानी, पूर, बांध, एनिकेट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिष्ठित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एम.ओ.आर्. संबंधी विवरण - एम.ओ.आर्., कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारण), जिला-रायगड के द्वारा क्रमांक 803/ख.नि.-3/वेत मीलामी/2021 रायगड, दिनांक 13/08/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी किंचा जारी दिनांक से 8 माह की अवधि तक है।
8. वन विभाग का अप्रतिष्ठ प्रमाण पत्र - परिचालन प्रस्तावक द्वारा वन विभाग से जारी अप्रतिष्ठ प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

9. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. महासमुद्र संचयनखर्च की दूरी – निकटतम आवासीय घाट-बल्थीया 1 कि.मी. एवं समुद्र घाट-बल्थीया 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 कि.मी. एवं राजमार्ग 58 कि.मी. दूर है। कुल आवागमन की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है। स्वीकृत रेल खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एक्सीक्यूट किया नहीं है।
11. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिसर में जैववैविध्यता क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, वन्यजीव प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र द्वारा घोषित जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रमाणित किया है।
12. खान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – असेसमेंट अनुसार खान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई – अधिकतम 341 मीटर, न्यूनतम 188 मीटर तथा खान स्थल की लंबाई – अधिकतम 819 मीटर, न्यूनतम 808 मीटर एवं खान स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 84 मीटर, न्यूनतम 82 मीटर बरसाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 12 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होने चाहिए।
13. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – असेसमेंट अनुसार खान पर रेत की मोटाई – 3 मीटर से अधिक तथा रेत खान की प्रस्तावित मोटाई – 3 मीटर बरसाई गई है। अनुसंधित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में स्टाइमबल रेत की मात्रा – 81,734 घनमीटर है। रेत प्राचयन हेतु प्रस्तावित खान पर वर्तमान में उपलब्ध रेत मात्रा की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित खान पर 5 गड्डे (Pits) खोदकर इसकी वार्षिक मोटाई का नमूना कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इससे अनुसार रेत की उपलब्ध जीवन मोटाई 2.34 मीटर है। रेत की वार्षिक मोटाई हेतु नमूना भी प्रस्तुत किया गया है।
14. खदान क्षेत्र में रेत संचयन की संरचना – रेत प्राचयन हेतु प्रस्तावित खान एवं प्रस्तावित खान के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुना 25 मीटर के विभिन्न विन्दुओं पर दिनांक 08/08/2021 को रेत संचयन की संरचना (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणिकरण उपरोक्त फोटोवाकर्स सहित जानकारी, वास्तविक प्रस्तुत किया गया है।
15. कोर्पोरेट स्वीयरसहीय एडविस (C.E.A.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति से समस्त विचारों से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
43.6	2%	0.87	Following activities at Nearby Government Primary School, Village- Barbhauns	

			Main Water Harvesting System	0.50
			Running Facility for toilets	0.25
			Plantation with fencing	0.15
			Total	0.90

10. **नहर मरुमिर्ग क्षेत्र** – नदी के घाट की चौड़ाई अधिकतम 241 मीटर, न्यूनतम 188 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 33 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है। नये विद्या निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। मरुमिर्ग खान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत अधिकतम संरक्षण किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 2.648 वर्गमीटर नहर मरुमिर्ग क्षेत्र रखा गया है। अब एक संरक्षण का कार्य खदान के अर्थात् 4.388 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा उत्तमवर्ग सर्वेकारों से निर्णय लिया गया था कि परिवर्धन प्रस्तावक को सीमा सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की कार्यात्मक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनुरोध प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत करने वाले हेतु निर्देशित किया जाए।

समानुसार एन.डी.ए.सी., फरीदाबाद के ज्ञापन दिनांक 21/08/2021 को परिशेष में परिवर्धन प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 14/12/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(क) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/01/2022:

परिशीलन हेतु की जाए, को उपरि, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा सभी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं जांचना करने पर निम्न निष्पत्ति आई गई—

1. कार्यलय सहायक/अधिकारी, रायगढ़ बलमण्डल, रायगढ़ के ज्ञापन दिनांक/तक, अति./8281/2021/रायगढ़, दिनांक 08/10/2021 से जारी अनुरोध प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 2.08 कि.मी. की दूरी पर है।
2. सीमा सीमा से निकटतम अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की कार्यात्मक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनुरोध प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. कार्यलय सहायक (सुनिश्चित कार्य), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन दिनांक 803/स.ति. -3/रा. नौलामी/2021 रायगढ़, दिनांक 13/04/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी किताब जारी दिनांक से 8 पन्ने की अवधि तक थी। परिवर्धन प्रस्तावक द्वारा एन.डी.ए.सी. की किताब मुद्रित हेतु सविनय विभाग में आवेदन गया है, जिसकी प्रति प्रस्तुत की गई है।
4. परिवर्धन प्रस्तावक द्वारा नदी की घाट में 2.300 एम कुआरेशन किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि नदी के घाट में कुआरेशन हेतु सख्त अधिकारी से अनुमति प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उत्तमवर्ग सर्वेकारों से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. लीज रींग के निष्काशन अभिलेख/राष्ट्रीय प्रदान की वस्तुसिद्धि पूरी तबकी जानकारी हेतु वन विभाग की जारी अनिश्चित प्रमाण पत्र की अवधान प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. एस.सी.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. नदी के घाट में वृक्षारोपण हेतु नकल प्रतिकारों को अनुमति प्रति प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जिला भूमि पर वृक्षारोपण कार्य प्रस्तावित है, घाट भूमि का असात अर्थात्, सस्ता तथा स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट होना चाहिए। जहां भूमि किसी भी प्रकार के विवाद से रहित होना चाहिए।
4. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. सी.ई.आर. की लहट्ट एवं नदी के घाट तथा जलुय मार्ग में वृक्षारोपण हेतु पीछे का रोपण, बुझा हेतु अधिसूचना, खास एवं सिंचाई तथा खास-खास के लिए 5 वर्षों का पर्यवेक्षण अवधि का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही संश्लेषित पीछे की अगामी पांच वर्ष तक बुझा एवं नक-सकाय का सम्पूर्ण वारिष्ठ परिशिष्टना प्रस्तावक का होना। इस आशय का स्पष्ट पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
6. उपरोक्त सश्लेषित जानकारी/प्रस्तावित प्राप्त होने उपरांत अगामी कार्रवाही की जाएगी।

सदरानुसार एस.ई.ए.सी., जलोत्सव के द्वारा दिनांक 18/02/2022 के परिशिष्ट में परिशिष्टना प्रस्तावक द्वारा प्राप्त दिनांक 01/08/2023 की जानकारी/वस्तुसिद्धि प्रस्तुत किया गया।

(ए) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 27/08/2022

समिति द्वारा जारी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यलय जलसंधारणविभाग, रायचंद जलसंधारण, जिला-रायचंद की द्वारा दिनांक/सं.अभि./2007/2023 रायचंद, दिनांक 04/08/2023 से जारी अनिश्चित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र में 2.08 कि.मी. दूर है। लीज रींग के 10 कि.मी. की परिधि में अवलोकन, राष्ट्रीय प्रदान एवं पीछे-विश्लेषण क्षेत्र स्थित नहीं है।
2. एस.सी.आई. की वैधता वृद्धि कार्य न्यायालय संभारक, पीमिडी तथा अधिसूचना, नया रायपुर अटल नगर की पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 47/2022 द्वारा जारी सश्लेषित आवेदन दिनांक 22/03/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचना के अन्तर्गत पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करती हुई, जलोत्सव पीछे अधिसूचना संख्या 18 (उत्खनन एवं वायुमार्ग) नियम, 2018 के नियम 7(4) के तहत उक्त प्रकरण में परीक्षण स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत उक्त प्रकरण पर स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अनिश्चित सम्भाव्यता प्रदान करती हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला रायचंद को प्रस्तावित किया जाता है।" का उल्लेख है।

जलोत्सव शासन, अधिसूचना संख्या, संभारक, महानदी नगर, नया रायपुर अटल नगर द्वारा जलोत्सव पीछे अधिसूचना संख्या 18 (उत्खनन एवं वायुमार्ग) नियम, 2018 हेतु संश्लेषित अधिसूचना दिनांक 09/08/2023 को जारी

की गई है। उक्त अधिनियम के नियम 4 अनुसार "उत्खनन पट्टे की कालावधि-समाप्त्य पर के उत्खनन हेतु उत्खनन पट्टा पांच वर्ष की कालावधि के लिए प्रदान किया जाएगा। पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर उत्खनन पट्टा विरोध के पंजीयन दिनांक से किया जाएगा।" का उल्लेख है।

3. सीईआर कार्ड हेतु प्रस्तावित ब्लूट के आकार (Dimensions) का सम्बन्ध पाठ प्रस्तुत किया गया है।
4. नदी के पट्टे में कुआरेशन (खन, कटवला, जम्बुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमान 1,000 मीटर नदी के लिए रशि 1,00,000 रुपये, पेरिंग के लिए रशि 75,000 रुपये, खाद के लिए रशि 15,000 रुपये, सिंचाई के लिए रशि 1,20,000 रुपये, तथा राख-संचाल आदि के लिए रशि 30,000 रुपये इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में कुल रशि 3,30,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल रशि 1,32,00,000 रुपये हेतु परतकाल व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परितोचना प्रस्तावक द्वारा प्राप्त पंचायत बलीया के अंतर्गत वास्तव पर कुआरेशन (खनन क्रमिक 52/1, 26/1 एवं क्षेत्रफल 1 हेक्टर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। इस आधार पर वास्तव पर (Material Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। उक्त धूमि को अन्य कार्यों में उपयोग में नहीं लिया जाएगा।
5. सीईआर कार्ड एवं नदी पट्टे में कुआरेशन कार्ड के नॉटिफिकेशन एवं सर्वेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ट्रिपार्टाइट/ट्रिनिटि), ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलसंग्रह पर्यवेक्षण संस्थान मन्थल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि सहित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर एवं नदी पट्टे में कुआरेशन का कार्ड पूर्ण किया जाने के उपरान्त त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
6. वेत उत्खनन नियंत्रण विधि से दूध भराई का कार्ड जौहर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि जौहर जैसे पंच गाँव बालन की भेरी के है। उक्त भराई का कार्ड नियंत्रण विधि से ही कराई जाये। भरी बालनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
7. परितोचना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति नहीं है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की शक्ति वेत पुनर्माण संबंधी आवश्यक कार्ड एवं ताल्लेकी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। सुल्लेट नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में साधारणतः 1 मीटर गहराई के अधिक वेत का पुनर्माण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. अर्धवृत्त खदान (घन-खनन) का लंबा 4.500 हेक्टेयर है। खदान की सीमा में 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संयोजित खदानों का कुल क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान की-2 श्रेणी की नहीं होगी।
2. परितोचना प्रस्तावक वेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में निरस्त पाठ आवश्यक (Essential Activity) करावेगा, ताकि वेत के पुनर्माण (Rehabilitation/Restoration) कराई सही आंकड़े, वेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय जनसमिति, जीव एवं वृक्ष जीवों पर प्रभाव तथा नदी के घनी की पुनर्स्थापना पर वेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
3. जीव क्षेत्र की गल्ल का बेंचलाईन सदा —

क. निर्दिष्ट कार्टानुसार 500 का प्लाटोन्ग किया गया है।

ख. कार्यलय कलेक्टर (खनिज सार्व) जिला-कोरिया के द्वारा क्रमांक/1048/खनिज/उ.प./2021 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 14/07/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)
2016	निरक
2017	632
2018	447
2019	390
2020	542

समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा विगत वर्ष 2020 में जल दिनांक तक किये गये उत्खनन की वार्षिक जानकारी प्रस्तुत किया जमा आवश्यक है।

2. राम पंचायत का अनामति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में राम पंचायत मुख्यालय का दिनांक 20/10/2010 का अनामति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि उत्खन की स्वयंसेवक हेतु राम पंचायत का अनामति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाय आवश्यक है।
3. उत्खनन योजना - मैकिन्साईड उत्तरी प्साय एलांग किंग प्रोटेक्शन कमी कमीका प्साय किंग इन्फार्मेशन मैनेजमेंट प्साय प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला-कोरिया के द्वारा क्रमांक/2188/खनिज/उत्ख.पौ.अनु./2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 09/03/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान- कार्यलय कलेक्टर (खनिज सार्व), जिला-कोरिया के द्वारा क्रमांक/1050/खनिज/उ.प./2021/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 14/07/2021 अनुसार अधिदित खदान से 500 मीटर के भीतर अधिदित अन्य खदानों की संख्या निरक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यलय कलेक्टर (खनिज सार्व), जिला-कोरिया के द्वारा क्रमांक/1049/खनिज/उ.प./2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 14/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार एकल खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मण्डप, अनायास, स्कूल, पुल, एनीकट एवं अन्य अधि अधिदित क्षेत्र निरक नहीं है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण - यह सार्वजनिक भूमि है। लीज बीमारी बीना किंग के नाम पर है। लीज बीड 05 वर्ष अवधि दिनांक 05/01/2012 से 04/01/2017 तक की अवधि हेतु है। उत्खनन लीज बीड 25 वर्ष अवधि दिनांक 05/01/2017 से दिनांक 04/01/2042 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रस्तुत की गई है।
8. नम विभाग का अनामति प्रमाण पत्र - कार्यलय कलेक्टर (खनिज सार्व) कलेक्टर, मनेन्द्रगढ़ के द्वारा क्रमांक/ना.वि./2020/388 मनेन्द्रगढ़, दिनांक

0

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में परखनन - सीमा क्षेत्र की चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में परखनन कार्य नहीं किया गया है।
15. सीमा क्षेत्र में अपनी मिट्टी की गहराई 0.8 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,325 घनमीटर है। अपनी मिट्टी की सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में 1 मीटर गहराई तक परखनन कुशलतापूर्वक करने उपरान्त क्षेत्र अपनी मिट्टी का उपयोग ड्रेट निर्माण के लिए किया जाना बताया गया। इस संबंध में समिति का मत है कि अपनी मिट्टी का उपयोग ड्रेट निर्माण हेतु नहीं किया जाएगा। अतः अपनी मिट्टी के रख-रखाव के संबंध में उपयुक्त जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रसादक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तल्लमन कार्यसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्देश दिए गए हैं कि:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, दिल्ली, को एक परामर्श परिधान संकलन, उपरान्त से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन अधिनियम प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. विगत वर्ष 2020 से अब तक किये गये परखनन की सांख्यिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाए।
3. खदान की स्वयंसेवा हेतु धान संवाहक का अनावलि जलन पत्र प्रस्तुत की जाए।
4. सीमा क्षेत्र में पन क्षेत्र की सीमा की लम्बाई 50 मीटर गैर साईनिंग क्षेत्र छोड़कर परखनन कार्य किया जाए तथा आगामी वर्ष की वर्षावाह परखनन योजना हेतु विचार किये जाने वाले साईनिंग सीमा में 50 मीटर गैर साईनिंग क्षेत्र छोड़कर अनुमोदित करारों वाले बाबत सत्य पत्र (Notarized) प्रस्तुत किया जाए।
5. अपनी मिट्टी के रख-रखाव हेतु प्रबंधन योजना प्रस्तुत की जाए।
6. सी.ई.आर. को तहत कुशलतापूर्वक हेतु पीछी का रोपण, बुझा हेतु सीमेंट, खाद एवं मिचलाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का परदस्तावेज सत्य का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनिज परमिटिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा करारों वाले बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना के दिन-दिन कार्यों के क्युजिटिव डस्ट प्रसारण होना, पन सारों पर निर्धारित जल छिड़काव की आवश्यक किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. साईनिंग सीमा क्षेत्र के अंदर एवं बाहर जल कुशलतापूर्वक किये जाने एवं सीमित पीछी का लवसाईफल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. परियोजना प्रसादक द्वारा मिनरल्स कमिशन निधन (Minerals Commission Fund) की तहत बाउन्ड्री निशानों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।



0

11. परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा जलवाह, नहर, नहर, नदी, खास एवं अन्य जल संचयनों के संरक्षण एवं संरक्षण हेतु प्रस्ताव 1 माह के भीतर प्रस्तुत किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा इस आदेश का कान पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परिवर्धना/आदेश के संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

13. परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा इस आदेश का नोटिस से संबंधित कान पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिनियम का.आ. 804(20), दिनांक 14/03/2017 से अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

अन्यथा संबंधित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरोक्त आदेशों का पालन नहीं किया जाएगा।

समानुसार एन.ई.ए.सी., अलीसगढ़ से प्राप्त दिनांक 14/08/2022 के परिपत्र में परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 30/11/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023

समिति द्वारा नदी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रामपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय सीमांकन का प्रारंभ प्रतिक्रिया प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में पूर्व में जारी पर्यावरणीय सीमांकन का प्रारंभ प्रतिक्रिया प्राप्त किये जाने हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रामपुर को दिनांक 28/12/2022 को आवेदन किया गया है।

2. विगत वर्ष 2022 में अब तक किये गये उल्लंघन की जासूसीय कार्रवाई की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्तित कनाकर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. अंतर की स्थापना हेतु राज पंचायत बुधिसागरवाहा का दिनांक 17/03/2022 का अनाधीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. सीज क्षेत्र में वन क्षेत्र की सीमा की लंबाई 50 मीटर और नॉन-सीज क्षेत्र कोडकन उल्लंघन कार्य किये जाने तथा आगामी वर्ष की वर्षाज उल्लंघन योजना हेतु तैयार किये जाने वाले नॉन-सीज सीमा में 50 मीटर और नॉन-सीज क्षेत्र कोडकन अनुमोदित करने जाने बाबत समय पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

5. सीज क्षेत्र में अपनी मिट्टी की गहराई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3.026 वर्गमीटर है। अपनी मिट्टी को 28" का स्लोप रखते हुये सीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा गहरी 4.800 वर्गमीटर क्षेत्र (उल्लंघन के लिए प्रतिबंधित) में सीजकन कुशासन किया जाएगा।

6. सी.ई.आर. के तहत कुशासन का विस्तृत प्रस्ताव किसी भूमि में किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। समिति का यह है कि सी.ई.आर. के तहत राज पंचायत से सहायी प्राप्त भूमि में कुशासन हेतु फीस का वीरन, मुकाबला हेतु पेशिंग, खाद एवं

सिपाई तथा सब-सहाय के लिए 5 वर्षों का पटावकाव अवधि का विवरण सहित विलुप्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया अधिलेख है।

7. बंदोबस्त कानून का कार्य विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा करने जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. परिवोजना के दिन-दिन स्थलों से न्युट्रिटिव फास्ट प्रासर्जन हेतु, इन स्थलों पर नियमित जल उपलब्धता की व्यवस्था किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. माईमिंग जीव क्षेत्र के अंदर एवं बाहर समय कुलरोपण किये जाने एवं वीथी पीसी का सतवाईकाल टेस्ट (Sanitization test) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत बाधगुटी मिलने से पूर्व सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा राजार, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल संचयन की संरक्षण एवं संरक्षण हेतु प्रस्ताव 1 महीने के भीतर प्रस्तुत किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विलुप्त इस परिवोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ललित नहीं है।
13. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विलुप्त बाटा सहाय, पत्नी, इन और जलवायु परिवर्तन संरक्षण की अधिसूचना का.जा. 804(अ), दिनांक 04/03/2017 के अंतर्गत कोई जलधन का प्रकरण ललित नहीं है।

समिति द्वारा उल्लेख्य कार्यसूची से निम्नानुसार निर्णय किया गया है:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पार्सिवार, इन एवं जलवायु परिवर्तन संरक्षण, रायपुर से पूर्व में जारी पार्सिवारीय सूचीकरण का पालन प्रविष्टन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. विगत वर्ष 2023 के अंत तक किये गये उल्लेख्य की कार्यालय भारत की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्तित करवाकर प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. के तहत काम संचालन से सहमति प्राप्त भूमि में कुलरोपण हेतु वीथी का संपन्न, सुखा हेतु वीथिंग, खाद एवं सिपाई तथा सब-सहाय के लिए 5 वर्षों का पटावकाव अवधि का विवरण सहित विलुप्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

सभीके सहित जानकारी/विलुप्त प्राप्त होने परतत जानकारी कार्यवाही की जाएगी।

सदयुक्त एस.ई.ए.सी., पत्नीसंग्रह के ज्ञान दिनांक 27/02/2023 के परिचय में परिवोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/04/2023 को जानकारी/विलुप्त प्रस्तुत किया गया।





(ख) समिति की 49वीं बैठक दिनांक 11/06/2023

समिति द्वारा नवीं, प्रस्तुत जानकारी का आवलीकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का चलन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नारा सहकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संकल्प में दिनांक 20/01/2023 को विवेक गये आवेदन की प्रति प्रस्तुत की गई है। नारा सहकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संकल्प, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 09/06/2023 के अनुसार

All the time of issuance of expansion TOR, the MS of EAC/SEAC shall endorse a copy of the TOR to the concerned IRD of MoEF&CC. Based on the same, project proponent shall approach the concerned IRD of MoEF&CC to issue CCR. Such request shall be expeditiously considered and disposed of by the concerned IRD within a time frame of three months from the date of application of project proponent. In case, the CCR is not issued within three months, the project proponent shall approach concerned Regional Offices of Central Pollution Control Board (CPCB) or MS of respective State Pollution Control Boards (SPCB) or State Pollution Control Committees (SPCCs) for the same. है। इस संबंध में समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का चलन प्रतिवेदन हेतु पर्यावरण संकल्प नारा सहकार द्वारा नए से मंचाया जाना आवश्यक है।

2. राज्यीय स्कोपर (ग्रामिक साइज), जिला-सोनभद्र-विभिन्न-बलापुर के प्रमाण क्रमांक/22/ग्रामिक/रा.प./2023 एन.सी.सी. दिनांक 12/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में विवेक गये आवेदन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	आवेदन (विनवीटर्स)
2020-21	730
2021-22	590
2022-23	280
कुल	1,600

समिति का मत है कि प्रस्ताव प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 09/01/2023 के प्रस्ताव आवेदन कार्य किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में ग्रामिक विभाग से प्रस्तावित जानकारी अनुसार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. सी.ई.आर. के तहत ग्राम संस्था से प्राप्त की गई भूमि में (जलपूर, नीम एवं आम) कुलरूपण हेतु प्रस्ताव अनुसार 500 मग पीछी के लिए सति 29,000 रुपये, पीछीग के लिए सति 44,000 रुपये, छाव के लिए सति 5,000 रुपये, सिंचाई तथा राह-सड़क आदि के लिए सति 80,000 रुपये, इस प्रकार कुल सति 1,61,000 रुपये के व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि 5 वर्षों हेतु कुल-कुल घटकवार विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तालमग सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु ज्योतिरामदा पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर से मंगला जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विगत दिनांक 08/01/2023 को उपरोक्त संरक्षण कार्य किया गया है अथवा नहीं? को संस्था में खनिज विभाग से प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. के तहत ग्राम पंचायत से सहमति प्राप्त भूमि में (जबलू, पीप एवं आम) पुष्करोधन हेतु 3 वर्षों के लिए पूरक-पूरक पर्यावरण विभाग प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त बखिब जानकारी/प्रस्तावक प्राप्त होने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एम.ई.सी., ज्योतिरामदा को द्वारा दिनांक 23/08/2023 को परियोजना में परियोजना प्रस्तावक द्वारा द्वारा दिनांक 01/08/2023 को जानकारी/प्रस्तावक प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 27/08/2023:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. ज्योतिरामदा पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को द्वारा दिनांक 2024, दिनांक 23/08/2023 द्वारा पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार पूर्ण जारी का पालन किया जाना बताया गया है।
2. ज्योतिरामदा पर्यावरण (खनिज खानों), मनेन्द्रगढ़ जिला-मनेन्द्रगढ़-विनिर्देश-महापुर को द्वारा दिनांक/178/खनिज/उप/2023 एम.सी.सी. मनेन्द्रगढ़, दिनांक 03/07/2023 अनुसार जनवरी, 2023 से गई, 2023 तक में उपकरण कार्य निरंत है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.78	Following activities at Village- Mukhdigarpura	
			Plantation	1.00
			Total	1.00

सी.ई.आर. के तहत पुष्करोधन (पीप, आम, जबलू आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 500 वर्ग मीटर के लिए प्रति 20,000 रुपये, पीपिंग के लिए प्रति 20,000 रुपये, खाद एवं सिंचाई के लिए प्रति 20,000 रुपये तथा सब-प्लान्ट के लिए प्रति 10,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल प्रति 70,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल प्रति 88,000 रुपये हेतु पर्यावरण कार्य का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालयों के





सहायति उपरोक्त सहायीय खदान (खाना क्रमांक 174/11, क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

4. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं पुनर्स्थापन कार्य के वीकेंडरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सहायीय समिति (ओरगनाइजर/प्रतिनिधि, ग्राम संचालक के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उपरीसमूह पर्यवेक्षण संयोजक समूह के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं पुनर्स्थापन का कार्य पूर्ण होने के उपरोक्त पहलु त्रि-सहायीय समिति से सत्यापित किया जाना आवश्यक है।

5. सहायीय एन.जी.टी., डिप्लोमा वेज, नई दिल्ली द्वारा सशुद्ध सहायीय विस्तार भवता सहायक पर्यवेक्षण, वन और प्रजासतु परिवारों संयोजक, नई दिल्ली एवं अन्य (अतिरिक्त एमिगेशन नं. 188 जीए 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पत्रित आदेश में कुछ रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster of an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. सहायीय कलेक्टर (अग्निज सहाय), जिला-कोरिया के ग्राम क्रमांक / 1050 / अग्निज / व.प. / 2021 / अग्निज बैकुण्ठपुर, दिनांक 14/07/2021 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर से नीचे आवेदित अन्य खदानों की संख्या निर्णय है। आवेदित खदान (ग्राम-मुक्तिवालय) का क्षेत्रफल 2.023 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संघटित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर या उससे कम होने से कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से आवेदन - मेसर्स मुक्तिवालय आर्जिली स्टोन कारी (जे.- शीपटी शींग मिड) को ग्राम-मुक्तिवालय, सहनील-सने-दण्ड, जिला-कोरिया से खाना क्रमांक 2/1 में क्विच सहायक खदान (ग्रीन अग्निज) खदान, कुल क्षेत्रफल-2.023 हेक्टेयर, क्षमता-12,000 टन प्रतिवर्ष हेतु परिसिस्ट-85 में तर्जित शर्तों से अर्पण पर्यवेक्षण स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

सहायक सहायी पर्यवेक्षण प्रथम आवेदन अतिरिक्त (एन.ई.आई.ए.ए.), उपरीसमूह को उपानुसार सूचित किया जाय।

8. मेसर्स आर्जिली स्टोन कारी (जे.- शी पीरज गंगवाल), ग्राम-गौजी, सहनील-कुकर, जिला-सगरी (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 1740)

अतिरिक्त आवेदन - पूर्व में उपरोक्त नम्बर - एन.ई.आई.ए./ सीजी/ एन.ई.आई.ए./ 218840/2021, दिनांक 17/08/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था।

अर्पण में उपरोक्त नम्बर - एन.ई.आई.ए./ सीजी/ एन.ई.आई.ए./ 288800/2022,

दिनांक 13/08/2022 द्वारा पर्वतारोहण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए पर्याप्त ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित कुल पथ (सीमा अन्तर्गत) खदान है। खदान नाम-गोडी, तहसील-कुसर, जिला-बनारसी स्थित खदान क्रमांक 1118/1 एवं 1118/2, कुल क्षेत्रफल-1.37 हेक्टर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-29,723.18 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एन.ई.ए.सी. पर्वतारोहण के अन्तर्गत दिनांक 23/08/2021 द्वारा प्रस्ताव 'बी' कोटेवरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2018 में प्रस्तावित स्टीमवर्ड टर्नर जीक रिजर्व (टी.सी.आर.) कीर ई.आई.ए./ई.एम.सी. रिपोर्ट कीर प्रोजेक्ट्स/एसी/रिजर्व रिजर्वेशन इन्फार्मेशन क्लियरेंस अन्तर् ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित कंपनी 1(ए) का स्टीमवर्ड टैरिफेयर (जीक सुन्वर्ड सिल) जारी किया गया है।

अनुसूचित परियोजना इलाका की एन.ई.ए.सी. पर्वतारोहण के अन्तर्गत दिनांक 23/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुविधा किया गया।

बैतलों का विवरण –

(अ) समिति की 437वीं बैठक दिनांक 20/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु की नीरज मंगवाल, प्रोजेक्ट्स एवं पर्यावरण सलाहकार के नाम से बैतलों की एक एक स्वीकृति, नीरजा, प्रस्ताविका की जोर में की दूसरे विचारधारी प्रस्तुत हुए। समिति द्वारा बैतलों, प्रस्तुत जानकारी का अन्वेषण एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्व में जारी पर्वतारोहण स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्वतारोहण स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनामतित प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गोडी का दिनांक 03/12/2020 का अनामतित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना – अगरी प्लान एंडिंग विच अगरी वर्डिंग प्लान विच इन्फार्मेशन क्लियरेंस प्लान प्रस्तुत किया गया है जो अग्नि अधिकाारी, जिला-बनारस अन्तर्गत कोर को ए. अन्तर्गत क्रमांक 180(ए)/अग्नि/अन्तर्गत.अनु./ए.ए./2021-22 कांसेप्ट, दिनांक 10/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्बोनास कोलेक्टर (अग्निज साखड़), जिला-बनारसी के अन्तर्गत क्रमांक 427/अग्निज/अग्नि./2022 अन्तर्गत, दिनांक 21/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की मील अन्तर्गत 8 खदानें, क्षेत्रफल 14.38 हेक्टर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित कार्बोनासिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्बोनास कोलेक्टर अग्निज साखड़, जिला-बनारसी के अन्तर्गत क्रमांक 725/अग्निज/ए.ए./2021 अन्तर्गत, दिनांक 10/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी कार्बोनासिक क्षेत्र जैसे बॉटल बरिन्ड, वापट, अन्तर्गत, मट्टन, पुन, बंध, एनीकर एवं जल जाहूरी आदि प्रतीकित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एन.सी.आई. संबंधी विवरण – एन.सी.आई. की नीरज मंगवाल के नाम पर है जो कार्बोनास कोलेक्टर (अग्निज साखड़), जिला-बनारसी के अन्तर्गत क्रमांक/581/अग्निज/अन्तर्गत/अन्तर्गत/2020-21 अन्तर्गत, दिनांक

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में घाटी और 7.5 मीटर की गड्ढी में 1,250 मग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
खदान के बालगुठी में (1,250 मग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (80 प्रतिशत लीज टन) हेतु प्रति	62,500	6,250	6,250	6,250	6,250
	पेकिंग हेतु प्रति	74,500	—	—	—	—
	खाद हेतु प्रति	9,380	938	938	938	938
	मिथाई एवं प्ला-एखाद हेतु प्रति	2,16,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000
कुल प्रति = 12,82,832		3,82,080	2,66,188	2,66,188	2,66,188	2,66,188

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा गड्ढी में पक्कनन – लीज क्षेत्र के घाटी और 7.5 मीटर की सीमा गड्ढी में पक्कनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **घर बाईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में बाईनिंग होने के कारण 101.24 वर्गमीटर क्षेत्र को घर बाईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका चरमोच्च अनुमोदित स्तरों प्लान में किया गया है।

17. **ई.आई.ए रिपोर्ट का विवरण:-**

- i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – सीमितरित कार्य 15 जनवरी 2021 से 14 जनवरी 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर की अंतर्गत 8 स्थानों पर पर्यावरणीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर सू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के लहूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

- ii. **सीमितरित परिसरों के अनुमत ध्वनि, एसओ₂, एनओ₂ का मानक लेवल:-**

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM ₁₀	18.4	33.3	60
PM _{2.5}	43.6	62.4	100
SO ₂	7.8	15.6	80
NO ₂	9.9	22.3	80

- iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:-** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये डीवाल अनुमत क्लोरोफिल, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, अमोनिया एवं अन्य रासायनिक पदार्थों का मानक लेवल भारतीय मानक से कम है।

- iv. **पर्यावरणीय ध्वनि स्तर:-**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	39.9	54.5	75
Night L _{eq}	35.3	48.0	70

को उच्च स्तर को निर्धारित मानक स्तर से कम है।

17. पी.सी.यू की सफाई- भारी वाहनों / मल्टीएजल हेवी वाहनों को सम्बन्धित कर्मों हेतु दैनिक अवयव निवेद प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 878 पी.सी.यू प्रतिघंटा एवं की/सी अनुपात (MC ratio) 0.43 है। प्रस्तावित परिवर्धन प्रस्ताव 43 पी.सी.यू की वृद्धि होगी। वर्तमान कुल 921 पी.सी.यू प्रतिघंटा एवं की/सी अनुपात (MC ratio) 0.48 होगी। जिसमें के उपरोक्त पी सी-मटेरियल/डोकल्ड्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड सीमा क्षमता निर्धारित मानक (Good 0.4-0.7) के भीतर है।
18. वर्तमान सड़क मार्ग में सम्पूर्ण क्लस्टर के भारी वाहनों / मल्टीएजल हेवी वाहनों को भी सम्बन्धित कर्मों हेतु दैनिक अवयव निवेद (पी.सी.यू प्रतिघंटा) की सफाई कर आवश्यकता प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार वर्तमान में 890 पी.सी.यू प्रतिघंटा एवं की/सी अनुपात (MC ratio) 0.48 है। सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु जिसमें के उपरोक्त पी सी-मटेरियल / डोकल्ड्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड सीमा क्षमता निर्धारित मानक (Good 0.4-0.7) के भीतर है।
19. जी.एल.सी की सफाई -

Contributed Concentration Levels Particulate Matter					
S. No.	Activity in the Quarry	Maximum Baseline Concentration (µg/m ³ /hr)	Incremental GLCs (µg/m ³ /hr)	Resultant Concentration (µg/m ³ /hr)	Limit (Industrial, Rural and other area) (µg/m ³ /hr)
1.	Excavation + Loading + Transportation	62.40	1.60	64.00	100

20. लोड सुनवाई दिनांक 08/08/2022 दोपहर 12:00 बजे, स्थान - धन पंचायत भवन गौजी, धन-गौजी, जहाील-कुलद, जिला-सप्तरी में सम्पन्न हुई। लोड सुनवाई परामर्श सचिव, असीसमइ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया सभपुर अटल नगर, जिला-सप्तपुर के पत्र दिनांक 28/07/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।
21. परिवर्धन प्रस्तावक द्वारा लोड सुनवाई के दौरान उठते गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रारंभिक तालिका (tabular form in english) एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रारंभिक तालिका (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
22. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल फेजमेंट प्लान - क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल फेजमेंट प्लान एवं कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल फेजमेंट प्लान में परिवर्धन प्रस्तावक की सहभागिता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
23. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय जवाबदारी (C.E.R.) - परिवर्धन प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से पारदर्शिता निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation

				(In Lakh Rupees)	
60	2%	1.60	Following activities at nearby Village-Gaol		
			Pavitra	Van	12.52
			Nirman		12.52

21. सी.ई.आर. के अंतर्गत "परिचर उम निर्माण" (आपला, बीम, आग, कचरा, कचरा प्रशुभ, अन्वयन आदि) कुलरोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 वर्ग मीटर के लिए राशि 12,200 रुपये, पंजिका के लिए राशि 1,50,000 रुपये, बाघ के लिए राशि 1,500 रुपये, सिंचाई तथा रक्ष-रक्षण आदि के लिए राशि 2,10,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,62,700 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 8,71,680 रुपये हेतु परामर्शक सेवा का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उम संघाघा योजना के तहत ही पर्याप्त पर्याप्त स्थान (खसत क्रमांक 844, क्षेत्रफल 8.88 हेक्टर में से 0.3 एकड़) को संघ में जगहवारी प्रस्तुत की गई है।
22. अनुसूचीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जीव क्षेत्र के उत्तरी दिशा का कुछ भाग 37 मीटर की चौड़ाई का है, जिसमें 2 मीटर की गहराई तक ही खनन का प्रस्ताव किया गया है, जिसका विवरण प्रथम वर्ष वर्ष का उत्खनन योजना के तहत ही उत्खनन योजना एवं जीवोन्मुख खनन योजना में परलोकित है।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खोला एवं पीया के संबंध में जगहवारी क्षेत्रीय मान सहित प्रस्तुत किया गया है।
24. संशुद्ध खसतिन किचे जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. माईलिंग जीव क्षेत्र के अंदर खनन कुलरोपण किचे जाने एवं संशुद्ध पीछे का संशुद्ध रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किचे जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निराला अनुमोहन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाबतकी मिलन द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किचे जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. जगह निशुद्ध की विवरण नहीं किचे जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसतिन (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसकी निशुद्ध इस परियोजना/खनन के संबंधित कोई न्यायानवीन प्रकल्प देस के अंतर्गत किची भी न्यायानव में खसित नहीं है।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसतिन (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसकी निशुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिनियम का.अ. 80-2017, दिनांक 14/08/2017 के अंतर्गत सीई परलोकन का प्रकल्प खसित नहीं है।

समिति द्वारा उत्खनन खसतिनवी की निशुद्धतात निर्णय किया गया था-

1. एल.सी.आई. की सेवा सुद्धि संबंधी परलोकन प्रस्तुत किया जाए।

2. कच्ची मिट्टी इकोन योजना प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले कार्यों के संदर्भ में सार्वजनिक प्रारंभिक अंश (Initiatives taken in response) में एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सार्वजनिक प्रारंभिक अंश (Initiatives taken in response) में भी प्रस्तुत किया जाए।
4. कलक्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एवं कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. भारतीयक अर्थव्यवस्था पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सार्वजनिक कार्य (Mobilized undertakings) प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, खेजूर, नहर, नदी, खास एवं अन्य जल संचयन के संस्थापन एवं संवर्धन किये जाने का कार्य सार्वजनिक कार्य (Mobilized undertakings) प्रस्तुत किया जाए।
7. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राथमिकी के अन्तर्गत दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु सार्वजनिक कार्य (Mobilized undertakings) प्रस्तुत किया जाए।
8. कलक्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित कराते हुए जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही कलक्टर में जाने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुकूल कलक्टर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
9. कलक्टर में जाने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अवगत एवं वेबसाइट पर प्रकाशित करके दिये गये पुनर्निर्धारित कर प्रस्तुत किया जाए।
10. कलक्टर में जाने वाली खदानों की परामर्शन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटनाएँ पर पड़ने वाले प्रभावों की वेबसाइट हेतु कलक्टर में जाने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुए, कलक्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा नियमित करने हेतु संघसचिव, संघसचयन, भीमिडी तथा खनिज, इंद्रावती नगर, नया बरगुन अटल नगर, जिला – रायपुर (भारतीयक) के स्तर से समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/सहायक प्रस्तुत किये जाने परमांत आशानी कार्यवाही की जाएगी।

रायपुर एन.आई.ए.सी., भारतीयक के द्वारा दिनांक 18/01/2023 की परिपत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 14/09/2023 की जानकारी/सहायक प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की अंशवही बैठक दिनांक 08/08/2023

समिति द्वारा नती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. एन.आई.ए.सी. की वेबसाइट पर नया बरगुन संघसचयन, भीमिडी तथा खनिज, नया बरगुन अटल नगर के पुनर्निर्धारण प्रस्ताव दिनांक 21/2023 द्वारा जारी प्रति आदेश दिनांक 18/02/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार

"उपरोक्त विवेचना के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रकल्प स्वीकार करते हुए, यह निर्दिष्ट किया जाता है कि जलसंधारण योजना अधिनियम, 2016 के नियम 42(3) प्राणु के तहत प्रस्तावित प्रकल्प में पर्याप्त स्वीकृति प्राप्त होने पर्याप्त उपकरण यंत्रण स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अधिलिखित कार्यवाही प्रदान करते हुए प्रकल्प असेम्बलिंग विभाजन कार्यवाही को प्रभावित किया जाता है।" होना बताया गया है।

2. अपनी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर एवं गांठ 12.767-16 सेंटीमीटर है। प्रकल्प वर्ष में 3,288.27 सेंटीमीटर अपनी मिट्टी उत्पन्न होगी, जिसमें से आवासीय/व्यावसायिक अपनी मिट्टी को 7.5 मीटर (माइन बाउण्डरी) क्षेत्र में फैलाकर पुनर्स्थापन किये जाने पर्याप्त क्षेत्र अपनी मिट्टी को फिर प्राकृतिक क्षेत्र में संयोजित किया जाएगा। द्वितीय वर्ष में उत्पन्न अपनी मिट्टी का उपयोग प्रकल्प वर्ष में किये गये मिट्टी को पुनर्स्थापन में किया जाएगा। इस प्रकार क्षेत्र 8,314.87 सेंटीमीटर अपनी मिट्टी का उपयोग किये गये मिट्टी को पुनर्स्थापन में किया जाएगा।

3. लोक सुलवाई के दौरान उत्पन्न गंदे विभिन्न नुदवी एवं उनके निराकरण की विद्या में किये जाने वाले प्रकल्प को संकेत में जन साधन के सुविधानुसार सार्वजनिक स्वयं सेवी (Public Work in Hand) में प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार जनसुलवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं-

1. खदान में जो बड़ा स्टाफिंग करते हैं। उसमें घरे में टैप अस्थापित करते हैं। गांव वाले यही चाहते हैं कि निम्न स्तर पर स्टाफिंग का कार्य किया जाए।
2. स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देना चाहिए।

लोक सुलवाई के दौरान उत्पन्न गंदे विभिन्न नुदवी को निराकरण की विद्या में परिशोधन प्रस्तावकी की और से अधिलिखित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कम्पन निम्नानुसार है-

1. स्टाफिंग का कार्य सभी सुझाव/विचारों को ध्यान में रखकर अनुष्ठानिकारी/उद्योगिकी के द्वारा ही किया जाएगा।
2. खदान में काम करने के लिए यहाँ के रहवासीयों को प्राथमिकता दी जाएगी।

4. कंसल्टेंट हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान एवं कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान में परिशोधन प्रस्तावकी की सहायकता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार अधिलिखित खदान को शामिल करते हुए कंसल्टेंट में कुल 7 खदानें आवती हैं। अतः कंसल्टेंट में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है-

विवरण	प्रथम (अवधि)	द्वितीय (अवधि)	तृतीय (अवधि)	चतुर्थ (अवधि)	पंचम (अवधि)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पट्टीय मार्ग से उत्पन्न धूल परावर्तन को नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पट्टीय मार्ग की कुल लम्बाई 1.5 कि.मी.	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000

पशुधन कार्य के दौरान लागू की कुल लागतें 1.2 कि.मी. में (7,000 नग) कुआरीयन हेतु	कुआरीयन (50 प्रतिशत जीवन वग) हेतु राशि	5,00,000	80,000	80,000	80,000	80,000
	वैशेष हेतु राशि	18,80,000	—	—	—	—
	खार एवं खाद-खाद अदि हेतु राशि	7,00,000	7,00,000	7,00,000	7,00,000	7,00,000
इन्फ्रास्ट्रक्चर (वैशेषिक)	सैनिकरिन	1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000
सड़क/पशुधन कार्य के खाद-खाद हेतु		2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000
उत्पीन सड़क या कुआरीयन हेतु (2.5 कि.मी. तक)		1,00,000	30,000	30,000	—	—
कुल = 25,80,000		25,70,000	14,80,000	14,80,000	14,30,000	14,30,000

सोमना इन्फ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेटिव सोसायटी में परिवर्तित इन्फ्रास्ट्रक्चर की सम्बन्धित विवरणस्ततः होगी:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)	
प्रथम विवरण हेतु परिवर्तन के दौरान सड़क/पशुधन कार्य से उत्पन्न हुए उत्पीन के निर्माण हेतु पल सिविल (500 बीटर सेव)	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
500 बीटर सेव के दौरान ताल (1250 नग) कुआरीयन हेतु	कुआरीयन (50 प्रतिशत जीवन वग) हेतु राशि	1,50,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	वैशेष हेतु राशि	3,00,000	—	—	—	—
	बीज, खार एवं खाद-खाद हेतु राशि	1,10,000	1,50,000	1,00,000	1,50,000	1,50,000
इन्फ्रास्ट्रक्चर (वैशेषिक)	सैनिकरिन	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
सड़क / पशुधन कार्य के संवर्धन हेतु	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
उत्पीन सड़क या कुआरीयन (2.5 कि.मी.)	40,000	30,000	30,000	—	—	
कुल राशि = 18,30,000	9,10,000	2,45,000	2,45,000	2,28,000	2,28,000	

6. पर्यावरण प्रभावों का वर्गीकरण नीति के तहत स्थानीय स्तरों को संलग्न विधे जाने हेतु कार्य पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, खंड, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल संचयन के संरक्षण एवं संयोजन विधे जाने वाले कार्य पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न सुझावों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समीक्षा के समक्ष विधे गये आश्वासन को पूरा करने हेतु कार्य पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. कलक्टर हेतु सीमा इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करके मुझे जानकारी प्रस्तुत किया गया है। साथ ही कलक्टर में जाने वाले खदानों द्वारा सीमा इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान को तहत विधे जाने वाले कार्य हेतु अनुसंधान करके जनसूची प्रस्तुत किया गया है।

8. कलक्टर में जाने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार सीमा इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अद्यतन एवं संशोधन सहित नक्शे में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किया गया है।

10. सी.ई.आर. सीमा इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, सीमा इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, खदानों के रख-रखाव एवं पुनर्स्थापना कार्य के सनिटरीज एवं पर्यवेक्षण हेतु कि-प्लीव समिति (सेफाईट/प्रतिनिधि, ग्राम संघ/खंड के सदस्य/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या पर्यावरण पर्यवेक्षण संस्थान के सदस्य/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. सीमा इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, खदानों के रख-रखाव एवं पुनर्स्थापना का कार्य पूर्ण विधे जाने की उपरोक्त गठित कि-प्लीव समिति से सहायित करके जना आश्वासन है।

11. मानवीय एन.जी.टी., डिमिटास रोड, नई दिल्ली द्वारा सर्वेक्षणा संबंधी विवरण प्राप्त सखार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑपरेशनल एनफोर्समेंट नं. 188 और 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पत्रित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सखार), जिला-बनारसी के ज्ञान अग्रवाल +37/खनिज/खनिज/2022 बनारसी, दिनांक 21/08/2022 को अनुसार आवेदित खदान में 500 मीटर के भीतर अवस्थित 8 खदानों, क्षेत्रफल 14.38 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-बोडी) का क्षेत्रफल 1.27 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-बोडी) को मिलाकर कुल मिलाकर 15.65 हेक्टेयर है। खदान की सीमा में 500 मीटर की परिधि में गरीब/संयोजित खदानों का कुल

संख्या 9 डेक्टोर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मान्य नहीं।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (ज्या संशोधित) के प्रावधानों एवं मान्यताएं एन. जे.टी. द्वारा जारी खदानों के अनुसंधान खण्डों में होने वाली खदानों की पर्यावरण परियोजनाओं से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले खानों की संरक्षण हेतु खण्डों में होने वाले खानों खदानों को शामिल करते हुए, खण्डों हेतु वॉलम इन्फ्लोयमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा तैयार किए गए प्लान हेतु संशोधक, संशोधकालय, भौतिकी तथा खनिज, इंधनारी पाल, तथा राज्य सरकार, जिला - रायपुर (प्रशासनिक) के तार से समझौता कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स लाईन स्टोन कार्बो (प्री- बी पीएस संशोधक) को धान-पौड़ी, चहरील-कुलद, जिला-अमराठी के खण्ड क्रमांक 1118/1 एवं 1118/2 में स्थित घुस पत्थर (पीन खनिज) खदान, कुल संरक्षण-127 डेक्टोर, अन्तः - 28,723 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

प्रतिकल्प द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकल्प का प्रतिकल्प की दिनांक 21/08/2023 को संख्या 149वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकल्प द्वारा सभी का अवलोकन किया गया। प्रतिकल्प द्वारा नोट किया गया कि खदान क्षेत्र से मौसमी नाला 15 मीटर दूर है। अतः प्रतिकल्प के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रतीसमय संरक्षण, खनिज संरक्षण विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27/08/2015 के अन्वय-बी से किन्तु क्रमांक 5(ग) "जो किसी घुस, राष्ट्रीय या राज्य सरकार, राज्य से, सभी दिशाओं में, 100 मीटर की दूरी के भीतर, अन्वय-बी धान सड़क योजना, कुलसमूची धान सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़क, लोक निर्माण विभाग की अन्य जिले के सड़कों से, सभी दिशाओं में, 50 मीटर के भीतर तथा प्राचीन कच्चे खानों से, सभी दिशाओं में, 10 मीटर के भीतर या प्राचीन खानों को छोड़कर किसी प्रायोजनिक स्थान से, सभी दिशाओं में, 50 मीटर के भीतर" का उल्लंघन है।

प्रतिकल्प द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों को परिशिष्ट में परिशिष्ट उपरोक्त उपसूची अनुमति किये जाने हेतु प्रकल्प की एच.आई.ए.सी., प्रतीसमय को सन्तुष्ट प्रस्तुत किये जाने का निर्णय किया गया।

(ग) समिति की 474वीं बैठक दिनांक 13/07/2023

समिति द्वारा सभी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परिशिष्ट कर, तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय किया गया था कि खदान क्षेत्र से मौसमी नाला 15 मीटर दूर है। अतः परिशिष्ट प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार मौसमी नाला से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी रखे जाने हेतु माईनिंग प्लान में मौसमी नाला की तल्ल अधिस्थित 25 मीटर लंबाई के क्षेत्र को रीन माईनिंग क्षेत्र प्रकृति हेतु संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने से उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

अनुसार एच.आई.ए.सी., प्रतीसमय की 474वीं बैठक दिनांक 13/07/2023 से परिशिष्ट में परिशिष्ट प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21/08/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(घ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 27/08/2023

समिति द्वारा मशी, प्रस्तुत जानकारी का आवलीकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि खदान क्षेत्र से मौसमी पानी 15 मीटर दूर है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा विद्यमानुसार मौसमी पानी से न्यूनतम 80 मीटर की दूरी रखे जाने हेतु माइनिंग प्लान में मौसमी पानी की तलक अवधिगत 35 मीटर गेजर्ड के 1227 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माइनिंग क्षेत्र रखते हुये गेजर्ड/गैजर्ड करारी प्लान प्रस्तुत किया गया है जो एक संभावक (ख.प्र.) जिला-उत्तर उत्तर कांसेट की खान क्रमांक 1808/खनिज/उत्तर. पी.अनु./घ.प./2023-24 कांसेट, दिनांक 14/08/2023 द्वारा अनुमोदित है। वर्षावत में सिंचनी/सिंचन रिजर्व 8,18,800 टन (2,49,800 घनमीटर), माइनिंग रिजर्व 2,10,824 टन (64,249 घनमीटर) एवं सिंचनी/सिंचन रिजर्व 2,00,088 टन (60,032 घनमीटर) है। सील की 7.5 मीटर चौड़ी खोप पट्टी (खानन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,875 वर्गमीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष से अधिक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से पूर्व में समिति की 442वीं बैठक दिनांक 09/08/2023 में की गई अनुमोदना के अन्तर्गत पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमोदना की गई थी एवं पुनः अनुमोदना की जाती है। साथ ही समिति द्वारा निर्दिष्ट की गई शर्तें पालना रखनी।

राज्य सार्वीय पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिकाय (एन.ई.आई.ए.ए.) प्रतीमगढ़ को उपानुसार सूचित किया जाए।

8. वेस्ट अरोरा प्रतीमगढ़ एनर्जी एन्ड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, राम-इरवीकला, सिलगढी औद्योगिक क्षेत्र, जिला-बिलासपुर (सिंचनी/खान क्रमांक 2300)

ऑनलाईन आवेदन - आवेदन नम्बर - एन.आई.ए./ सी.सी./ आई.एन.डी./ 424784/2023, दिनांक 04/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में समिती होने से खान दिनांक 18/04/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उचित जानकारी दिनांक 09/08/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह अन्तत विस्तार का प्रकल्प है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा राम-इरवीकला, सिलगढी औद्योगिक क्षेत्र, जिला-बिलासपुर, कुल क्षेत्रफल-5.13 हेक्टेयर में इन्फ्रास्ट्रक्चर करीब 3 गुना 7 एन० अन्तत - 38,770 टन प्रतिवर्ष से बढ़कर 287 टन + 148 टन० अन्तत 38,900 टन प्रतिवर्ष एवं हीट एजिनिंग सेटिंग मिल अन्तत-32,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़कर 38,900 टन प्रतिवर्ष तथा कोल पैकिंग/पैक-2,000 सामान्य घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। खानन में परियोजना का विनिर्घेन 4.50 करोड़ है तथा अन्तत विस्तार उपरोक्त परियोजना का विनिर्घेन 3.50 करोड़ है। इस अन्तत परियोजना का कुल विनिर्घेन करण 10 करोड़ होगा।

उपानुसार परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.ए.सी, प्रतीमगढ़ को खान दिनांक 22/08/2023 द्वारा अनुमोदित हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 412वीं बैठक दिनांक 27/08/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु की अर्घ्य देन, आवेदन पर परीक्षा हेतु। समिति द्वारा मशी, प्रस्तुत जानकारी का आवलीकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्पत्ति आई गई-

1. जल एवं वायु सफाई –

- क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तरीसंगम पर्यावरण संरक्षण मंडल, दिल्लीनगर में सील इंस्टीट्स (एन एम इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्निसिंग) द्वारा 7 टन) 36,770 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु एवं एन.एस. गैलर प्रोजेक्ट्स द्वारा- 32,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सफाई नवीनीकरण दिनांक 22/10/2019 को जारी की गई है, जिसकी वैधता 30/04/2023 तक है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु उत्तरीसंगम पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विन्युक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु उत्तरीसंगम पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विन्युक्त जानकारी उत्तरीसंगम पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. निकटवर्ती स्थित विद्यालयों संबंधी जानकारी –

- नवीनस्थ अक्षांश राम सोनी 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटवर्ती के.ए. स्टेशन बिलासपुर 4.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। उत्तरनाथ विद्यालय, बिलासपुर 14 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। अन्य गरी 11.8 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतरराज्य, क्षेत्रीय राजमार्ग नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किरिबली सीलिंग्ड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रमाणित किया है।

3. सीमा का विवरण – उत्तरीसंगम स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दिनांक 14/09/2008 को द्वारा पीट नं. 22, क्षेत्रफल 12.88 एकड़ (2.12 हेक्टेयर) हेतु मुनि को सीमा रेखा (उत्तरीसंगम) इनकी एचड गटौल प्रॉपर्टि लिमिटेड, राम-इलीकला, बिलासपुरी औद्योगिक क्षेत्र, जिला-बिलासपुर के नाम पर जारी की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 13/09/2004 तक है।

4. उत्तरीसंगम बाजार, बसिन्ग एवं पार्किंग स्थान, संरक्षण दादा कल्याण सिंह पार्क, बसपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एक 11-29/2012/11/66 दिनांक 08/04/2012 के द्वारा जिला-बिलासपुर, राम बिल्डिंग एवं अन्य तीन धाम स्थित 806.88 एकड़ मुनि को बिलासपुरी औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

5. क्षेत्रीय एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1.	Construction area	6,805	19
2.	Open & Road area	24,962.15	49
3.	Green belt area	17,355	33
	Total	31,372.15	100

समिति का मत है कि अद्यतन एवं अगला विस्तार प्रस्ताव की स्थिति में क्षेत्रीय एरिया स्टेटमेंट (संरक्षण एवं प्रतिबंध) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. ची-फॉरिजल -

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode
For M.S Billets/ Ingots				
1.	Sponge Iron	49,000	Open Market	By Road (through covered trucks)
2.	Scrap	12,400	Open Market	By Road (through covered trucks)
3.	Ferro Alloys	800	Open Market	By Road (through covered trucks)
For Rolling Mill				
1.	Billets	59,900	Own Induction Furnace	-

7. प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी -

S. No.	Name	Existing Installed Capacity	Total Capacity After Expansion
1.	Induction Furnace	35,700 TPA	59,900 TPA
2.	Hot Charged Rolling Mill	32,000 TPA	59,900 TPA

8. परिवर्धन प्रस्तावक द्वारा इस अवसर का समय प्रस्तुत किया गया है कि उनकी द्वारा बुटिकस ऑनलाईन आवेदन में 2,000 घनमीटर प्रतिदिन की वीडियो का प्रस्तुत हो गया है। जिसका अंश प्रस्तावित पर्यटन में नहीं किया जाएगा। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित पर्यटन में ऑन-लीन से फॉट एवं फॉटोवी स्थापित है तथा स्थापित पर्यटन में वर्तमान में वायु प्रदूषण नियंत्रण, जल प्रदूषण नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वृक्षारोपण एवं अन्य से संबंध में पर्यावरण प्रबंधन संरक्षण मंडल से जानकारी एवं पर्यटन (पोर्टल) संबंधी मंगला जाना आवश्यक है।

9. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - प्रस्तावित परिवर्धन हेतु कुल एयरट्रेटलम सिस्टम की साथ सेन किल्टर एवं 30 मीटर ऊंची निमी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। पर्यटन व्यवस्था से पार्टिकुलेट मैटर का प्रसारण 30 मिलीग्राम/घण्टा घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। रेसुसिटेन जल प्रसारण नियंत्रण हेतु जल सिंचन किया जाता है। सभी व्यवस्था प्रस्तावित सर्वोत्तम प्रकार अपनाई जा रही।

10. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था - परिवर्धन हेतु इन्फिल्ट्रेशन बनीस से कोल 1,500 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। रॉडिन मिल से मिल कोल 500 टन प्रतिदिन, एच कटिंग 500 टन प्रतिदिन एवं कुच ऑयल 1 टन प्रतिदिन कोल के रूप में उत्पन्न होगी। मिल कोल को पुन-उपयोग किया जाएगा। समिति का मत है कि वर्तमान एवं अगला विचार प्रस्ताव की विधि में इन्फिल्ट्रेशन कर्ना एवं रॉडिन मिल से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट एवं उसके अवशेष व्यवस्था की विलुप्त जानकारी पुन-पुनः प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. जल प्रबंधन व्यवस्था -

- जल संचय एवं संचय - प्रस्तावित परिवर्धन हेतु कुल 19 घनमीटर प्रतिदिन (परेलू प्रयोग हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन, औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 11 घनमीटर

प्रतिदिन, तीन सेकंड एवं इस्ट साइडल हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। परिपोजना अंतर्गत औद्योगिक प्रक्रिया हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति सेंट्रल वाटरवर्क बोर्ड की सुविधा से की जाएगी। समिति का मत है कि वर्तमान एवं अगला विचारण उपरोक्त के विधि में जल अभाव एवं खोरा की विस्तृत जानकारी पुनः-पुनः प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही संबंधित कक्षा से अनुमति प्राप्त प्राप्त कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रॉडिंग मिल से दूषित जल को प्रथम दूषित जल को रोक कर पुनः दूषित हेतु उपयोग में लाया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कारखाने में उपरोक्त अपनाई जाएगी। प्रस्तावित कारखाने में उपरोक्त प्रथम दूषित जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। परिपोजना से उत्पन्न दूषित जल को उपचार हेतु एमडीसीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अगला 8 घनमीटर प्रतिदिन की क्षमता प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बल सीवेज, औद्योगिक एवं घरेलू ट्रेप, पी-सीवेज कलेक्शन टैंक, एमडीसीआर टैंक, स्लाज पंपरा, फिल्टर प्रेश, इंटर्लॉकड टैंक, प्रेशर सेप्टिक सिस्टम, सुनिटरेटेड कार्बन सिस्टम एवं अगला सिस्टम आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। दूषित निष्काशन की विधि यही जाएगी।

12. **पू-जल उपयोग प्रबंधन** – परिपोजना अंतर्गत सेंट्रल वाटरवर्क बोर्ड के अनुसार सेवा जोन में जाता है। जिसके अनुसार-

(क) कुहर एवं संधन उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःउपयोग एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ख) वाटरवर्क बोर्ड विचार्य हेतु अपनाई गई तकनीक तथा रेनवाटर हाईसिस्टम / ऑटोमैटिकल जल विचार्य से अगला या पू-जल निष्काशे जाने की अनुमति सेंट्रल वाटरवर्क बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रस्ताव है। जल उपयोग की रेनवाटर हाईसिस्टम व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

13. **रेन वॉटर हाईसिस्टम व्यवस्था** – वर्तमान में एवं अगला विचारण उपरोक्त परिचार के पूर्ण तकनीक अनुसार विस्तृत योजना कर रेन वॉटर हाईसिस्टम स्ट्रक्चर के संस्था में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **विद्युत आपूर्ति स्वीकृति** – परिपोजना हेतु कुल 7 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति भारतीय नदी राज्य विद्युत निगम कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। तकनीक व्यवस्था हेतु 125 को.वी.ए. के 3 फल को.वी. सेट का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

15. **पुनःउपयोग संबंधी जानकारी** – इतिहास परीक्षण के विचार्य हेतु कुल क्षेत्रफल के 1.71 हेक्टर (20 प्रतिशत) क्षेत्र में 4,200 नम नदी रोपित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि इतिहास परीक्षण का क्षेत्रफल 10 प्रतिशत के बजाय 40 प्रतिशत किया जाना आवश्यक है एवं पुनःउपयोग हेतु (नदी की संस्था सहित) पीपी का रोपण, सुखा हेतु रोपण, जल एवं विचार्य तथा पत्र-पत्र के लिए 8 वर्षों का वर्षा पट्टाकार एवं समथर पत्र का विचार्य सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. **ऑनोरेट पब्लिकनीस समिति (C.E.R.)** – परिपोजना प्रस्तावक द्वारा पी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार्य के पत्र

उपरोक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपरोक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था—

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु प्राथमिक पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति कार्टी के माध्यम से की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किये जाने एवं वर्तमान में स्थापित इकाईयों में ऑन-लीन से प्लांट एवं मशीनरी स्थापित है तथा स्थापित इकाईयों में वर्तमान में वायु प्रदूषण नियंत्रण, जल प्रदूषण नियंत्रण, शीत अपशिष्ट प्रबंधन, कुसुरोत्पन्न एवं अन्य की संस्था में प्राथमिक पर्यावरण संरक्षण मंडल से जानकारी एवं दस्तावेज (सेटलमेंट सर्टिफिकेट) कराये जाने हेतु प्राथमिक पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाए।
2. अंशदाता एवं अंशदा विस्तार उपरोक्त की स्थिति में लेख दूजिया सर्टिफिकेट (श्रीवर्मा एवं प्रविशाल) प्रस्तुत किया जाए।
3. वर्तमान एवं अंशदा विस्तार उपरोक्त की स्थिति में इकाईयों को कनेक्ट एवं टेरिग मिल से सम्बन्धित शीत अपशिष्ट एवं उसके अपवहन व्यवस्था की विस्तृत जानकारी पृथक-पृथक प्रस्तुत किया जाए।
4. वर्तमान एवं अंशदा विस्तार उपरोक्त की स्थिति में जल सफाई एवं स्वच्छ की विस्तृत जानकारी पृथक-पृथक प्रस्तुत किया जाए। साथ ही संबंधित बाधा से अनुमति पत्र प्राप्त कर समिति को सन्तुष्ट प्रस्तुत किया जाए।
5. वर्तमान में परेशु दूषित जल को उपचार हेतु की गई व्यवस्था की संस्था जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
6. वर्तमान में एवं अंशदा विस्तार उपरोक्त परिसर को पूर्ण सन्धीक अनुसार विस्तृत मसला कर सेन बीटर इन्फॉर्मिंग स्ट्रक्चर को संस्था में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
7. सेन बीटर इन्फॉर्मिंग व्यवस्था पश्चात् को रिवाज किया जा सकेगा। सभी रिवाज स्ट्रक्चरों इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का संचय हो सके।
8. परियोजना की कुछ क्षेत्रों का 3D प्रिजेंटेशन कोष में इतिहास पेटिशन विवरण हेतु (सीडी की संस्था सहित) सीडी का संचय, मुद्रण हेतु प्रिजेंट, साफ एवं रिवाज तथा सफा-सफाई को लिए 6 वर्षों का परिसर पेटिशन एवं समझौता कर का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंशदा (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विस्तृत इस परियोजना/उद्योग से संबंधित कोई न्यायसहीन प्रकल्प देस को अंशदा किये की न्यायसहीन में उचित नहीं है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंशदा (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विस्तृत भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 को अंशदा कोई उल्लंघन का प्रकल्प उचित नहीं है।
11. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपरोक्त विस्तृत प्रस्ताव (सी.ई.आर.) प्रस्तुत किया जाए।





उपरोक्त बंदिग जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त अगामी कार्रवाई की जाएगी।

उदाहरण के लिए, अतीसमय के आदेश दिनांक 22/08/2023 के परिषद में परिषदजन्य प्रस्तावक द्वारा दिनांक 04/09/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ख) समिति की 430वीं बैठक दिनांक 27/08/2023।

समिति द्वारा नयी, प्रस्तुत जानकारी का आलोचन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, अतीसमय कार्यालय संसद मंडल, जिलासमूह के आदेश दिनांक 2807, दिनांक 01/09/2023 द्वारा जारी बंदिगि रसी की पालन में की गई कार्रवाई की विन्दुगत जानकारी प्रस्तुत किने गई है, जिसके अनुसार पूर्ण रसी का पालन किया जाना बताया गया है।
2. आवरण एवं अगला विस्तार उपरान्त की स्थिति में लेम्ब एरिया स्टोरेज (गोखरल एवं अरिखत) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार-

Land use	Existing Unit		Proposed Expansion	
	Area (m ²)	Area (%)	Area (m ²)	Area (%)
Building sheds area	8,010	15.81	8,195	15.89
Roadway area	8,000	15.56	7,000	13.64
Green belt area	16,329	33	23,088	45
Open land area	16,711	32.57	11,410	22.34
Rain water reservoir	1,650	3.21	1,650	3.21
Total Area	61,399	100	61,300	100

3. वर्तमान एवं अगला विस्तार उपरान्त उत्पन्न होने अरिखत एवं बराले अपवहन व्यवस्था की विन्दुगत जानकारी प्राप्त-प्राप्त प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार-

Name of Waste	Quantity (TPA)	Management
Mil Scale	500	Use in Process (again melt in induction furnace)
End Cutting	600	Use in Process (again melt in induction furnace)
Used Oil	1.0	Use as lubrication of rolling mill machines.
Slag	1,100	Send to nearby bricks manufacturing unit and used for the road construction.

Slag will be transported by tarpaulins covered trucks to nearby bricks manufacturing unit and road construction other waste will be utilized in house.

4. वर्तमान में परिषदजन्य हेतु कुल 8.8 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिन हेतु 4.8 घनमीटर प्रतिदिन, अरिखत संचालन के लिए 1 घनमीटर प्रतिदिन, परिसर उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन एवं कुलसंचालन के लिए 1 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। अगला विस्तार उपरान्त परिषदजन्य हेतु कुल 19 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिन हेतु 11 घनमीटर प्रतिदिन, अरिखत संचालन के लिए 3 घनमीटर प्रतिदिन, परिसर उपयोग हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन एवं कुलसंचालन के लिए 3 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाएगा। जल की आपूर्ति न्यू-जल से की जाती है। नदी कायदा अगला विस्तार उपरान्त भी अगवाई जाएगी। न्यू-जल की उपयोगिता (18

कर्मचारी प्रतिदिन) हेतु वैनटून प्रारम्भ करने अवधि में दिनांक 28/08/2028 तक के लिए अनुमति प्राप्त की गई है।

6. औद्योगिक इंधन से कुलित उत्पात जमित दुधित जल को उठा कर पूरा कुलित हेतु उपयोग में लाया जाता है। परिशोधना से प्राप्त पानी दुधित जल को मात्र 8 कर्मचारी प्रतिदिन होगी, जिससे उत्पात हेतु एमपीसीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। उपरोधित दुधित जल का उपयोग उद्येय परिसर एवं कुलित हेतु किया जाएगा। कुलित निस्तारण की विधी उद्येय जाना प्रस्तावित है।
7. परिसर में परिसर परिसर में वर्षा के पानी का कुल कर्मचारी 22,181.08 कर्मचारी है। परिसर में रैन वॉटर हावीरिंग व्यवस्था की अवधि 2 नम विचार्य पिट (धारा 4 मीटर एवं गहराय 8 मीटर) एवं रैन वर्षा जल को संचार में एकत्रित किया जाता है। अन्तत विस्तार उत्पात उद्येय परिसर में वर्षा के पानी का कुल कर्मचारी 22,354.8 कर्मचारी है। अन्तत विस्तार के सवाय रैन वॉटर हावीरिंग व्यवस्था की अवधि 1 नम विचार्य पिट (धारा 4 मीटर एवं गहराय 8 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रैन वॉटर हावीरिंग व्यवस्था परिसर को पूर्ण कर्मचारी की विचार्य किया जा सकेगा। सभी विचार्य स्ट्रक्चर इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का संचार हो सके।
8. परिशोधना के कुल क्षेत्रफल का 23.088 कर्मचारी (25 प्रतिशत) क्षेत्र में कुलित (बिड़, पीप, सिंचन, बेल, आबला, जलुन आदि) हेतु अनुमत उत्पात अनुसार 1,710 नम पौधी के लिए सति 1,82,500 रुपये, खाद के लिए सति 88,500 रुपये तथा एल-एलएन आदि के लिए सति 1,48,000 रुपये, इस प्रकार कुल र्श में कुल सति 5,87,350 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल सति 7,08,808 रुपये हेतु परतकालर व्यव का विवरण अनुमत किया गया है।
9. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा कर्मचारी (Notarized undertaking) अनुमत किया गया है कि उसके विरुध्द इस परिशोधना/उद्येय में संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण रेश की अवधि किन्ती भी न्यायालय में लभित नहीं है।
10. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा कर्मचारी (Notarized undertaking) अनुमत किया गया है कि उसके विरुध्द कर्ता उत्पात, परिसर, वन और जलसामु परिशोधन संस्थाप की अधिसूचना का.अ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अवधि कोई प्रकरण का प्रकरण लभित नहीं है।
10. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा कर्मचारी (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विरुध्द उत्पात अनुमत किया गया है—

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
550	2%	11	Following activities at nearby	
			Pantra Van	11.02
			Nirman	
			Total	11.02

Handwritten signature

Handwritten mark

सी.ई.आर. के अंतर्गत "घटित दान निर्माण" के तहत (बड़, मीन, पीपल, केर, आंवला, जामुन आदि) कुलवैभव हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 458 मग पीपल के लिए राशि 83,480 रुपये, पीपल के लिए राशि 1,02,000 रुपये, आर के लिए राशि 22,800 रुपये, सिवई के लिए राशि 24,824 रुपये तथा पत्र-पत्राव आदि के लिए राशि 1,48,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,88,904 रुपये तथा अगामी 4 वर्ष में कुल राशि 7,03,660 रुपये हेतु गटकरदार जमा का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परिशोधन प्रस्तावक द्वारा प्राप्त संशोधन सिलपट्टी के संशुद्धि प्रस्ताव संशोधन सदान (खसरा क्रमांक 38/2, क्षेत्रफल 0.18 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

11. अधिसूचना में संशुद्धि प्राप्त हुआईनों से उपचारन की दशा में सड़क एवं विनयी से पार्किंगलेट मीटर 30 किलोघाम/सामान्य पल्मीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उपचारन की मात्रा 6,378 किलोघाम प्रतिवर्ष होगा है। प्रस्तावित कार्यकाल प्रस्तावित प्रस्तावित हुआईनों से उपचारन की दशा में कम विनयर एवं विनयी से पार्किंगलेट मीटर 30 किलोघाम/सामान्य पल्मीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उपचारन की मात्रा 4,188.8 किलोघाम प्रतिवर्ष होगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि मेलर्स अंतर्गत प्रतीमगढ़ एनपी एनए स्ट्रीट प्रॉजैक्ट लिमिटेड में प्रस्तावित कार्यकाल के तहत प्राप्त-इन्टीकल, सिलपट्टी औद्योगिक क्षेत्र, जिला-जिलापुर सिविल क्षेत्रफल-6.13 हेक्टेयर में कुलवैभव अर्थात् (2 गुना 7 टन) क्षमता - 38,778 टन प्रतिवर्ष से बढ़कर (207 टन + 128 टन) क्षमता 59,800 टन प्रतिवर्ष एवं हीट पार्किंग रेटिंग मिल क्षमता-32,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़कर 59,800 टन प्रतिवर्ष हेतु पार्किंग-38 में वर्धित करी के अधीन पर्यावरणीय सौक्ष्मि दिष्ट करने की अनुमति की गई।

उक्त स्वीकृत पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन (एसईआईएए) प्रतीमगढ़ को तदनुसार सुधित किया जाए।

12. मेलर्स संदागढ़ जिक अर्थ पाईन (सी- सी पीपल अडवाले), ग्राम-संदागढ़, तहसील-सत्यनगर, जिला-जिलापुर (सचिवालय का मसौदा क्रमांक 2022)

अंतिमसूचना आवेदन - प्रदीपल नम्बर - एलआईए/ सीपी/ एनआईए/ 273848/2022, दिनांक 23/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय सौक्ष्मि हेतु उपचारन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित मिट्टी उपचारन (मीन अमिड) उपचारन एवं विनयर विनयी हेतु उपचारन हुआई है। सदान ग्राम-संदागढ़, तहसील-सत्यनगर, जिला-जिलापुर सिविल खसरा क्रमांक 40, 41/3, 41/4, 43/1/ख, 43/1/घ, 43/2 एवं 44/2, कुल क्षेत्रफल-2.328 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। सदान की अधिदिष्ट मिट्टी उपचारन क्षमता-750 पल्मीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परिशोधन प्रस्तावक को एलआईएसी, प्रतीमगढ़ के अधिसूचना दिनांक 08/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुधित किया गया।

हीटसी का विवरण -

- (अ) समिति की 424वीं बैठक दिनांक 20/09/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु सीई की प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिशोधन प्रस्तावक के पत्र दिनांक 20/09/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अधिद्वार काली से समिति के

समय बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुमति किया गया है।

समिति द्वारा उत्तमव्यव सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिशोधना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई अधित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परिशोधना प्रस्तावक को एम.ई.ए.सी., फरतीसगढ़ के द्वारा दिनांक 08/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 12/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिशोधना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 12/01/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि आगामी कालों से आग बैठक में प्रस्तुतीकरण किया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुमति किया गया है।

समिति द्वारा उत्तमव्यव सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिशोधना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई अधित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परिशोधना प्रस्तावक को एम.ई.ए.सी., फरतीसगढ़ के द्वारा दिनांक 08/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(क) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 12/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी केवल उपरोक्त उल्लिखित प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा जारी, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. प्रस्तुतीकरण के दौरान परिशोधना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में 0.380 हेक्टेयर हेतु चुनि लीज का प्रयास की। उत्तमव्यव दिनांक नष्ट की स्वाम्य समिति विभाग को अनुमति प्राप्त कर की गई थी। समिति का मत है कि पूर्व में 0.380 हेक्टेयर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की अध्या नहीं? एवं किस-किस प्रकार जमांक हेतु लीज कर या कर तक स्वीकृत थी? इस संबंध में लीज संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. धान पंचायत का अन्वयित प्रमाण पत्र — उत्तमव्यव के संकेत में धान पंचायत चन्दागढ़ का दिनांक 02/02/2021 का अन्वयित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. उत्तमव्यव योजना — जारी पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो उप संवलयक (ख.प्र.), जिला-राजपुर के नू. द्वारा जमांक 114/ख.प्रि-2/2022 संवलय, दिनांक 14/01/2022 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — उत्तमव्यव कलेक्टर (खनिज सार्व), जिला-राजपुर के द्वारा जमांक 01/खनि.रा./2022 राजपुर, दिनांक 01/04/2022 से अनुमान आयोजित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निर्दिष्ट है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — उत्तमव्यव कलेक्टर (खनिज सार्व), जिला-राजपुर के द्वारा जमांक 01/खनि.रा./2022 राजपुर,

102

दिनांक 01/08/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान में 200 मीटर की परिधि में खोई की कार्बोनिफेर बंध जैसी पुन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, रेल लाइन, नहर, नलियर, नदी, अस्पताल, कार्बनिक स्थल जदि इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. भूमि एवं एल.ओ.आर. का विवरण - भूमि एवं एल.ओ.आर. आवेदक के नाम पर है जो कार्बोनिफेर बंधेखान (अभिन्न खान), जिला-जयपुर के ज्ञान अर्थात् 218/समि.सा./2021 जयपुर, दिनांक 12/10/2021 द्वारा जारी की गई, जिलाधी केडात जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। उपर्युक्त एल.ओ. आर. की केडात बुद्धि बाबत संसदासभ्य सौमित्री तथा सभिसर, कात जयपुर अटल मार के ज्ञान क्र. 0704/समि 02/स.प.-अनुसिधा./स.अ. 00/2019(4) नवा जयपुर, दिनांक 26/11/2022 के अनुसार "अधीसभइ सौम सभिसर नियम, 2018 में जारी संशुधित अधिसूचना दिनांक 26/08/2020 (अवसाध दिनांक 20/08/2020) के नियम 42 के उप-नियम (3) परनु के तहत संसालक की अटल अधिसार का अयोग कनी हुइ अकतम में परासल सौसुधि बाबत कनी एवं अकतमिअटल सौसुधि अयोग जारी कनी हेतु अधिसिधा सम्भावधि अदान किला जाता है।" होना बाबत नवा है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति अस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनासुधित अदान पत्र - कार्बोनिफेर बंधेखानधिसारी, जयपुर बंधेखान, जिला-जयपुर के ज्ञान क्र./समि./2021/2028 जयपुर, दिनांक 01/08/2021 में जारी अनासुधित अदान पत्र अस्तुत किला नवा है।
10. महत्त्वपूर्ण संसलनाओ की दूरी - निकटतम अबाधी बांध-दलबासल परासल 180 मीटर, ससुल बांध-बांधास 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल परासलनां 14 कि.मी. दूरी पर किला है। राष्ट्रीय राजमार्ग 825 कि.मी. एवं राजमार्ग 8 कि.मी. दूर है। नुरी नदी 1.18 कि.मी., तालाब 780 मीटर, नहर 880 मीटर एवं बीसनी नाला 52 मीटर दूर है।
11. पारिसिधिसिधीय/अधीसिधिसिधात सौसुधिसिधीय बंध - पारिसिधीय अकतमक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अकतमिअधीय सौम, राष्ट्रीय अदान, अकतमिअधी, अधीय अदान सिसंभल बांधे द्वारा बांधिसि अधिसिधीय सौसुधिसिधीय सिसिधीय पारिसिधिसिधीय सौसुधिसिधीय बंध या बांधिसि अधिसिधीय बंध किला नही होना अधिसिधीय किला है।
12. अदान संसदा एवं अदान का विवरण - अधिसिधीयसिधीय सिसिधीय 48,500 घनमीटर, सौसुधिसिधीय सिसिधीय 25,880 घनमीटर एवं अधिसिधीय सिसिधीय 25,382 घनमीटर है। सौम की 1 मीटर बांधी सौम सदी (अकतम के सिसिधीय अधिसिधीय बंध) का संसकल 800 घनमीटर है। सैनुअल सिसिधीय में अकतम किला अदान। अकतम की अधिसिधीय अधिसिधीय महत्ताई 3 मीटर है। अधी सिसिधीय (अदान) की बांधाई 0.2 मीटर एवं बांध 3,410 घनमीटर है, इस अधी सिसिधीय की सौम बंध में ससुधिसिधीय अकतम किला अदान तथा ससुधिसिधीय के सिसिधीय अधिसिधीय किला अदान। बंध की बांधाई 1.5 मीटर एवं बांधाई 1.5 मीटर है। सौम बंध के सौम 4,000 घनमीटर बंध में ईट निर्माण हेतु महत्ता ससुधिसिधीय किला अदान, जिलाधी सिसिधीय सिसिधीय की बांधाई 25 मीटर है। ईट निर्माण हेतु सिसिधीय के ससुधिसिधीय 25 अधिसिधीय बांधाई ससुधिसिधीय का अधिसिधीय किला अदान। अदान की संसिधीय अदान 30 वर्ष है। अदान में ससुधिसिधीय सिसिधीय हेतु अदान का अधिसिधीय किला अदान।



अनुसंधित खास प्लान अनुसार कार्यर प्रस्तावित उल्लेखन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उल्लेखन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उल्लेखन (घनमीटर)
प्रथम	750	षष्ठम	750
द्वितीय	750	सप्तम	750
तृतीय	750	अष्टम	750
चतुर्थ	750	नवम	750
पंचम	750	दशम	750

13. जल आपूर्ति - परिवर्धन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.28 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति न्यू-जल के माध्यम से की जायेगी। इस काम के अन्तर्गत प्रास्तावित बीटा अधीनस्थ से अनुसंधित प्राप्त कर प्राप्त किया गया है।
14. कुआरक्षण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में बायी ओर 1 मीटर की गहराई में 480 घन कुआरक्षण किया जाना प्रस्तावित है। परिवर्धन प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
अनुसंधान निर्वहण हेतु परिवर्धन के दौरान सड़की/पट्टे के माध्यम से उल्लेखन कुल उल्लेखन के निर्वहण हेतु जल विकसाल	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
कुआरक्षण (30 प्रतिशत जीवन रक्ष) हेतु राशि	45,000	-	-	-	-
जीवन रक्ष हेतु राशि	1,13,000	-	-	-	-
खार हेतु राशि	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
कुल राशि = 12,75,500	3,80,500	2,22,500	2,22,500	2,22,500	2,22,500

15. गैर सड़कित क्षेत्र - लीज क्षेत्र से 52 मीटर दूरी पर वाला स्थित होने के कारण लीज क्षेत्र में वाले की तरह गैर सड़कित क्षेत्र रखते हुए 1,300 वर्गमीटर क्षेत्र एवं सड़कियों के विस्तार के लिए अगला अधि के लिए 200 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर सड़कित क्षेत्र रखा गया है। जिसका उल्लेख अनुसंधित सड़कित प्लान में किया गया है।
16. सीवियर पर्यावरणीय पहलु (C.E.P.) - समिति का मत है कि पिलनी किल की जायदा को घटाकर परिवर्धन हेतु कुल जायदा की कुल गणना कर की गई जाए, का संबंधित परम्पूरा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
17. अनुसंधान के दौरान परिवर्धन प्रस्तावक द्वारा बताया गया एवं प्रस्तुत सड़कित प्लान अनुसार लीज क्षेत्र के भीतर 4,000 वर्गमीटर क्षेत्र में ईट निर्माण हेतु बहुत स्थिति किया जाएगा, जिसकी विस्तार पिलनी की ऊंचाई 33 मीटर है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्धन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22/02/2003 को जारी अधिसूचना में ईट मट्टा हेतु जारी दिशा-निर्देश के दिखनी क्रमांक 8 के अनुसार "ईट मट्टा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 0.8 डि.मी. की न्यूनतम दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए" एवं दिखनी क्रमांक 7



के अनुसार "किसी क्षेत्र में भट्टों की अधिक संख्या से बचने के लिए सीधुदा ईट भट्टों से कम से कम एक डिस्ट्रीक्टर की दूरी पर ईट भट्टों को स्थापित किया जाना चाहिए" का उल्लेख है। परिशोधन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उसके सीधु क्षेत्र के भीतर विनोई पूर्ण से ही स्थापित है। अतः ईट भट्टों एवं मिट्टी काखानों हेतु मान्य किये जाने का अनुबंध किया गया है। समिति का मत है कि पूर्ण से स्थापित विनोई को डिस्ट्रीक्टर किये जाने बाबत समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तावित सीधु क्षेत्र के भीतर मिट्टी काखानों का कार्य किये जाने बाबत समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
17. प्रस्तावित सीधु क्षेत्र में पूर्ण से स्थापित विनोई का ईट बनाने की प्रक्रिया में उपयोग में नहीं किये जाने बाबत समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा इस आशय का समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि सीधु क्षेत्र के मिट्टी काखानों पर ईट के निर्माण के लिए सीधु क्षेत्र में लगभग 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित सीधु सीधु क्षेत्र अथवा के ईट भट्टों में उपयोग किया जाएगा, जिसके लिए सीधु सीधु क्षेत्र अथवा सीधु सीधु पर प्रस्तुत किया गया है।
19. सीधु क्षेत्र के बाहर विनोई अथवा का उल्लेख कार्य नहीं करने बाबत समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. सीधु क्षेत्र में प्रस्तावित कुआरों का कार्य आगामी नवम्बर मास में पूरा किये जाने बाबत समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. प्रस्तुत अनुबंधित माइनिंग प्लान में माईन बाउण्ड्री वाले से सुस्थित क्षेत्र अनुभव सीधु सीधु के अर्थात् जल किल्ला क्षेत्र के सीधु क्षेत्र को समझित करने हेतु बताया गया है, विनोई किल्ला का निर्माण खदान के कुल डिस्ट्रीक्टरल रिजर्व से अलग ही कराया गया। अतः सुस्थित माइनिंग प्लान करने पर भी खदान की रिजर्व का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः माईन प्लान संशोधन की आवश्यकता समझ करती हेतु प्रस्ताव का निराकरण करने हेतु समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. पर्यावरण सौकरिता में किये जाने वाले सभी कार्य का पालन किये जाने बाबत समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध इस परिशोधन/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण पैर के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ललित नहीं है।
24. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन विभाग की अधिसूचना का.अ. 834(2), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण ललित नहीं है।
25. कृषि विभाग के अंतर्गत खदान के निर्माण हेतु निर्दिष्ट जल उपकरण किये जाने बाबत समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. माइनिंग लीज क्षेत्र को अंदाजित करण सुधारण किये जाने एवं संशोधित पीसी का सलाहपत्र रिपोर्ट (Survival table) को संशोधित सुनिश्चित किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा मिनरल कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) को लागू बाधकारी विचारों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा किये गये प्रकार का सुनिश्चित जल का प्रवाह प्रकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. भारतीय नुकीन कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India with petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जानेवाला इस बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
32. भारतीय नुकीन कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को with petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये विस्तार निर्देशों का पालन किया जानेवाला इस बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा उल्लेखित सर्वसम्पत्ति को निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. पूर्ण में 0.363 हेक्टेयर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जायदा नहीं? एवं किये-किया जायदा इन्फॉर्म हेतु लीज कर से कर एक स्वीकृत की? इस संबंध में लीज संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्ण में 0.363 हेक्टेयर हेतु प्राप्त लीज में किये जायदा की इम्पॉजिट जानकारी अधिनियम से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. वर्तमान में अधिनियम क्षेत्र 2.325 हेक्टेयर में क्या पूर्ण में जारी लीज क्षेत्र 0.363 हेक्टेयर समाहित है जायदा नहीं? के संबंध में इम्पॉजिट जानकारी अधिनियम से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
4. विनयी क्लियर की लागत को घटाकर परिशोधन हेतु कुल लागत की पुनः गणना कर सी.ई.आर. का संशोधित उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. पूर्ण से स्थापित विनयी को डिस्टिगुअल किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. ईट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई ऐश को उचित रख-रखाव के लिए टिन रोड का उपयोग किये जाने हेतु समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. ईट निर्माण हेतु उपयोग में आए गए कोयले की मात्रा की अधिनियम की मात्रा एवं निषेधित ब्रिक (Hazard bricks)/डोकर ब्रिक (Broken bricks) की उपयोग की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त अधिनियम जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरोक्त जानकारी अधिनियम की जाएगी।

अनुसार एम.ई.ए.सी., उत्तीर्ण के द्वारा दिनांक 28/07/2023 को परिशोधन में परिशोधन प्रस्तावक द्वारा दिनांक 11/09/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

10

11

(द) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 27/08/2023

समिति द्वारा जारी, प्रस्तुत जानकारी का अपडेटेशन एवं परीक्षण करने पर निम्न रिपोर्ट पार्श्व में है-

1. सर्वोच्च कोर्ट (अभिज साख), जिला-जालंधर के आदेश क्रमांक 313/समि. सा./2023 जालंधर, दिनांक 14/08/2023 द्वारा जारी पत्र अनुसार पूर्व में ग्राम-बदामर, तहसील-बखसगढ़ के भूमि खसरा क्रमांक 42, 41/3 एवं 42/2, एका 0.383 हेक्टेयर क्षेत्र पर निर्दिष्ट इंट फिक्स्ड लिमिटेड कॉन्सिडरेशन दिनांक 28/10/2023 से दिनांक 27/10/2023 तक के लिए सीलबंद का जिले सर्वोच्च पत्र क्रमांक 418, दिनांक 30/01/2021 द्वारा व्यवस्था पंजीकृत किया जा चुका है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय सीलबंदि की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. सर्वोच्च कोर्ट (अभिज साख), जिला-जालंधर के आदेश क्रमांक 313/समि. सा./2023 जालंधर, दिनांक 14/08/2023 द्वारा जारी पत्र अनुसार पूर्व में पर्यावरणीय सीलबंदि प्राप्त होने के पश्चात् पर्यावरण विवेक एवं समाधान की जानकारी निम्नानुसार है-

क्रमांक	वर्ष	प्रस्ताव (ला. में)
1	2017	1,50,000
2	2018	1,50,000
3	2019	1,00,000
4	2020	निरा
5	2021	निरा

3. सर्वोच्च कोर्ट (अभिज साख), जिला-जालंधर के आदेश क्रमांक 313/समि. सा./2023 जालंधर, दिनांक 14/08/2023 द्वारा जारी पत्र अनुसार वर्तमान में अपेक्षित क्षेत्र एका 2.325 हेक्टेयर में, पूर्व सीलबंद एका 0.383 हेक्टेयर क्षेत्र समतल है।
4. पुनः एका अनुसार परियोजना की कुल लागत 8.84 लाख रुपये है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) से संबंधित निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
8.84	2%	0.1768	Following activities at Government Primary School, Village- Dauwapers (Chandigarh)	
			Installation of Pipeline, Tap, sanitary ware drain line Scept & Others	0.30

			Donation of Environment Conservation Related Books with Steel Emins	0.10
			Total	0.30

सी.ई.ओ.ए. के तहत प्रस्तुत प्रस्तावित प्रस्ताव के प्राधान्य (Principal) का उद्घरण पर प्रस्तुत किया गया है।

5. पूर्व से स्थापित विनयी को डिस्मिटल किये जाने बाबत समझ पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. ईट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले खोखले एवं फटाई ईट को उचित रख-रखाव के लिए टिन रोड का उपयोग किये जाने हेतु समझ पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. लीज रोड में खखी ईट का निर्माण किया जायेगा इसलिए खोखले का उपयोग नहीं होगा, जहां पर खखी ईट को रखने जायेगा वहां पर ईट निर्माण हेतु उपयोग में लाने पर खोखले की मात्रा को 25 परसेन्टर प्रोविड ईट जमित होगा। रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ ब्रीकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग रोडों की बाह्र बनाने, सीक्रेट निर्माण, लीज रोड के चारों ओर बाह्र निर्माण एवं लीज रोड में खखी रोड निर्माण किया जायेगा।
8. जलसंचयन आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को प्रोत्साहन किये जाने हेतु समझ पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. सी.ई.ओ.ए. के तहत प्रस्तुतित कार्यों के कार्य पूर्ण कर लेने को उपरोक्त कार्य पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, डिप्टी एस. पी.ओ. द्वारा सहित जानकारी सर्वोत्तम स्वीकृति हेतु जमा किये जाने वाले अतिरिक्त रिपोर्ट में समाहित कर प्रस्तुत किये जाने बाबत समझ पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. पर्यावरण हेतु आवेदित भूमि के भूमि-स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त विवादों की वहा, भारत के समस्त विवादों के अंतर्गत प्रत्येक की जिम्मेदारी रखे जाने बाबत समझ पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. पर्यावरण प्रभावक द्वारा समझ पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जायेगा, खदान से संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निक्षेपण जल निक्षेपण को किसी प्रकार की कोई भी नदी नष्ट नहीं जायेगी एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब के संरक्षण व संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जायेंगे:-
 - i. आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, तालाब इत्यादि में नहीं किया जायेगा।
 - ii. खदान कार्यालय से उत्पन्न परेशु अवशिष्टों के निचालन के लिए सेटिक टैंक और सेच गड्ढे प्रदान किये जायेंगे।
 - iii. खदान की बाधड़ी के चारों ओर सचन कुआरेशन किया जायेगा।
 - iv. पक्का संचय तालाब के चारों ओर भी सचन कुआरेशन किया जायेगा।

Handwritten signature

0

इसतुत आवेदन में आवेदित स्थल से तात्पर्य 780 मीटर तथा नहर 500 मीटर की दूरी पर है जो कि उत्तीरगढ़ ग्रीन खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरीयों से अधिक है। अतः खदान संचालन के दौरान उपरोक्त विन्दु जन्तक 1 से 5 के पालन से तात्पर्य एवं नहर पर प्रभाव को रोकना जा सकेगा।

12. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा सन्म पत्र (Notarized undertaking) इसतुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 1.5 कि.मी., अस्पताल 14 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 180 मीटर की दूरी पर है जो कि उत्तीरगढ़ ग्रीन खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरीयों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खान कर्म से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाले जन समावृत्तों का निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे:-

- i. खदान के नईन बालन्ही में बारी क्षेत्र सभन कुशलरूपन किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
- ii. धूल (डस्ट) के निराकरण के लिए टीकर के द्वारा बारी का सिद्धकाय किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
- iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन तालवेडिन से बककर किया जावेगा, जिससे बारी में बहान नो खनिज ना भिरे।
- iv. हमारे द्वारा बालनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नही किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।
- v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में डीमर लगाकर स्वच्छन परिवहन कराया जावेगा।
- vi. हमारे द्वारा स्कूल में परिशोधन लागत 3 प्रतिवरा सी.ई.आर. के तहत खर्च किया जावेगा।
- vii. बालनों का वर्णित पहाडवाय एवं धूल आदि से मुक्ता हेतु निर्धारित जल सिद्धकाय किया जावेगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में धूल का प्रभाव नगण्य होगा।

13. पर्यावरण सहीकृति में दिने परे बारी का पालन किये जाने एवं खानही पालन प्रतिशेदन पर्यावरण कारकीलय में जाया कराने बाबद् सन्म पत्र (Notarized undertaking) इसतुत किया गया है।

14. सी.ई.आर. एवं कुशलरूपन कार्य के सनिटींग एवं परिकल्प हेतु डि-प्लीट समिति (ओपनहाईटर/प्रतिनिधि, घान संवायत के पराधिकारी, प्रतिनिधि एवं जिला प्रवालन का उत्तीरगढ़ पर्यावरण संरक्षण बण्डल के पराधिकारी/प्रतिनिधि) वर्णित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं कुशलरूपन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त वर्णित डि-प्लीट समिति से सलाहलिता कराया जाना आवश्यक है।

15. माननीय एन.जी.टी., डिनिपाल क्षेत्र, नई दिल्ली द्वारा सलपेड पाम्पेड विरुद्द भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संवायत, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एलिबेसन नं. 188 डीए 2016 एवं अन्य) में निमांक 13/08/2018 को वर्णित आदेश में मुख्य बच से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by

SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श जनता सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. कार्यालय जमीन्दार (सन्तिल रायदा), जिला-जयपुर के द्वारा जमांक 01/अग्नि, 01/2022 जयपुर, दिनांक 01/04/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 800 मीटर की सीमा अवधिकत जगह खदानों की संख्या निर्णय है। आवेदित खदान (घाम-चंदापड़) का नक्सा 2.325 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 800 मीटर की परिधि में सीक्रेट/संघारित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर का सबसे कम होने के कारण यह खदान सी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों को एच.आई.ए.ए., उत्तीर्णपत्र में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों अनुसंधान की जाती है।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श जनता सर्वसम्मति से आवेदक - मेजर चंदापड़ बिक्रम शर्मा मर्डन (सी-बी गैरिड अग्रवाल) को घाम-चंदापड़, तहसील-पन्नाखारा, जिला-जयपुर के खदान जमांक 40, 41/1, 41/4, 43/1/अ, 43/1/ब, 43/2 एवं 44/2 में निम्न निम्नोक्त उत्खनन (गैर सन्निभ) खदान कुल क्षेत्रफल-2.325 हेक्टेयर, शकल-180 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-07 में वर्णित शर्तों के अधीन शर्तों पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुसंधान की गई।

सर्व पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिकल्प (एच.आई.ए.ए.), उत्तीर्णपत्र को तत्काल स्वीकृत किया जाय।

11. मेजर विष्णु प्रसाद बिक्रम शर्मा मर्डन (सी-बी विष्णु प्रसाद गुप्ता), घाम-उपलखार, तहसील-पन्नाखारा, जिला-जयपुर (सचिवालय का नक्सा जमांक 2422)

आवेदन - प्रोत्तल नक्सा - एच.आई.ए./ सीडी/ एच.आई.ए./ 402484/ 2021, दिनांक 15/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

खदान का विवरण - यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गैर सन्निभ) (निम्न निम्नोक्त नक्सा) खदान है। खदान घाम-उपलखार, तहसील-पन्नाखारा, जिला-जयपुर निम्न खदान जमांक 200/4 एवं 202, कुल क्षेत्रफल-2.525 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन शकल-4,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तत्काल परियोजना प्रस्तावक को एच.आई.ए.सी., उत्तीर्णपत्र के द्वारा दिनांक 22/08/2022 द्वारा प्रस्तुतिकल्प हेतु स्वीकृत किया गया।

बैठकी का विवरण -

(अ) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 28/08/2022

प्रस्तुतिकल्प हेतु की शर्तों पर नए अधिसूक्त प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्सा, प्रस्तुत जानकारी का आलोचन एवं परीक्षण करने पर निम्न निम्नोक्त निर्णयें हुईं—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तों विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. काम पंखाया का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन की संकेत में काम पंखाया उत्खनन का दिनांक 24/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. प्राथम्य योजना – काशी प्लान विंग प्रीपेजिब काशी कलेक्टर प्लान एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो सजि अफिसरी, जिला-उत्तरांचल के वृ. काम्य क्रमांक 833-16/सजि./सा./2023 तारखत दिनांक 27/08/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – काशीलख कलेक्टर (सजिअ काशी), जिला-उत्तरांचल के काम्य क्रमांक 737/सजिअ./2023 उत्तरांचल, दिनांक 24/08/2023 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र 500 मीटर की परिधि में स्थित अन्य खदानों की संख्या निम्न है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – काशीलख कलेक्टर (सजिअ काशी), जिला-उत्तरांचल के काम्य क्रमांक 738/सजिअ./2023 उत्तरांचल, दिनांक 24/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार एक खदान की 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनिकाट, मठ, स्कूल, अस्पताल, बाग सफाई परियोजना, मंदिर, मस्जिद, गुफाएं, बरछट, सार्वजनिक कला इत्यादि प्रीपेजिब क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. नू-सामिथ – नूनि खाना क्रमांक 252 की विष्णु प्रसाद साहू तथा की पत्नीप्रसाद प्रसाद एवं सतार क्रमांक 253/4 की अमृता कुमार की इन्वैस्टिगेशन एवं की प्रीपेजिब कुमार के नाम पर है। उत्खनन हेतु नूनि सामिथों के सहमती पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. एल.ओ.आर्डी का विवरण – एल.ओ.आर्डी की विष्णु प्रसाद साहू के नाम पर है, जो काशीलख कलेक्टर (सजिअ काशी) उत्तरांचल के काम्य क्रमांक 884/सजिअ./2023 उत्तरांचल, दिनांक 20/01/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी प्रमाण पत्र दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – काशीलख जलसंधारणिकारी, उत्तरांचल जलसंधारण जिला-उत्तरांचल के काम्य क्रमांक/सा.वि./2020/2022 उत्तरांचल, दिनांक 18/08/2020 से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम काशी काम-उत्खनन 1 कि.मी., स्कूल काम-उत्खनन 1 कि.मी. एवं अस्पताल समीप 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कि.मी. एवं राजमार्ग 7 कि.मी. दूर है। तारखत 540 मीटर एवं उत्खनन की राष्ट्रीय राजमार्ग 130 मीटर दूर है।
11. पर्यावरण/संरचना/संरचना/संरचना/संरचना क्षेत्र – पर्यावरण प्रभावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय प्रमुख निवास क्षेत्र द्वारा घोषित इतिहासी प्रीपेजिब एरिया, पर्यावरण/संरचना/संरचना/संरचना क्षेत्र या घोषित पर्यावरण क्षेत्र स्थित नहीं क्षेत्र प्रीपेजिब किया है।
12. खनन संख्या एवं खनन का विवरण – डिप्लोमा/डिप्लोमा डिप्लोमा 58,580 घनमीटर, साईनका डिप्लोमा 42,820 घनमीटर एवं डिप्लोमा डिप्लोमा 42,822 घनमीटर है।

सीज की 1 मीटर चौड़ी सीज पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतीक्षित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 832 वर्गमीटर है। उत्खनन कार्य में-मुक्त स्थिति में उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेस की लंबाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। सीज क्षेत्र के भीतर किसी गड़दा स्थापित नहीं किया जाएगा। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फलाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की स्थापित आयु 11 वर्ष है। खदान में सड़ु प्रदूषण निरोधक हेतु जल का चिकनास किया जाएगा। अनुसंधित कच्ची प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (वर्गमीटर)
प्रथम	4,000
द्वितीय	4,000
तृतीय	4,000
चतुर्थ	4,000
पंचम	4,000

13. जल जासूरी - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की जासूरी बोरोवेल के माध्यम से की जाएगी। इस कार्य सेक्टर प्रशासक सीटर अर्जीमेंट की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. कुआरेंगण कार्य - सीज क्षेत्र की सीज में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में कुल 200 म² कुआरेंगण किया जाएगा। समिति का मत है कि सीज क्षेत्र के भीतर सीज में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में कम से कम 3 प्रतिशतों में कुल 450 म² कुआरेंगण को प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में कुआरेंगण (50 प्रतिशत की सीजन दर से) हेतु चौकी, बेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रक-रकव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समकालर खर्च का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. गैर चाइनिंग क्षेत्र - सीज क्षेत्र में 30 वर्गमीटर क्षेत्र को कुल एवं 28 वर्गमीटर क्षेत्र को द्रुत वेत होने के कारण गैर चाइनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उपरोक्त अनुसंधित कच्ची प्लान में किया गया है।
16. डीपीएट एंवायरनेट रजिस्टर (D.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को समस्त विस्तार में चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
12.83	2%	0.2566	Following activities at Govt. Primary School, Lalhona	
			Plantation	0.831
			Total	0.831

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत सांख्यिक प्रारंभिक चाला खर्चों में (चीज, पीपल, आम, कादम, जामुन आदि) कुआरेंगण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 म² चौकी के लिए प्रति 3,500 रुपये, बेंसिंग के लिए प्रति 25,000 रुपये, खाद के लिए प्रति 500

9. परिचोचना के जिन-जिन खण्डों में प्लुमिटीव जल आपूर्ति योजना, उन खण्डों में निर्दिष्ट जल सिंचन के व्यवस्था किये जाने कायदा पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. सड़क जल क्षेत्र के अंदर खान खुदाईयन किये जाने एवं संविदा खानों का संसाधन नोट (Survival note) को प्रोत्साहन सुनिश्चित किये जाने कायदा पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. परिचोचना प्रस्तावक द्वारा निम्नलिखित खनिज नियम (Minerals Concession Rule) के तहत खानपट्टी मिलने के बाद सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने कायदा पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. परिचोचना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत सीमांकन खानपट्टी खदान की सीमा क्षेत्र में निम्नानुसार स्तन स्थानित किये जाने कायदा पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
13. प्रतीसंग्रह आवधिक पुनर्वीक्षण नीति के तहत स्थानीय लोगों को सीमांकन दिखे जाने हेतु कायदा पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
14. परिचोचना प्रस्तावक द्वारा इस आदेश का पोटरी में संचालित कायदा पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रमाण लक्षित नहीं है।
15. परिचोचना प्रस्तावक द्वारा इस आदेश का कायदा पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लक्षित नहीं है।

सर्वोच्च लक्षित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आवधिक कार्यवाही की जाएगी।

समानुसार दिसंबर 2023, प्रतीसंग्रह के अन्तर्गत दिनांक 28/08/2023 के परिशिष्ट में परिचोचना प्रस्तावक द्वारा प्राप्त दिनांक 12/08/2023 की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(क) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 27/08/2023

समिति द्वारा समीक्षा, प्रस्तुत जानकारी का उपलब्धता एवं परीक्षण करने पर निम्न विधि कई गई-

1. जल क्षेत्र के भीतर सीमा में खान क्षेत्र 1 मीटर की गहराई में कुल 450 मग खुदाईयन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. परिचोचना प्रस्तावक द्वारा खाने ड्रिल की उपरोक्त जांचक परिचोचना करने (नहीं किया जाकर पहले ड्रिल का निर्माण हेतु जल क्षेत्र से जमा हुआ खानों की ड्रिल गहराई के संबंधित विस्तृत प्रस्ताव मुद्रा डिक अर्ब माईन में किया जाना बताया गया है। केसरी विस्तृत प्रस्ताव मुद्रा डिक अर्ब माईन की सख्त सार परिचोचना सहायता निर्धारण अधिनियम, प्रतीसंग्रह द्वारा दिनांक 18/08/2018 में पर्यावरणीय लक्ष्यता जारी है। केसरी विस्तृत डिक ड्रिलिंग, धातु-उपकरण, उपकरण-कामकाज, जल-उपकरण विस्तृत खाने अर्ब 253/2 एवं 253/3, निर्देश उपलब्धता सख्त 1,000 मगमीटर (10,00,000 मग) प्रतिवर्ष हेतु परिचोचना प्रस्तावक को पर्यावरण संरक्षण संवत्त द्वारा दिनांक 18/08/2023 में जल एवं वन सम्बन्धी परीक्षण लक्ष्यता जारी किया गया है।

1. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि राज्य स्तर पर्यटन प्रमुख आकलन इम्प्लान्त, प्रतीकण्ड द्वारा निर्दिष्ट किसे गद्दु हर्ती का पालन किया जादुना एवं ऐसे न किसे जाने की स्थिति में यह निर्दिष्ट किरणिक एवं वनकालक कारीवारी सीकरण किया जादुना।
2. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि बरिष्क में पर्यटन सीकुरिटी हर्ती के उल्लंघन का दोषी बरिष्क जाने का जो भी कारीवारी होगी यह सत्य होगी तथा बरिष्क में पर्यटन नियमी एवं हर्ती का पालन किया जादुना।
3. काले माल/ईट परियहन के दौरान बरिष्क जो बरिष्क कर बरिष्क जाने बरिष्क राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
4. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्दिष्ट बरिष्क की प्रत्यक्षी किरिशन (Bidding) बरिष्कप्रस्ताव बरिष्क अधीनस्थ किरिशन में बरिष्कित बरिष्क हर्ती प्रस्तुत किसे जाने बरिष्क राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा बरिष्कित क्षेत्र में किरिशन बरिष्क की आकलनकत पदनी का बरिष्क बरिष्क बरिष्कितरी के अनुकुरि उपायना की किसे जाने बरिष्क राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि ईट-निर्माण में उपाधीय किसे जाने बरिष्क बरिष्क एवं बरिष्क देश के उचित रक-रकाल की किसे टिन बरिष्क का उपाधीय किया जादुना।
7. परिशोधना के टिन-टिन बरिष्क के फरुडिशन बरिष्क उल्लंघन होगी, उत बरिष्क का निर्दिष्ट उत किरिष्काल की बरिष्क किसे जाने बरिष्क राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. बरिष्कित क्षेत्र बरिष्क के बरिष्क बरिष्क बरिष्कित किसे जाने एवं बरिष्क बरिष्क का बरिष्कित रक (Survival rate) का बरिष्कित सुनिश्चित किसे जाने बरिष्क राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा निगरना बरिष्कित नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बरिष्क बरिष्कित द्वारा बरिष्कित का बरिष्क सुनिश्चित किसे जाने बरिष्क राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा बरिष्कित नियमी के तहत बरिष्कित बरिष्कित बरिष्कित की बरिष्कित क्षेत्र में निगरनाबुधत उत बरिष्कित किसे जाने बरिष्क राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. बरिष्कित बरिष्कित पुनर्बोध नीति के तहत बरिष्कित बरिष्कित बरिष्कित किसे जाने बरिष्क राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का बरिष्कित बरिष्कित राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि बरिष्कित बरिष्कित बरिष्कित बरिष्कित, बरिष्कित बरिष्कित बरिष्कित बरिष्कित की बरिष्कित का.आ. बरिष्कित (M) दिनांक 14/03/2017 के बरिष्कित बरिष्कित बरिष्कित का बरिष्कित बरिष्कित नहीं है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आराध का समाप्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रक्रिया देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लगी नहीं है।
16. समिति द्वारा कहा गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज़ों (पर्यावरणीय सीक्युरिटी की प्रति) में आवेदित खदान से लगी हुई खनन की एक अन्य खदान संबंधित है, जबकि कार्पोरेट कॉलेक्टर (अग्निज साखा), जिला-जयपुर के आदेश दिनांक 24/08/2022 द्वारा जारी प्रस्ताव पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निर्दिष्ट है। अतः उक्त के संबंध में स्वशीकलन के साथ अद्यतन स्थिति में आवेदित खदान से 500 मीटर (ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (पञ्च संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिधियों के बीच दूरी कम सक्षम अग्निज क्षेत्र में अन्य पट्टों के परिधय से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजेनियस मिनेरल क्षेत्र में विद्यमान खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर जाने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर जाने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वही एक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।) की जानकारी अग्निज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों के परिधय में समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निर्णय किया गया कि स्वशीकलन के साथ अद्यतन स्थिति में आवेदित खदान से 500 मीटर (ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (पञ्च संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिधियों के बीच दूरी कम सक्षम अग्निज क्षेत्र में अन्य पट्टों के परिधय से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजेनियस मिनेरल क्षेत्र में विद्यमान खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर जाने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर जाने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वही एक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।) की जानकारी अग्निज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरोक्त आपासी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक एवं कार्पोरेट कॉलेक्टर (अग्निज साखा), जिला-जयपुर को तत्पुनः सूचित किया जाए।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-4: अजय नदीद्वय की अनुमति से अन्य विषय।

1. वेमर की सखरंग पीवर एम्ब इन्वॉल्ट लिमिटेड, धाम-गोदराह, जयपुर इन्फ्रस्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन, लखनौ व जिला-राजपुर (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 20079) अर्थात् आईएन आईएन - पूर्व में प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनसी/ 03490/ 2019, दिनांक 28/08/2021 द्वारा टी.डी.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनसी/ 438035/ 2023, दिनांक 08/07/2023 द्वारा पर्यावरणीय सीक्युरिटी प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकाल के लक्ष्य धान-बीटवाग, उखा इन्डस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स, लहौल व जिला-रायपुर में निम्न काला क्रमांक 2/3, कुल क्षेत्रफल-14.8 हेक्टर में स्टील रोलिंग मील-1 (8 टन गुना 8 मी) क्षमता-1,05,800 टन प्रतिवर्ष की बड़ाका (12 टन गुना 4 मी) क्षमता-1,42,880 टन प्रतिवर्ष, रोलिंग मिल-1 (हीट रोलिंग) क्षमता-88,500 टन प्रतिवर्ष की बड़ाका 1,38,000 टन प्रतिवर्ष, स्टील रोलिंग मील-2 (18 टन गुना 8 मी) क्षमता-2,22,760 टन प्रतिवर्ष तथा रोलिंग मिल-2 क्षमता-1,50,000 टन प्रतिवर्ष (कोल मैटीरियल उपस्थित) की बड़ाका 2,10,000 टन प्रतिवर्ष (हीट रोलिंग) करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकाल के लक्ष्य परियोजना की विनिर्माण लागत 230 करोड़ होगी।

पूर्व में एच.ई.ए.सी. उत्तीर्णता के अद्ययन दिनांक 28/08/2021 द्वारा प्रस्ताव 'बी' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2018 में प्रस्तावित सीमावर्ती दर्जा अधि स्थल (टीडीआर) और ई.आई.ए./ई.एम.सी. रिपोर्ट को प्रोसेसिंग/एक्टिविटीज रिक्वायर्स इन्वायलमेंट कमीशन अथवा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित सेमी अट्रि मैटालर्जिक इन्डस्ट्रीय (केस एन्ड नॉन-केस) का सीमावर्ती टीडीआर (लोक सुलवाई अधिन) हेतु टीडीआर जारी किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी. उत्तीर्णता के अद्ययन दिनांक 04/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(क) समिति की 488वीं बैठक दिनांक 13/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अमर कुमार शीवाल, अधीक्षक उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उचित जानकारी अर्पण होने के कारण ही समिति के सप्ताह बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। काा जागगी अधिस्थल बैठक में समय उपलब्ध करने हेतु अनुप्रेषण किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी हुई उचित जानकारी एवं सम्स्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज उचित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी. उत्तीर्णता द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ख) समिति की 489वीं बैठक दिनांक 27/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एच. सी. शीवाल, अधीक्षक एवं पर्यावरण सहायक के रूप में मेसर्स वीन्सुतन एन्ड इन्वोस्टीजी सर्विसेस, नानपुर की ओर से डॉ. शिल्पा उपस्थित हुए। समिति द्वारा जारी, प्रस्तुत जानकारी का अद्ययन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

- प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में दिनांक 11/02/2008 की रोलिंग मिल क्षमता 1,50,000 टन प्रतिवर्ष एवं ए.एच.सी.सी. उपस्थित गीजर पावर क्षमता 18 मेगावॉट हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है। समिति का का है कि उखा हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- एस.ई.आई.ए.ए. कालीसगढ़ से प्राप्त क्रमांक 84, दिनांक 08/08/2019 द्वारा मेसर्स बजरंग पीपर एन्ड इन्फान्ट लिमिटेड, राउरकिल क्रमांक 2/3, कुल क्षेत्रफल-13.5 हेक्टर, धान-पीपड़ा, उरला इन्फान्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स, राउरकिल व जिला-रायपुर एम.एल. रायचन्द्र एन्ड सी.टी.डी. बॉर अगला-37,500 टन प्रतिवर्ष (सिमांत सिमेंट ऑपरेशन) से 50,500 टन प्रतिवर्ष (उच्चत सिमेंट ऑपरेशन) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।
- परिवर्तना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भाला राउरकिल, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का एक्शन टेकन रिपोर्ट दिनांक 17/08/2023 का प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि परिवर्तना प्रस्तावक से एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भाला राउरकिल, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सभी शर्तों के पालन हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. जल एवं वायु सम्बन्धी -

- क्षेत्रीय कार्यालय, कालीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा प्राप्त दिनांक 24/12/2019 की माला में जल ड्रैइंग युनिट क्षमता - 1,25,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्बन्धी जारी की गई, जिसकी सम्बन्धी नवीनीकरण किया दिनांक 31/01/2024 तक है। समिति का मत है कि वाटर ड्रैइंग युनिट हेतु भाला राउरकिल, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी, एकीकृत दिनांक 26/07/2022 एवं दिनांक 28/07/2023 को तहत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है क्या नहीं? के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- कालीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर द्वारा कोल अखण्ड पीपर फाटि क्षमता 18 मेगावॉट, सीडिंग मिल क्षमता-1,50,000 टन प्रतिवर्ष एवं कोल पीपड़ायल क्षमता-2 कुल 5,500 सामान्य समीक्षा प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्बन्धी दिनांक 20/08/2008 को जारी की गई है, जिसकी सम्बन्धी नवीनीकरण किया दिनांक 30/08/2023 तक की अवधि हेतु क्या है।
- कालीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर द्वारा एम.एल. रायचन्द्र, सी.टी.डी. बॉर अटि क्षमता - 50,500 टन प्रतिवर्ष, एम.एल.इन्फान्ट एन्ड लिमिटेड क्षमता - 1,00,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्बन्धी नवीनीकरण दिनांक 14/10/2022 को जारी की गई है।
- परिवर्तना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु कालीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्बन्धी शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु कालीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्बन्धी शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी कालीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. निरुद्धन सिमेंट क्रियाकलापों संबंधी जानकारी -





- निकटतम आवासीय ग्राम-सादेवा 800 मीटर, खुलत ग्राम-गोमति 2.8 कि.मी. एवं सहर सायतुर 4.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। सुपहा अस्पताल 3.5 कि.मी. एवं निकटतम रेलवे स्टेशन जखतुर 2.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। सभी विद्युत्संचयन विधानसभान, बाबा, जखतुर 17.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है। साकल नदी 5.5 कि.मी. एवं अरुण नाल 5.0 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिसर में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अस्पताल, पारिवारिकीय सर्वेदनसील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबन्धित किया है। जलविद्युत क्षेत्र को 10 कि.मी. की परिसर में किरिचकरी वास्तुशैली पुनर्स्थापित किया है।
- 4. मृ-सम्पत्ति - मृमि खसता अर्थात् 2/5, 2/6, 1/14, 1/11, 1/19, 1/18, 30/1, 30/2, 32, 2/1, 1/3, 23/2, 26, 27/2, 33, 38, 32, 1/17, 1/7, 29/2, 28, 28/1, 4/1, 8, 1/5, 2/3 एवं 2/2, कुल एकता 18.5 हेक्टर पर हेतु मृमि संबंधी परामर्श प्रस्तुत किया गया है, जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में मृमि खसता अर्थात् 2/5, कुल एकता 18.5 हेक्टर का उल्लेख किया गया है। समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रस्तुत मृमि संबंधी परामर्श सी-1 अनुसार खसता अर्थात् 2/5 का एकता केवल 1.21 हेक्टर है। अतः तथ्य की संशय में सार्वजनिक संगठन जन्म आवश्यक है।
- 5. जैविक पुनर्स्थापित -

S.No.	Land use	Area (Ha)	%
1.	Factory Shed	1.85	10
2.	Constructed area	0.8	4.32
3.	Greenbelt area	7.4	40
4.	Open area for finished good	1.3	6.48
5.	Raw Material Bay	2.9	15.61
6.	Yard for Scrap	0.5	2.71
7.	Misc. open area	1.8	9.65
8.	Area for Proposed Expansion	1.85	9.92
9.	Area under road & Parking Area	1.5	8.11
Total		18.5	100

6. सी-परीक्षण -

Particulars	Existing	Proposed	Source	Mode of Transportation
SMS 1 (1,55,800 TPA to 1,42,560 TPA)				
Sponge Iron	1,03,300 TPA	1,39,320 TPA	SBPL Borhana/Tide	By Road
Pig Iron/Scrap	13,250 TPA	17,800 TPA	Jaiswal Neco	By Road
Others	3,900 TPA	460 TPA	SBPL Borhana	By Road
Rolling Mill 1 (55,500 TPA to 1,35,000 TPA)				
Ingot/Billets	64,053	1,42,560	Sync with SMS	Through Roller Conveyor
New Proposed SMS 2 (2,22,750 TPA)				

Sponge Iron	NIL	2,17,687 TPA	SBPL Borjhara/Tata	By Road
Pig Iron/Scrap	NIL	27,844 TPA	Jaiswal Neco	By Road
Others	NIL	7654 TPA	SBPL Borjhara	By Road
Rolling Mill 2 (1,50,000 TPA to 2,10,000 TPA)				
Ingot/Billets	1,50,233 TPA	2,22,750 TPA	Sync with SMS	Through Roller Conveyor
Furnace Gas/Coal	3500 KL / 60,000 TPA	NIL	NA	NA
Captive Power Plant – Coal Based – 18 MW				
Coal	99,000	99,000	SECL	By Road & Rail
Char Dolochar	49,500	49,500	SBPL Borjhara	By Road
Wire Drawing Mill – 1,25,000 TPA				
Wire Rods	1,25,250	1,25,250	Finished Bars from Rolling Mill	Through Drawing Machine
Fly Ash Bricks Plant – 72,000 TPA				
Fly Ash	50,400	50,400	Self Generated PM	Captive
Gypsum	3,600	3,600	Market	By Road
Sand	14,400	14,400	Market	By Road
Lime	3,600	3,600	Market	By Road

7. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

Particulars	Existing Capacity (TPA)	Proposed Expansion	Capacity After Expansion
Steel Melting Shop 1	1,05,500 TPA (SKRT)	From 1,05,500 to 1,42,500 TPA, Induction Furnaces (existing configuration 5x12 T shall be change to 3x12 T & Additional 1x12T)	1,42,500 TPA (4X12 T)
Rolling Mill 1	55,500 TPA (Hot Charging)	75,500 TPA (Hot Charging Synchronising with SMS 1)	1,35,000 TPA (Hot Charging)
Steel Melting Shop 2	-	2,22,750 TPA (5X15 T Induction Furnace)	2,22,750 TPA (5X15 T Induction Furnace)
Rolling Mill 2	1,50,000 TPA (With Coal Gasifier)	60,000 TPA (Hot Charging Synchronising with SMS 2)	2,10,000 TPA (Hot Charging)

Note: After establishment of Steel Melting Shop 2 of capacity 2,22,750 TPA (5X15 T Induction Furnace) all re-rolled products shall be based on hot charging and existing reheating furnace shall be dismantle along with coal gasifier.

8. स्थापित इकाईयों संबंधी जानकारी – उद्योग के निम्न स्थापित इकाईयों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा है:-

Existing Production capacity and configuration	Remarks
Coal Based Captive Power Plant - 16 MW	No change
Wire Drawing (1,25,000 TPA) & Fly Ash Brick Plant (72,000 TPA)	No change
Refining Furnace (3MVA) for refining of MS Round & CTD Bars (58,500 TPA) & for MS Ingots & Billets (1,08,500 TPA)	No change

9. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – परियोजना प्रस्तावक द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के संबंध में स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान स्थापित इकाईयों एवं अगला विस्तार उपरोक्त प्रस्तावित इकाईयों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपकरणों के संबंध में पृथक-पृथक एवं प्रस्तावित अगला विस्तार उपरोक्त विनियमों की आवश्यकताओं के संबंध में अपना उचित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- जल संचयन एवं नदी –

Unit Name	Existing (KLD)	Proposed (KLD)	Total (KLD)	Waste Water (KLD)
Power plant make up water	1,136	NIL	1,136	190
DM water for boiler	64	NIL	64	NIL
Steel Making Shop for cooling purpose	27	83	80	4.5
Rolling Mill for cooling purpose	21	18	38	NIL
Wire Drawing mill	05	NIL	05	NIL
Fly Ash bricks plant	45	NIL	45	NIL
Domestic water	15	11	26	21
Total	1,313	92	1,405	215.5

आवश्यक जल की आपूर्ति न्यू-जल एवं वासुदेव नदी से की जाएगी। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेंट्रल वायुमंडल बोर्ड की 45 घनमीटर प्रतिदिन की लिए अनुमति प्राप्त की गई है, जिसकी फाइन दिनांक 28/12/2023 तक है एवं जल संयंत्रण विभाग, रायपुर के द्वारा दिनांक 28/10/2004 द्वारा 1.25 लाख घनमीटर प्रतिमाह के लिए अनुमति प्राप्त की गई है।

जल प्रस्तुत जानकारी से स्पष्ट है कि प्रस्तावित अगला विस्तार उपरोक्त वृथित जल की मात्रा में बढ़ावही हो नहीं है, बल्कि आवंटित क्षेत्र क्विंटिकली पार्युटेड एरिया के अंतर्गत आता है। अतः प्रदूषण भार में वृद्धि होने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा आवश्यक है।

- न्यू-जल उपयोग प्रबंधन – उद्योग जल सेंट्रल वायुमंडल बोर्ड की अनुसार क्विंटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:-

(ख) कुल एवं मध्यम स्तरों को कम से कम 50 प्रतिशत घुसित जल का पुनःसंचयन एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ग) वास्तविक वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक तथा रैनवाटर हावीस्टिंग / ऑटोमिजिकेशन जल रिचार्ज के अक्षर पर न्यून-जल निचालने जाने की अनुमति हेतुल वास्तविक वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। उद्योग को रैनवाटर हावीस्टिंग आवश्यक किया जाना आवश्यक है।

- रैन वाटर हावीस्टिंग आवश्यकता – रैन वाटर हावीस्टिंग आवश्यकता की जानकारी प्रस्तुत की गई है, जो कि स्पष्ट नहीं है। इस समिति का मत है कि कुल एवं मध्यम के अनुसार रैन वाटर हावीस्टिंग की मांग कर (मिचल एवं साईकल सड़ित) जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. विद्युत आपूर्ति कमी – वर्तमान में स्थापित सेक्टर वाटर प्लांट क्षमता 18 मेगापीट से विद्युत आपूर्ति की जाती है एवं प्रस्तावित कार्यकाल में 4,000 क्वी.सी. विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति उन्नीसगढ़ राज्य विद्युत विवरण कमीसे लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।

12. कुआरोगन संबंधी जानकारी – वर्तमान में हरित परियोजना के विकास हेतु संलग्न 7.4 ईक्टोघर (50 प्रतिशत) क्षेत्र में 18,500 नग पीछे संमित किया गया है, जिसमें से 12,800 नग पीछे संमित है। वर्ष 2021-22 में 1,000 नग पीछे एवं वर्ष 2022-23 में 800 नग पीछे संमित किये गये हैं। वर्ष 2023-24 में 1,500 नग पीछे प्रस्तावित है, जिसमें से 700 नग पीछे का रोपण किया जा चुका है। समिति का मत है कि क्षेत्र 800 नग पीछे का कुआरोगन की प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में कुआरोगन (50 प्रतिशत की क्षमता पर से) हेतु पीछे, सीमिंग, स्टाट एवं सिंचाई तथा एड-ग्रावेल के लिए 5 वर्षों का बजटकरण एवं संचालन खर्च का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। इस ही पूर्व में किये गये कुल पीछे का सम्बन्धित एवं प्रकल्पों का परस्पर काली घुने फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण-

1. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – नीम्बटालिग वर्ष 2021 अक्टूबर, 2021 से 27 दिसम्बर 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर की अंतर्गत 8 स्थानों पर पर्यावरणीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर न्यून-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर खनिज खर मापन, 8 स्थानों पर कठरी जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के लहूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

2. नीम्बटालिग परिसरों के अनुमान पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का सापेक्ष लेवल-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM ₁₀	22.2	62.4	80
PM _{2.5}	28.5	60.4	100
SO ₂	6.2	18.8	80
NO ₂	14.8	38.4	80

3. परियोजना क्षेत्र के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता- ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये हैं।

करोनाइडस, पाइरेट्स, गालन, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रासायनिक तत्वों का सामान्य स्तर पर राष्ट्रीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय श्रुति स्तर—

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day Leq	40	74	75
Night Leq	30	64	70

जो उच्च स्तर से निर्धारित मानक स्तर से कम है।

- v. परिवेशीय प्रभावक द्वारा क्लोर-डीना की उपयुक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
14. समिति का यह भी मत है कि जॉनसन में स्थापित इकाईयों एवं हमला विस्तार प्रस्ताव जल, वायु, ध्वनि अपशिष्ट, परिसरकलमों अपशिष्ट को संभार में पूर्ण-पूर्ण प्रदूषण मत की विस्तृत प्रस्ताव कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. लोक सुनवाई दिनांक 07/10/2022 तथा 10-09 को स्थान – भारतीय इंडस्ट्रियल एंड वाई इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइस, जॉन इन्फॉर्मेशन, जिला-रायपुर में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई प्रस्तावित संस्था पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के तब दिनांक 18/12/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।
16. पर्यावरण प्रभावक द्वारा लोक सुनवाई के दौरान प्रस्तावित नये विभिन्न मुद्दों एवं उनकी निराकरण की दिशा में दिने जाने वाले प्रस्ताव के संभार में भारतीय इंडस्ट्रियल एंड वाई इन्फॉर्मेशन (tabular form in english) में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि जन सामान्य के सुविधा-नुसार भारतीय इंडस्ट्रियल एंड वाई इन्फॉर्मेशन (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
17. कोर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परिवेशीय प्रभावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से कार्य प्रस्ताव विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। जहाँ सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त कार्यवाही से निम्नानुसार निर्णय किया गया कि—

1. पूर्व में दिनांक 11/02/2008 को प्रेषित मिला हमला 1,50,000 टन प्रतिवर्ष एवं ए.ए.सी.सी. अपशिष्ट पीपर प्लॉट हमला 16 मेगावॉट हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यवाही, भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सभी शर्तों को पालन हेतु प्रतिक्रिया प्रस्तुत किया जाए।
3. क्वार ड्राइंग यूनिट हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20/07/2022 एवं दिनांक 28/07/2022 के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अधिसूचना किया गया है अथवा नहीं? के संभार में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

4. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु उत्तीर्णपत्र पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्बन्धी शर्तों के प्रावधान में जो नई आवश्यकताओं की विस्तृत जानकारी उत्तीर्णपत्र पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. भूमि कासात इकाईयों 2/3, 2/3, 1/14, 1/11, 1/15, 1/18, 20/1, 20/2, 22, 2/1, 1/3, 23/2, 26, 27/2, 30, 25, 32, 1/17, 1/7, 29/2, 38, 29/1, 4/1, 5, 1/5, 2/3 एवं 2/2, कुल कासात 18.5 हेक्टरों हेतु भूमि संबंधी पर्यावरण प्रस्तुत किया गया है, जबकि प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में भूमि कासात इकाईयों 2/3, कुल कासात 18.5 हेक्टरों का उल्लेख किया गया है। एका के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
6. वर्तमान एवं अगला विस्तार उपरांत की स्थिति में लें-आउट प्लान (Dimension सहित) प्रस्तुत किया जाए।
7. सी-नॉटिफिकेशन वेरीफाई की विस्तृत जानकारी (update sheet) प्रस्तुत किया जाए।
8. वर्तमान स्थापित इकाईयों एवं अगला विस्तार उपरांत प्रस्तावित इकाईयों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपकरणों के संबंध में पृथक-पृथक एवं प्रस्तावित अगला विस्तार उपरांत विभिन्नियों की उपायों के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
9. प्रस्तावित अगला विस्तार उपरांत पूर्णित जल की मात्रा में कमी होती नहीं है, चूंकि आवेदित क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट वॉल्यूमेट्रिक एरिया के अंतर्गत जाने के कारण प्रदूषण मात्र में वृद्धि होने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
10. वर्तमान में स्थापित इकाईयों एवं अगला विस्तार उपरांत जल, वायु, ध्वनि अवशोषक, परिसंरचना अवशोषक के संबंध में पृथक-पृथक प्रदूषण मात्र की विस्तृत गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
11. जमित होने वाले परिसंरचना अवशोषक की मात्रा एवं उसके अपवहन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
12. कुल एन जॉब के अनुसार वेन कार्ट ड्राइविंग की गणना कर (लेंबर एवं साईज सहित) जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
13. सैम 800 नम पीपी का कुशासन को अद्यतन वर्ष में ही पूर्ण किये जाने तथा आगामी 2 वर्षों में कुशासन (20 प्रतिशत की जीवन दर में) हेतु पीपी, पेंटिंग, खार एवं सिंचाई तथा सब-सब्स के लिए 5 वर्षों का बजटवार एवं समझदार व्यवसाय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही पूर्ण में किये गये कुल पीपी का सन्वयन एवं प्रस्तावियों का उल्लेख करते हुए फोटोसह सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
14. वर्तमान प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपायों के संबंध में सारणीबद्ध प्रारंभिक रूपों (tabular form in english) में एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रारंभिक रूपों (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाए।
15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव (DPR) प्रस्तुत किया जाए।
16. सभी बहानी / पार्टीएजता हेतु बहानी की समझित करते हुए टैबिकल आवेदन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।

Handwritten signature

0

17. फोटो-वीनो की विस्तृत एवं सही-सही जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

18. जी.एन.सी. की नमूना कम जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही नमूना में जीन से मॉडल (genetic model) का उपयोग किया जाने से संकेत में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त बर्धित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने परतत जानकारी उपरोक्तों की जाएगी।

सर्वोचना प्रस्तावक को तयनुसार सूचित किया जाए।

सैतक सम्बन्धत ज्ञानन से सतत संलग्न हुई।



(डॉ. राजेंद्र किशोर)

सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय विरोधत नुसुपुंजन सचिती
अलीसगढ



(डॉ. बी.वी. नन्दनी)

अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विरोधत नुसुपुंजन सचिती
अलीसगढ

मैसूरु प्रान्त(सु) सैन्ड माईनिंग (सि- बी) कन्ट्रोल अक्ट(1987)

सो साईट सीध सखन अन्तक 1000, कुल क्षेत्रफल - 4.0 हेक्टेयर में क्षेत्र का कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही सैन्ड उत्खनन, धूल-प्रान्त(सु), तटसील-प्रान्त(सु), त्रिशा-बालीवावा-प्रान्त(सु) में गहानी के सैन्ड उत्खनन अन्तक 44,100 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में ही जाने वाली सारी

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को अटीन ही जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाना तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।
1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे को निष्काशन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सैन्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं एन्फोर्समेंट एन्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सैन्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) को अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. एन्फोर्समेंट एन्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सैन्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) को लागू 80 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. नगर आवरण (डिलटेसन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक सैन्ड खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत नगर आवरण (Dilatation Study) करानेवा, ताकि सैन्ड की पुनर्भरण (Replenishment) वास्तु सही कराने, सैन्ड उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंघ, जीव एवं कुल जीवों पर प्रभाव तथा नदी के घाटी की गुणवत्ता पर सैन्ड उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्रदा हो सके।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीध क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (सीध क्षेत्र का नाम, खदान का क्षेत्रफल, अक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाना जाए।
6. सीध क्षेत्र के घाटी कोनों तथा सीध लाईन के सख में सीमेंट को कार्य प्रदान आवश्यक है ताकि सीध क्षेत्र नदी में सख दृष्टिनीचर हो सके।
7. सैन्ड खदान खनिज किनारा द्वारा अतिरिक्त किनारी बलाटर में है, अन्तक 800 मीटर को भीतर स्वीकृत सैन्ड खदानों का कुल सख 5 हेक्टेयर से अधिक होना ही तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार सैन्ड उत्खनन क्षेत्र 4.0 हेक्टेयर को कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। क्षेत्र 80 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। सैन्ड का उत्खनन सख से 1.5 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से सैन्ड का अधिकतम उत्खनन 44,100 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. मानवीय एन.डी.टी. के अन्तक दिनांक 28/03/2021 को अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित करने वाले हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोधक नियुक्त करना होगा।
10. सैन्ड उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित रिड किन्डुओं पर नदी में सैन्ड की सख को मापने (Levels) का कार्य कर, उसके आंकड़ों तत्काल एआईआईए

८. जलोत्सर्ग को प्रस्तुत किया जाये। पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवंबर माह में वेत पर्यवेक्षण करने के पूर्व) इसी वेत विन्दुओं में स्थापित लीड क्षेत्र तथा लीड क्षेत्र के उपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा बचन लीड के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) के 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के सरी (Levees) का सर्वे पूर्व निर्धारित वेत विन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार वेत बचन पर्यायतः मानसून के पूर्व (गई माह के अंतिम सप्ताह/जून के अंतिम सप्ताह) इसी वेत विन्दुओं पर वेत सतह के लेवलस (Levels) का मान किया जाएगा। वेत सतह के पूर्व निर्धारित वेत विन्दुओं पर वेत सतह के लेवलस (Levels) के मान का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़ों विस्तार 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं डी-मानसून के आंकड़ों अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एच.ई.आई.एच. जलोत्सर्ग को प्रस्तुत किए जायेंगे।

11. वेत की सुवाई एवं नालें खिसी द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। निम्न क्षेत्र में नालें नहरों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। लीड क्षेत्र में स्थित वेत सुवाई गड्ढे (excavation pits) को लॉडिंग फाईट तक वेत का परिवहन ट्रेक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
12. वेत का पर्यवेक्षण सेक्टर विन्हीट, सीमांकित एवं अंकित क्षेत्र में ही किया जाएगा। वेत पर्यवेक्षण की अधिकतम नहराई सतह से 1.5 मीटर अथवा अधिकतम जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर अधिकतम दूरी में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। वेत का पर्यवेक्षण किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर नहराई तक की वेत नदी तल (हाई वेत) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
13. वेत पर्यवेक्षण नदी तटी से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटी का क्षय न हो। किसी भी पुलिंग, स्ट्राकेंग, बंध, एनीकट, जल प्रपात व्यवस्था एवं अन्य सार्वी संरचनाओं से बचान के उपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तक डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
14. यह सुनिश्चित किया जाए कि वेत पर्यवेक्षण के कारण नदी जल का वेग, एरिडिटी एवं जल बहाव के स्तर पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
15. यह सुनिश्चित किया जाए कि पर्यवेक्षण सेक्टर सभी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्धार न हो। कचुकी के अजनन इकाईयाँ / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, जहां इन क्षेत्रों के आस पास वेत पर्यवेक्षण नहीं किया जाए।
16. वेत पर्यवेक्षण एवं नहराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में अंध पर्यवेक्षण कार्य करने की स्थिति में परिशोधन प्रस्तावक के विरुद्ध निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी।
17. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा वेत पर्यवेक्षण विभिन्न प्रकारों तथा लॉडिंग / अनलॉडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले अनुचितित शब्द वास्तुओं के निर्माण हेतु उपयुक्त वास्तु प्रदान निर्माण प्रस्तावों को जल विस्तार अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। वेत पर्यवेक्षण क्षेत्र में परिशोधन वास्तु की गुणवत्ता वास्तु संरचना, पर्यावरण,

वन और जल वायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. पैर का परिवहन समर्थित 20000 अन्य उपयुक्त माध्यम से पूरी हुए पैरों को किया जाए, ताकि पैर लक्षण से बचने नहीं गिरे। छवि का परिवहन कर रहे कार्यों को स्वस्थ से अधिक नहीं गत जाया सुनिश्चित किया जाए।
19. पर्यटन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
20. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में नदीतट को सुरक्षा को देने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, कर्ज, लीसू, आम, इलाय, पीपल आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,000 वन पीछे का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुनिश्चित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जिसका कंट्रोलर द्वारा की जाह का पालना) किया जाए। 3 पीट से 6 पीट ऊंचाई वाले पीछे का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त कुशलरोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पीछे की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक करने का वारंवारित होने संबंधी आदेश का पालन कर प्रस्तुत किया जाए। रोपित पीछे की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक करने का वारंवारित परिवर्तन प्रस्तावक का रहेगा।
21. रोपित किसे जाने वाले पीछे में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछे को नाम का प्रत्येक करते हुए फोटोग्राफ सहित जानकारी अधिसूचित लिफ्ट में सजा जमा करें। पैर नहीं करने पर पर्याप्त सीखुति निरस्त की जा सकेगी।
22. कुशलरोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए वन पीछे को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
23. किसे एवं कुशलरोपण की सुची हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) कार्य एवं फोटोग्राफ अधिसूचित लिफ्ट में सजाहित करते हुए प्रत्येक पर्यटन संरक्षण कर्मक एवं एम.ई.आर.ए. कर्मियों को प्रेषित किया जाए।
24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्याप्त प्रस्ताव योजना को अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
34.50	3%	0.6916	Following activities at nearby, Village- DATAN	
			Plantation around Pond & AMC for 5 years	0.75
			Total	0.75

25. सी.ई.आर. को सतत निरंतर कार्यवाही 20 माह से अधिसूचित रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. को प्रत्येक प्रस्तावित कार्य को कार्य पूर्ण उपयुक्त संबंधित काम संरक्षण से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अधिसूचित लिफ्ट में सजाहित करते हुए प्रस्तुत





किया जाए। सीईओएर कार्य की सफलता सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। कृषासेवा आसक्त होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जाएगी।

26. सीईओएर की अंतर्गत प्रत्येक के पार्टी और कृषासेवा (आम, कटक, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 80 नम लिस्ते में से 20 नम कुल पूर्व से तालाब की कार्य और अतिरिक्त है। सेच 40 नम पौधों के लिए प्रति 4,000 रुपये, कीटिंग के लिए प्रति 8,000 रुपये, खाद के लिए प्रति 2,000 रुपये, सिंचाई तथा सब-कानल आदि के लिए प्रति 18,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल प्रति 30,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल प्रति 80,000 रुपये हेतु बटकाव आव का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा काम बंधावत प्रदान (एच) की शर्तों पर प्रस्ताव कर्ता/संबंधित कर्ता (जिसका अंशक 202, बीकानेर 1,318 हेक्टर) को संबंध में जानकारी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
27. सीईओएर एवं कृषासेवा कार्य के निरीक्षण एवं परीक्षण हेतु वि-क्षेत्रीय समिति (प्रोपर्टी/अतिरिक्त) एवं पर्यावरण के पर्यावरण/अतिरिक्त एवं जिला प्रशासन का पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय के पर्यावरण/अतिरिक्त) गठित किया जाए। साथ ही सीईओएर एवं कृषासेवा का कार्य पूर्ण किये जाने के तुरंत प्रति वि-क्षेत्रीय समिति में साधित कराया जाए।
28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/खान/भद्रा के निरीक्षण के साथ-साथ सीईओएर के तहत आवकी द्वारा कराये गये कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना अत्यंत जिम्मेवारी होगी।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईओएर के तहत अतिरिक्त कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केंद्र / राज्य शासन के विभागों, कर्मचारी एवं अन्य संस्थानों से वेत वासनाएं आयोग करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतिपत्र प्राप्त होनेवा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समग्र-समय पर केंद्र/राज्य सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
31. पर्यावरण नीति अधिनियम, 2018, राज्य शासन द्वारा 10 अंशक हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के प्रावधानों/दली एवं उपद्रुमान जारी दिशा निर्देशों, अनुमतिपत्र अंशकन योजना एवं पर्यावरणीय प्रस्ताव योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
32. कार्य स्थल पर प्रति कीटिंग अधिक कार्य पर कराये जाते हैं जो ऐसे अधिकारों के अभाव की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अत्याधिक संरक्षणों के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
33. अधिकारों के लिए प्रदान स्थल पर नक्का बेवजह विभिन्नकालीन सुविधा, बीकानेर टाउनशिप आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में कुल 500 विद्युत, अत्याधिक खाद सफाई के केंद्र, पर्यावरण आदि का विस्तार अतिरिक्त होगा। नदी एवं नदी जल की सफाई का ध्यान रखा जाये।
34. अधिकारों का समय-समय पर अपडेटेड/अपडेटेड डेटा सुनिश्चित कराया जाये।

35. उत्तरांचल की स्थानीय, कार्य क्षेत्र एवं अनुसूचित जातजन योजना के अनुसूचित वर्गिक योजना में किसी भी प्रकार की परिवर्तन एम.ई.आई.ए.ए. उत्तरांचल / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आदेश किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य संस्था पर अधिकतर दर्जाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी संस्था को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकरण अथवा संपन्न, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के अंतर्गत हेतु अधिकृत करता है।
37. एम.ई.आई.ए.ए. उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की समीक्षा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन का से परामर्श न करने की वजा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा वास्तविक / निरस्त्य के मामलों को और साक्षात् करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
38. परियोजना प्रस्तावक गृहणन 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास पर्याप्त रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आदेश की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को स्वतंत्र पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण मण्डल में उपलब्ध हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका उपलब्ध प्राप्त सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एम.ई.आई.ए.ए. उत्तरांचल की वेबसाइट www.esea.org.in पर भी किया जा सकता है।
39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई समझौते की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एम.ई. आई.ए.ए. उत्तरांचल एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की निगरानी की जाएगी।
40. एम.ई.आई.ए.ए. उत्तरांचल, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर/क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण मण्डल की वेबसाइट/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली निगरानी हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
41. परियोजना प्रस्तावक उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1984 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंरक्षण अधिनियम (प्रबंधन इच्छाएं एवं जीवमत्त संरक्षण) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक-सहित संधि अधिनियम, 1987 (यथा संशोधित) के अर्धीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परिवर्तन के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीसंग्रह में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीसंग्रह को पुनः नवीन जानकारी सहित सुधित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीसंग्रह इस पर विचार कर जारी की जायजता अथवा नवीन जारी निर्देश बनने का मत निर्णय ले सके। अतः में कोई भी विचार अथवा अनुरोध एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीसंग्रह / भारत सरकार, पंजाब, जन और जाससु परिवर्तन संरक्षण, या दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
43. प्रतीसंग्रह परिवर्तन संरक्षण समूह सर्वोत्तम सीधुति की प्रति को उसके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-कार्यालय एवं राष्ट्रीय लेवल एवं कलेक्टर/सहायक जिला कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
44. सर्वोत्तम सीधुति के विरुद्ध अपील महानगर चीफ ट्रीब्यूनल के समक्ष, महानगर चीफ ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार 30 दिन की समय अवधि में ही जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


सचिव, एस.ई.ए.सी.

8. न्यू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो) हेतु केंद्रीय न्यू-जल बोर्ड से परामर्श लेना करने की पूर्ण अनुमति प्राप्त की जाए।
9. किसी किसी / बोट / प्लॉट सीमा से परिसरगत गैर-उपयोगी जमीन को मरकाट / निजीकरण / सामान्य धनवीर्य से कम सुनिश्चित किया जाए। अकार, खनिज, ट्रांसमन प्लॉट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु असेट एक्स्ट्राक्शन सिस्टम को लागू करना प्रस्ताव का एक हिस्सा सम्मिलित किया जाए। खनिज उत्खनन परिधिस्थलों के विभिन्न खोदों से उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण प्रणाली एवं नियमित रूप से किया जाए। खनिज खनिज, पत्थर, संरक्षण क्षेत्र, पहाड़ी एवं अन्य असेट उत्खनन सिस्टमों असेट एक्स्ट्राक्शन को संरक्षण सिस्टम एवं जल डिफ्लोव की व्यवस्था की जाकर इसका प्रभाव संभालना / संभालना सुनिश्चित किया जाए। निम्न क्षेत्रों को निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
10. बाहरी, खान एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों को अनुसरण तथा जांचना। पर्यावरण क्षेत्र में परिवर्तनीय वायु की गुणवत्ता बनाए रखना के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. लीज क्षेत्र के सभी लक्ष्य छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ढेर / सम्भालना नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
12. पर्यावरण प्रक्रिया के दौरान छोड़ी गई खानों निट्टी (टीन सीईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि को पुनः प्रयोग हेतु अथवा खानों को खानों को स्थिर (स्टैबिलाइज्ड) करने में किया जाए। खानों निट्टी (टीन सीईल) को लीज क्षेत्र से बाहर प्रत्येक से सम्मिलित करने की अनुमति नहीं होगी।
13. खानों एवं अनुसंधान/किसी उपयोग खनिज (ग्रेट सील) को प्रत्येक से पूर्ण से विनिर्दिष्ट स्थल पर सम्मिलित किया जायेगा। इस प्रकार के सम्मिलित स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि सम्मिलित पर्यावरण प्रदूषण-विकास की भूमि पर विनिर्दिष्ट प्रभाव न उत्पन्न हो। खान की ऊंचाई 3 मीटर तथा चौड़ाई 25 मीटर से अधिक न हो। खानों को खानों को खानों को खानों हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
14. जहाँ तक संभव हो खानों एवं अनुसंधान/किसी उपयोग खनिज (ग्रेट सील) को खानों के पर्यावरण को नष्ट करने में पुनर्गठन (रिक कंस्ट्रिक्शन) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का पुनः उपयोग अथवा खनिज वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
15. पर्यावरण प्रदूषण प्रभावों को सुनिश्चित किया जाए कि खानों प्रक्रिया से उत्पन्न ग्रेट लीज क्षेत्र से प्रदूषण-विकास को प्रदूषण-विकास में प्रदूषण-विकास न हो। इसे रोकने हेतु पहाड़ी पट्टी तथा अन्य क्षेत्र में विनिर्दिष्ट क्षेत्र / सम्मिलित क्षेत्र की व्यवस्था व्यवस्था रूप से की जाए।
16. खनिज का परिवहन वेकनेवर्क अथवा बाहरी बाहरी से किया जाए, ताकि खनिज बाहरी से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे बाहरी को प्रदूषण से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
17. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रदूषण योजना को अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
10.70	2%	0.2158	Following activities at nearby Village-Salka	
			Plantation at Village pond	0.50
			Total	0.50

18. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 महीने में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्य से कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित करने हेतु प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करने आपका उत्तरदायित्व होगा। कुशलरूप से सफल होने पर सर्वोच्च स्वीकृति निरस्त की जायेगी।
19. सी.ई.आर. की अंतर्गत चालास के चारों ओर कुशलरूप (आम, कटहल, जामुन आदि) हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव अनुसार कुल 30 नम पौधों के 10 नम कुल पूर्व से चालास के चारों ओर अवस्थित है। बाक 20 नम पौधों के लिए राशि 2,000 रुपये, संवर्धन के लिए राशि 2,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई तथा लकड़-लकड़ आदि के लिए राशि 12,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि में कुल राशि 18,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 30,000 रुपये हेतु परामर्शक खात का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत सलका के सहमति उपरोक्त प्रस्तावित आगत (खासतः अर्थात् 088, राकबा 0.04 हेक्टर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
20. सी.ई.आर. एवं कुशलरूप कार्य को समन्वित एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (अभिप्रेत/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पर्यवेक्षक/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उपरीक्षण पर्यवेक्षण संस्थान समन्वय के पर्यवेक्षक/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं कुशलरूप का कार्य पूर्ण करने के उपरोक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
21. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/खोद/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आगके द्वारा कराये गये कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराया जाना ही अनिवार्य होगी।
22. उपखनन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हील रोड, डोमपरॉन अन्य आदि में स्थानीय प्रजाति के 024 पौधों का सघन कुशलरूप पूर्ण किया जाए। हील पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पर्यवेक्षण के अनुसार किया जाए।
23. प्रत्येकता के अन्तर्गत पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में जील क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, पीप, कर्ज, पीपु, आम, इमली, अर्जुन, चीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 218 नम पौधों का रोपण (कुल 800 नम पौधों) खदान के सुखे क्षेत्र में किया जाए। रोपण की सुनिश्चित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (ज्या कंट्रोलर वार के साथ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। साथ उपरोक्त पौधों होने की वजह से संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र में उपरोक्तानुसार कुशलरूप

 0

किया जाए। 5 फीट से 8 फीट लंबाई वाले पीठों का ही प्रयोग किया जाए। उपरोक्त प्रकारके प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। प्रकारके नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।

24. रोपित किये जाने वाले पीठों में संयोजक (Mandatory) एवं पीठों के नाम का उल्लेख कलां हुये फोटोग्राफ सहित जनकारी प्रदान प्रतिवेदन के साथ प्रदा करें।
25. माइनिंग क्षेत्र क्षेत्र के अंदर एवं बाहर प्रथम प्रकारके किये जाने एवं रोपित पीठों का सावधानीपूर्वक रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही प्रकारके का मर-मरता आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित कलां हुये मृत पीठों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
26. किये गये प्रकारके की सुटी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ आधुनिक रिपोर्ट में समाहित कलां हुये उल्लेखित पर्यावरण संरक्षण समझ एवं एन.ई.आई.ए.ए. उल्लेखित की प्रेषित किया जाए।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर परिधिचित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं कलां जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त कलां की कार्रवाई की जाएगी।
28. परियोजना से दिन-दिन कलां से अनुचित वस्तु उत्पन्न होगा, उन कलां पर निर्धारित जल सिकुटाव की व्यवस्था किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नलिखित संरक्षण नियम (Minerals Conservation Rule) के तहत काल्पनी विस्तार द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा काल्प, पीछर, मर, मरी, मर एवं अन्य जल निशानों के संरक्षण एवं संरक्षण किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलां प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक समझ किया जाए। कलां का क्षेत्र उत्पन्न क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। दिन कलां वाले क्षेत्रों में काम कलां वाले कलां को इलाका/मर आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर विहितकलां जीव एवं आवश्यकता अनुसार कलां कलां भी कलां जाए।
32. प्रथम के छोटे-छोटे टुकड़ों (कलां पीठों) को कलां से कलां हेतु प्रेषित एवं कलां व्यवस्था किया जाए। रेट डिग्री कलां कलां प्रदूषण नियंत्रण कलां कलां कलां डिग्री किया जाए, कलां वस्तु का कलां नियंत्रण से रहे।
33. उत्पन्न कलां मू-जल मर से प्रथम अनुकूल कलां में ही जाएगी एवं उत्पन्न कलां मू-जल मर से कलां कलां की परिस्थिति में नहीं किया जाए।
34. उत्पन्न की कलां इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि कलां कलां कलां एवं जीव-कलां पर प्रथम न हो। क्षेत्र में कलां जाने वाले कलां जीव-कलां, कलां कलां का सुनिश्चित संरक्षण कलां कलां होना।
35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीव कलां का उत्पन्न कलां कलां जीव कलां नियम, 2014 के कलां, अनुकूलित उत्पन्न कलां एवं पर्यावरणीय प्रथम कलां के अनुकूल किया जाए। माइनिंग एक्ट 1982 के कलां का कलां किया जाए।
36. कलां कलां पर यदि कलां कलां कार्य पर कलां कलां है तो ऐसे कलां के कलां एवं कलां हेतु कलां कलां परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी।

आवासीय व्यवस्था कस्बाई संघनों की रूप में हो सकती है, जिसे परिवोजना पूरी होने के पश्चात् इटाया जा सके।

37. शहियों के लिए सड़क स्वयं से एक पंचायत शिक्षणकारी बुनियाद, सेवाएँ उपलब्ध आदि की व्यवस्था परिवोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
38. शहियों का समय-समय पर आकस्मिकताओं द्वारा उत्पन्न कचरा व्यवस्था है।
39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुसंधित उत्खनन योजना के अनुसार शहिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अतिरिक्त सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एन.ई.आई.ए.ए. अलीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आदेश किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को सुरक्षा प्रदान करने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकतम आकांक्षित, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के पालन हेतु अधिकृत करता है।
41. एन.ई.आई.ए.ए. अलीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परिवोजना की समीक्षा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप में पालन न करने की दृष्टि में किसी भी शर्त में संशोधन/निलम्ब कबले अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा परामर्शन / निम्नलिखित की शर्तों को और कठोर करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
42. परिवोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय सभासद पक्षों में, जो कि परिवोजना क्षेत्र के आवा-पारा आसन्न रूप से प्रस्तुत हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आदेश की शुरुआत प्रस्तुत करना कि परिवोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतिशत सचिवालय, अलीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में उपलब्ध हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एन. ई.आई.ए.ए. अलीसगढ़ की वेबसाइट parivashah.nic.in पर भी किया जा सकता है।
43. पर्यावरणीय स्वीकृति में ही नई शर्तों के पालन हेतु की नई कार्यवाही की अर्थ शहिक रिपोर्ट अलीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यलय अलीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकपुर, एन.ई.आई.ए.ए. अलीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यलय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यलय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में बदला शर्तों के पालन की नीतिगतों की जाएगी। इस हेतु परिवोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं कार्यलय का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यलय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
45. एन.ई.आई.ए.ए. अलीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यलय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / क्षेत्रीय प्रमुख निदेशक बोर्ड / अलीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल की वेबसाइट / अधिकारियों की शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली नीतिगतों हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन कबले नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निलम्ब की जा सकेगी।



0

46. परिवर्तन प्रस्तावक उत्तीर्ण पर्याप्त संख्या में राज्य सरकार द्वारा ही माई हॉर्न का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये हॉर्न जल (उद्योग विभाग तथा निर्यात) अधिनियम, 1974 वायु (उद्योग विभाग तथा निर्यात) अधिनियम, 1987, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनकी लागू बनाये गये नियमों, परिशिष्टकृत और अन्य अधिनियम (जैसे एवं विनियम संवलय) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीम अधिनियम, 1991 (यथा संबंधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
47. इलाहाबाद परिवर्तन के बारे में एल.ई.आई.ए.ए., उत्तीर्ण में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की दशा में एल.ई.आई.ए.ए., उत्तीर्ण की पुनः नवीन जानकारी सहित सुचित किया जाए, तबकि एल.ई.आई.ए.ए., उत्तीर्ण इस पर विचार कर हॉर्न की उपयुक्तता अथवा नवीन हॉर्न निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। अद्यतन में कोई भी विवरण अथवा उन्नयन एल.ई.आई.ए.ए., उत्तीर्ण / पर्यावरण, वन और प्रलयानु परिवर्तन संवलय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
48. उत्तीर्ण पर्यावरण संवलय में पर्यावरणीय सौकरिता की प्रति को जनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-स्तर एवं राष्ट्रीय क्षेत्र एवं कलेक्टर/उत्तीर्ण कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित होगा।
49. पर्यावरणीय सौकरिता के विरुद्ध अपील में प्रथम हीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, में प्रथम हीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में विद् गद् प्राथमगी अनुसार, 30 दिवस की समय अवधि में ही जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एल.ई.ए.सी.


सदस्य, एल.ई.ए.सी.

केसर्स लकी बिल्डा (जे - सीपटी लकी प-सी) को खरवा कर्नाक 25/1, 120/1, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132/1, 132/2, 132/3, 134 एवं 135/1, बाग-बोन्दुवार, पहाडील-सराईपानी, जिला-महाबूबनूर, कुल लीज क्षेत्र 4.882 हेक्टेयर, मिट्टी परखान (लीज खनिज) कला - 2,248 मन्सीटर (ईट उत्पादन कला 25,09,500 मन्) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में टी जाने वाली सगी

एक पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित सगी के अधीन टी जा रही है। अत इन् सगी को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कड़ाई से पालन कलाय सुनिश्चित किया जाय।

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी कलास्तर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. परखान क्षेत्र 4.882 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी परखान (लीज खनिज) कला - 2,248 मन्सीटर (ईट उत्पादन कला 25,09,500 मन्) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करवाक पत्रों मुनारे लालया जाय।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की फैला मनात लनकर के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ईआईए नोटिफिकेशन, 2008 (एवा संशोधित) के प्रावधानों के तहत होगी।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएन दिनांक 24/08/2013 के अनुसार किसी निश्चित स्ट्रोक से कम से कम 15 मीटर की दूरी सीमांकन परखान क्षेत्र की परिसर सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएन दिनांक 24/08/2013 एवं जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 में मिट्टी परखान हेतु निर्धारित ग्राईव-लाईन का पालन सुनिश्चित किया जाय।
5. खदान की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। खदान अक्षिण सू-उत्तर सार के तहत आसंख्य प्रमाण में की जायगी एवं खदान अक्षिण सू-उत्तर सार के बीच किसी भी परिवर्तन में नहीं किया जाय।
6. खदान से उत्पन्न जल एवं परिसर दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की प्रकृति एवं पर्याय व्यवस्था किया जाय। औद्योगिक प्रकृति एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सराही जल स्रोतों में किसी भी परिवर्तन में निम्नारित नहीं किया जाय, अथि इसे प्रकृति में अथवा कुलपयोग हेतु पुनःप्रयोग किया जाय। परिसर दूषित जल के उपचार के लिये सैटिक टैंक एवं सोलरीट की व्यवस्था किया जाय एवं किसी नदी अथवा सराही जल स्रोतों में किसी भी परिवर्तन में निम्नारित नहीं किया जाय। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने हेतु ही व्यवस्था की जाय। उपर्युक्त दूषित जल को पुनःप्राप्त भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा कालीकनद पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जे भी कटींग हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाय।
7. सू-उत्तर के उपयोग हेतु कौन्टीय सू-उत्तर बोर्ड से परखान आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाय। (यदि आवश्यक हो)
8. खनिज परखान के विभिन्न स्रोतों के उत्पन्न पर्यावरणिक बन्ध लालकरीन का निर्यात प्रभावी एवं निश्चित रूप से किया जाय। पर्यट मार्ग, रैम, संरक्षण क्षेत्र,

भरवाई एवं अन्य ड्रॉट कार्गोयन विन्डुओं पर जल डिफेंस का व्यवस्था किया जाना इसका कार्य संभालना / संभालना सुनिश्चित किया जाए।

9. पहाड़ी एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1986 के तहत डिफिनेट मापकों (जो भी कठोर हों) के अनुसार रखा जाएगा। उत्पन्न क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भ्रम संस्कार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, संरक्षण द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
10. टॉल अधिसूचित के रूप में उत्पन्न ईट की दुकानों आदि को सू-माल एवं रोक को संभालना हेतु उपयुक्त किया जाए।
11. भरवाई ऐरा को उड़ाने से बचाने के लिए समय-समय पर पानी का डिफेंस किया जावे। साथ ही यह सुनिश्चित किया जावे की भरवाई ऐरा उड़ाने आस-पास के क्षेत्रों में फैलाने पर्यावरण को प्रदूषित न करे, जिससे कि आस-पास के रहवासी पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
12. उत्खनन के दौरान इटाई नई पानी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईट निर्माण में सम्पुष्ट नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुन-उत्थान हेतु अथवा बहरी औद्योगिक को सिर (स्टेबिलिटाइज) करने में किया जाए। जहां पर पानी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (ऑन-स्पॉटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पुनः से सम्भालित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
13. औद्योगिक एवं अनुसंधानी मिट्टी को उचित प्रकार से सुनिश्चित रखा जाए ताकि सम्भालित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न उत्पन्न करे एवं खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनः (सिक मिडिंग) हेतु भूमि का पुन-उत्थान अथवा उचित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। सम्भालित कचरे की ऊंचाई 25 मीटर तथा चौड़ाई 45 मीटर से अधिक न हो। औद्योगिक कचरे का खनन रोकने हेतु वैकल्पिक तरीकों से पुनः उपयोग किया जाए।
14. परिवेशीय पर्यावरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न मिट्टी और क्षेत्र के आस-पास के रहवासी पर विपरीत प्रभाव न हो। इसे रोकने हेतु नाईन वीट, अन्य क्षेत्र, ईट बट्टा क्षेत्र में डिफिनेट वीट / गार्डबैंड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
15. मिट्टी, भरवाई ऐरा एवं ईट का परिवहन कार्गोयन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से करके दूरे बहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईट बहन से बहन नहीं गिरे। उचित का परिवहन कर को पहाड़ी को बचाने से अधिक नहीं करा जाना सुनिश्चित किया जाए।
16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
46.75	2%	5.93	Following activities at,	

			Govt. Primary School Village - Kandudhar	
			Plantation with fencing	1.484
			Total	1.484

17. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 98 माल में अधिभार रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित स्कूल के प्रचारों से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्थात्किंत रिपोर्ट में समाहित करने हेतु प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जब भी निर्देशन दल/अधिकारी निर्देशन हेतु खराब पर आवे, तब उन्हें खदान/खोद/भट्टा के निर्देशन के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत उपरोक्त द्वारा कराये गये कार्यों का निर्देशन भी अधिभार रूप से करना आवश्यकता निर्दिष्ट होगी।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत स्कूल के परिसर में 100 मम पीछे के लिए प्रति 2,000 रुपये, बरतिल के लिए प्रति 80,000 रुपये, खार के लिए प्रति 1,000 रुपये, सिंचाई एवं सड़क-खार के लिए प्रति 17,000 रुपये, इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में कुल प्रति 84,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल प्रति 80,400 रुपये परतकवार खार का विकास प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
19. सी.ई.आर. कार्य एवं 1 मीटर की सीमा पट्टी में कुशासन कार्य के मॉनिटरिंग एवं परीक्षण हेतु त्रि-स्तरीय समिति (डेप्युटी/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के परामर्शकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उपरीक्षण परीक्षण संस्थान के परामर्शकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं 1 मीटर की सीमा पट्टी में कुशासन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त गठित त्रि-स्तरीय समिति से सहायता कराया जाए।
20. जब भी निर्देशन दल/अधिकारी निर्देशन हेतु खराब पर आवे, तब उन्हें खदान/खोद/भट्टा के निर्देशन के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत उपरोक्त द्वारा कराये गये कार्यों का निर्देशन भी अधिभार रूप से करना आवश्यकता निर्दिष्ट होगी।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पालनन हेतु निश्चित क्षेत्र (कार्य क्षेत्र 21 मीटर चौड़ी बेल्ट), डील रोड, जलसंचयन डमरू आदि में स्थानीय प्रजाति के 220 वृक्षों का कालन कुशासन किया जाए। इति पट्टी का विकास केंद्रीय उद्योग निवेशन बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
22. प्रथमिकता के अन्तर्गत खदान प्रदान द्वारा वर्ष 2023-24 में कम से कम 800 मम पीछे सीज क्षेत्र के अनुसार मरू, पीपल, नीम्, कसब, नीचू, खान, इमली, जर्बुन, गीमक आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के वृक्षों का रोपण 3 पंक्तियों में खदान के कुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुनिश्चित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (ज्या कंट्रीयर ताल के बाड़ बंधवा ही पाई का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की वशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विन्हील क्षेत्र में उपरोक्तानुसार कुशासन किया जाए। 8 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले वृक्षों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त कुशासन प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। कुशासन नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
23. गठित किये जाने वाले वृक्षों में संयोजन (Muzonabang) एवं पीछे के नाम का परीक्षण करने हेतु फोटोग्राफ गठित जानकारी अर्थात्किंत रिपोर्ट में साथ साथ करें।



24. माइनिंग क्षेत्र क्षेत्र के अंदर एवं बाहर संपन्न कुशलतापूर्वक सिद्धे जाने एवं संश्लेषित चीजों का सनमाईफल नेट (Blockchain based) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कुशलतापूर्वक का एल-एलएच आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करने हेतु नूतन चीजों को प्रतिस्थापित (Mortally replacement) किया जाए।
25. सिद्धे नये कुशलतापूर्वक की पुष्टी हेतु जी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्रामेट्रिक सर्वेक्षणों में सम्मिलित करने हेतु अतीसंग्रह पर्यावरण संरक्षण सम्बन्ध एवं राज्य सार्वभौम पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रियाएं (एन.ई.आई.एए), अतीसंग्रह को संश्लेषित किया जाए।
26. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर प्रतिश्लेषित क्षेत्र में सम्मिलित सर्वे एवं सी.ई.आर. को सार्व प्रस्तावित कार्य करना नहीं पड़े जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की आवश्यकता की जाएगी।
27. पर्यावरण क्षेत्र में अति प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
28. पर्यावरण की प्रतिष्ठा इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
29. सिद्धे पर्यावरण अतीसंग्रह चीज सम्बन्धित नियम, 2018 के प्रावधानों, अनुसूचित पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरणीय संरक्षण संरक्षण को अनुसरण किया जाए।
30. कार्य स्थल पर यदि बेमिन्न अतिरिक्त कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे अतिरिक्तों को आवश्यक संश्लेषित पर्यावरण प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवश्यक अवस्था अन्तर्गत संरक्षणों को रूप में हो सकती है, जिसे परिशोधन पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
31. अतिरिक्तों के लिए खाना स्थल पर पर्यावरण प्रतिकारकीय सुविधा, मीसाइल टायरों आदि की आवश्यक परिशोधन प्रस्तावक द्वारा की जाए।
32. अतिरिक्तों का समय-समय पर आकलन/पर्यावरण हेल्थ सर्वेक्षण करना आवश्यक है।
33. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का अन्ततः किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने अथवा अधिकार अधिकारों के अधिकरण अथवा अन्य, राज्य एवं स्थानीय कानूनों/विधियों के अन्तर्गत हेतु अधिकृत करता है।
34. पर्यावरण की रक्षण, कार्य क्षेत्र एवं अनुसूचित पर्यावरण संरक्षण को अनुसरण करीब संश्लेषित, जिसमें सिद्धे पर्यावरण सम्बन्धित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एन.ई.आई.एए, अतीसंग्रह / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संरक्षण, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
35. एन.ई.आई.एए, अतीसंग्रह पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परिशोधन की कार्यवाही में परिवर्तन अथवा विनिश्चित करने के संश्लेषित रूप से संश्लेषण न करने की दृष्टि में किसी भी कार्य में संश्लेषण/निरस्त करने अथवा नई कार्य प्रारंभ अथवा अन्तर्गत / निरस्त के मामलों को और सार्व करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
36. परिशोधन प्रस्तावक न्यूनतम 12 स्थानीय समुदाय पत्रों में, जो कि परिशोधन क्षेत्र के आस-पास आसपास रूप से सम्मिलित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना सम्मिलित करेगा कि परिशोधन की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पर की प्रतिक्रिया सम्बन्ध, अतीसंग्रह पर्यावरण संरक्षण सम्बन्ध में अन्तर्गत हेतु अन्तर्गत है। साथ ही इसका अन्तर्गत वेबसाइट parishah.nic.in पर भी किया जा सकता है।

37. पर्यावरणीय स्वीकृति में की गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्रवाही की अन्य वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संरक्षण, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
38. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संरक्षण, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदात शर्तों के पालन की निगरानी की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किये गये रिपोर्टों एवं आरेखन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संरक्षण, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
39. एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संरक्षण, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संरक्षण, भारत सरकार, रायपुर/क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के निदेशिका/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली निगरानी हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पड़े जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति विरस्त की जा सकती है।
40. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा की गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1986, वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनकी तहत बनये गये नियमों, परिशुद्धनय और अन्य अधिनियम (प्रकाश एवं सीमागत संरक्षण) नियम, 2018 तथा लोक सचिवालय सेवा अधिनियम, 1997 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
41. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की वजह से एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने के लिए निर्णय ले सके। छदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संरक्षण, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
42. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-ब्याचर एवं राष्ट्रीय कोष एवं क्लेकटर/तकनीकदात कार्यालय में विरक्त की अवधि के लिये उपलब्ध करेगा।
43. पर्यावरणीय स्वीकृति को विरस्त अर्थात नकारात हीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नकारात हीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती है।

सदस्य सचिव, एम.ई.ए.सी.


सदस्य सचिव, एम.ई.ए.सी.

वेतन की बरतनीया सीमा साईन (पी-सी) गढ़न जाल अधिनियम,

हो खरना अधिनियम 192, कुल लीज क्षेत्रफल 4.581 हेक्टेयर में हो साईनिंग प्लान अनुसार
पीए साईनिंग क्षेत्र 2.248 वर्गमीटर क्षेत्र कम करनी पर 4.588 हेक्टेयर में क्षेत्र का कुल 80
प्रतिशत क्षेत्रफल में हो रेत उत्खनन, प्राय-बर्तनीय, तटवीर-बर्तनीय, जिला-उत्खनन (ज
न) में कुलकुल नदी में रेत उत्खनन कुल 27.518 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित
पर्यावरण स्वीकृति में हो जाने वाली बाई

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन हो जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्काशन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन्स, 2018 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2018) एवं इंफोर्सेमेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर सैंड माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. इंफोर्सेमेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर सैंड माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) की तालु 80 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. ग्राह अवयव (डिस्कोशन शर्तों) रिपोर्ट – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आसानी 1.5 वर्ष में विस्तृत ग्राह अवयव (Situation Study) करवाये, ताकि रेत की पुनर्जनन (Replenishment) समझू वाली जायें, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, तटवीर वनस्पति, जीवन एवं सृष्टि जीवों पर क्याय तथा नदी की धारों की पुनर्जाता पर रेत उत्खनन के क्याय की सभी जानकारी प्राप्त हो सके।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज कार्ड का नाम, खदान का क्षेत्रफल आदि) एवं वेतनीय शर्तें, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के बाहरी सीमा तथा सीमा साईन को कम से सीमेंट के खम्भे सहित आसपास है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान स्थित विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्वार्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल सख्या 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माइनिंग प्लान अनुसार रेत उत्खनन क्षेत्र 4.588 हेक्टेयर की कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। क्षेत्र 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उसके अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान के रेत का अधिकतम उत्खनन 27.518 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. भारतीय एन.डी.टी. के अंतर्गत दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पर्यटन द्वारा माइनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विभाग नियुक्त करना होगा।

10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित डिग बिन्दुओं पर नदी में रेत की मात्रा के मापों (Levelling) का सर्वे कर, उसके आसपास तत्काल एच.ई.आई.ए.ए. फ्लोलायन को प्रस्तुत किया जाने। पोंट-मानसून (अक्टूबर / नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी डिग बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (टोपी जैरे) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के मापों (Levelling) का सर्वे पूर्व निर्धारित डिग बिन्दुओं पर किया जाएगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरोक्त मानसून के पूर्व (सर्वे माह के अंतिम सप्ताह / जून के अंतिम सप्ताह) इसी डिग बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलिंग (Levelling) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित डिग बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलिंग (Levelling) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोंट-मानसून के आसपास अक्टूबर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं डी-मानसून के आसपास अप्रैल 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एच.ई.आई.ए.ए. फ्लोलायन को प्रस्तुत किए जाएंगे।
11. रेत की खुदाई एवं नक्की क्षणिकी द्वारा (Manually) की जाएगी। इस उपरोजन को सिरे किसी उपकरण (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। सिलर क्षेत्र में नदी तटों का प्रयोग प्रतिबंधित होगा। लीज क्षेत्र में किया रेत खुदाई नक्की (Excavation job) से लॉडिंग भाईट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रेली द्वारा किया जाएगा।
12. रेत का उत्खनन केवल सिन्धी, सीम्बित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1 मीटर ज्यादा परीक्षण जल सतह की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर टोपी में से जो कम हो, से अधिक नहीं होनी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल सतह के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर गहराई तक की रेत नदी तल (हाई रिव) के तल छोड़ा जाना आवश्यक है।
13. रेत उत्खनन नदी तटी से कम से कम 1.5 मीटर ज्यादा नदी की गहराई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, तबकि नदी तटी का क्षरण न हो। किसी भी पुलिस, सार्वजनिक, बांध, एनीकट, जल प्रदाय वास्तु एवं अन्य सार्वी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 200 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल सतह को खरब पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल लीज क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसकी आक-पार के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कम्पुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, जहां इन क्षेत्रों के जला पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
16. रेत उत्खनन एवं नक्की / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में अंधा उत्खनन कार्य करने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक के विशुद्ध निष्पत्तानुसार कार्यवाही की जाएगी।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न इमारतों तथा लॉडिंग / अनलॉडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले क्वार्टिजिटि इन्ट अलार्जिन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त जन्तु प्रजनन नियंत्रण वास्तुवाएं जैसे जल डिफेंसक अथवा अन्य उपयुक्त वास्तुवा की

जाए। ऐत उलखलन क्षेत्र में परिवर्तनीय वायु की गुणवत्ता वाला उपकरण, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, निकास, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. ऐत का परिवहन सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपयुक्त माध्यम से कबले हुए वाहन से किया जाए, ताकि ऐत वाहन से वाहन नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं वजन जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. उलखलन क्षेत्र में खनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
20. ब्रह्मविस्तार के अन्तर्गत पर वायुमय प्रकल्प द्वारा वर्ष 2023-24 में नदीतट को काला को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार कर्जुन, जामुन, बर, पीपल, पीप, कर्ज, कीचू, आम, इमली, कीचल आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 500 वन पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुनिश्चित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त आरक्षण (जिसा कस्टोडियन तट की काज का परकीय) किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त कुलरोपण प्रकल्प वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संकपी आरक्षण का काल्य वन प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परिवर्तनीय प्रशासक का रहेगा।
21. रोपित किये जाने वाले पौधों में संरक्षणकन (Shrubbery) एवं पौधों के नाम का पालिका कन्टी हूवे फोटोवाकल सहित जानकारी अधिसूचित रिपोर्ट को साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण सौकुति निरलत की जा सकेगी।
22. कुलरोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित कन्टी हूवे नून पौधों को अधिसूचित (Mortality replacement) किया जाए।
23. किये नये कुलरोपण की पुष्टी हेतु डीजीपीएम (Differential Global Positioning System) वर्ष एवं फोटोवाकल अधिसूचित रिपोर्ट में समाहित कन्टी हूवे उत्तरदायित्व पर्यावरण संरक्षण कन्डन एवं एनईआईएए, उत्तरदायित्व को प्रेषित किया जाए।
24. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रकल्प योजना को अंगीकृत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
43.6	2%	0.87	Following activities at Nearby Government Primary School, Village- Barbhauna	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Running Water Facility for toilets	0.25
			Plantation with fencing	0.15
			Total	0.90

25. सी.ई.आर. के तहत निर्दिष्ट कार्यवाही 28 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्य को कार्य पूर्ण उपरान्त संबंधित काम पंजाब से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर आर्गनाईज्ड रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आवश्यक उल्लेखित होगा। कुशलपूर्वक अंशकाल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जाएगी।
26. सी.ई.आर. एवं कुशलपूर्वक कार्य को सुनिश्चित एवं पर्यवेक्षण हेतु वि-क्षेत्रीय समिति (जोनवाइजर/प्रतिनिधि, काम पंजाब के पर्यवेक्षक/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या प्रतीमगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पर्यवेक्षक/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं कुशलपूर्वक का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित वि-क्षेत्रीय समिति से समाप्तित कराया जाए।
27. जब भी निर्देशन प्राप्त/अधिकारी निर्देशन हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निर्देशन के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आवक द्वारा कराये गये कार्य का निर्देशन भी अनिवार्य रूप से करना आगामी जिम्मेदारी होगी।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं चाहे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
29. परियोजना प्रस्तावक संबंधित सैन्ड / राज्य शासन के विभागों, नगरपाली एवं अन्य संस्थानों से रीत उत्खनन आदि करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियाँ प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर सैन्ड/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / प्रतीमगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
30. प्रतीमगढ़ गैल सन्निहित नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रीत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी किये निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
31. कार्य स्थल पर यदि कोयला अधिक कार्य कर समाप्त होते हैं तो ऐसे शक्ति को आसत की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवश्यक व्यवस्था अन्यायी संयन्त्रों के रूप में ही सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाना जा सके।
32. शक्ति के लिए स्थान स्थल पर स्वयं पर्याप्त विद्युत्सहयोग सुविधा, भंडारण टायलेंट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में गल मूत्र डिमार्जन्, अथवा काला सतही के फिल्ट, पॉलिटेक आदि का डिमार्जन् सुनिश्चित रहेगा। नदी एवं नदी जल की सफलता का ध्यान रखा जावे।
33. शक्ति का समय-समय पर आवश्यकतात इत्ये सुनिश्चित कराया जाये।
34. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना को अनुकूल शक्ति योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एच.ई.आर.ए.ए., प्रतीमगढ़ / राज्य सरकार, पर्यावरण, वन और उत्खनन सुनिश्चित संयन्त्र, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
35. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आसय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार रखने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी

Handwritten signature

0

निजी सम्पत्ति को सुरक्षित रखने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों को अधिकतम अथवा संपन्न, राज्य एवं स्थानीय समुदाय / विविधों के पालन हेतु अधिभूत करता है।

36. एम.ई.आई.ए.ए., भारतीयगण पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की कार्यवाही में परिष्कार अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों को पालन कर के पालन न करने की दृष्टि में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निरक्षण के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित करता है।
37. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने से 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना की सख्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की अंतिम आवरणक शर्तों सहित अधिकारपत्र, भारतीयगण पर्यावरण संरक्षण मण्डल में उपरोक्तन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अद्यतन बनात सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एम.ई.आई.ए.ए., भारतीयगण की वेबसाइट pannashh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
38. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अंतर्गत विधेय भारतीयगण पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीयगण पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एम. ई.आई.ए.ए., भारतीयगण एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की निगरानी की जाएगी।
39. एम.ई.आई.ए.ए., भारतीयगण, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर / क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / भारतीयगण पर्यावरण संरक्षण मण्डल के विज्ञानियों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली निगरानी हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पादे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
40. परियोजना प्रस्तावक भारतीयगण पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अधिचर्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिशोधनय अधिनियम (प्रबंधन इन्फालन एवं सीमापार संरक्षण) विनय, 2008 (जल संशोधित) तथा लोक सचिव की अधिनियम, 1987 (जल संशोधित) को अंतिम विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
41. प्रस्तावित परियोजना को करने में एम.ई.आई.ए.ए., भारतीयगण में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचयन अथवा परिवर्तन होने की दृष्टि में एम.ई.आई.ए.ए., भारतीयगण को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एम.ई.आई.ए.ए., भारतीयगण इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने अथवा निर्णय ले सके। बदलाव में कोई भी विचार अथवा चयनयन एम.ई.आई.ए.ए., भारतीयगण / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

**नैसर्गिक सुविधाधारणता आर्जिनटी स्टोन कार्टी (ओ- सीनटी सीन सिंग)
की खाना अर्थात् 2/1, कुल लीज क्षेत्र 2023 हेक्टेयर, प्लान-सुविधाधारणता,
उपरील-सोनबनग, जिला-कोविदा 1 में सहायक पत्थर (सीन खनिज) उत्खनन - 12,000
एन प्रतियोगी हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें**

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 2023 हेक्टेयर अथवा प्लॉट/समूह कायम, खनिज कायम विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (प्लॉट) में से जो कम हो) हेतु मान्य होना। इसी प्रकार खदान से सहायक पत्थर का अधिकतम उत्खनन 12,000 टन प्रतियोगी से अधिक नहीं होना। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कठोरतः पक्के पुरारे लगाना जाए।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्वार्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. पर्यावरण प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं धौंसू दूषित जल (यदि कोई हो), को उपचार की दृष्टि एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का पालन करने के पर्यावरण, वन और जलवायु परिशिष्ट, संरक्षण द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (जब उपलब्ध) के प्रावधानों को लागू रखनी।
5. राष्ट्रीय एन.डी.टी. के अंतर्गत दिनांक 28/02/2001 के अनुसार चट्टानों द्वारा सृजित ध्वंस एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित करने में जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा झील में छोड़ने में किसी भी परिस्थिति में निरस्तित नहीं किया जाए, अतः इस प्रक्रिया में अथवा सुधारों हेतु पुनःसंशोधन किया जाए। धौंसू दूषित जल को उपचार के लिए सैप्टिक टैंक एवं सोलरीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा झील में छोड़ने में किसी भी परिस्थिति में निरस्तित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं धौंसू का जल अथवा न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपरोक्त दूषित जल को पुनःस्थापित करके उपचार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिशिष्ट, संरक्षण, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा प्लॉट/समूह पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (ओ सीनटी सीन) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. यदि पट्टा धारक खान संभालन बंद करने की उपायों (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खान परिधि/सीमा के समान उपलब्ध (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, पनबी सी-राजिस्ट्रार (C-Registration) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह धारा, उपरोक्त, पनबी आदि से उपलब्ध हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान परिसरों से अनुसंधित सड़क कालोनीय प्लान एक मंड के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. नू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो) हेतु कंपनी नू-जल स्रोतों से उत्पन्न अपव्यक्त करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
9. किसी विद्युत / गैस / स्टीम स्रोतों के परिसूक्ष्म गैस उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलियन / सामान्य घनमीटर के कम सुनिश्चित किया जाए। अकार्बन, स्टीम, ट्रांसफर माइटर (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु अल्ट्रा एनवायरॉन्मेंटल सिस्टम के साथ प्रत्येक स्रोत का बेस सिस्टम स्थापित किया जाए। खनिज उत्पन्न प्रक्रियाओं को विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न अनुचित अल्ट्रा उत्सर्जन का नियंत्रण इत्यादी एवं नियंत्रित रूप से किया जाए। पेंटिंग कार्ब, पैन्ट, संरक्षण कोट, सफाई एवं अन्य अल्ट्रा उत्सर्जन सिस्टमों द्वारा कंटेनमेंट कम संरक्षण सिस्टम एवं जल प्रदूषण की व्यवस्था की जाकर इत्यादी सफाई संयंत्र / संयंत्र सुनिश्चित किया जाए। विद्युत ड्रेनिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
10. बाहरी, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के तहत डिफिनेट मानकों से अनुसरण रखा जाएगा। उत्पन्न क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परीक्षण संयंत्र, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. जीव क्षेत्र के बाहरी तरफ छोटी नई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में कुत्तारोपण किया जाए।
12. उत्पन्न प्रक्रिया के दौरान इटाई नई कच्ची मिट्टी (टीन सीईल) का उपयोग उत्पन्न हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि को पुनः पट्टा हेतु अथवा बाहरी ओवरहाईन को क्लियर (स्विचिंग/ड्रॉइंग) करने में किया जाए। कच्ची मिट्टी (टीन सीईल) को जीव क्षेत्र के बाहर प्रकृत से सम्बन्धित करने की अनुमति नहीं होगी।
13. ओवरहाईन एवं अनुपयोगी/बिना उपयोग खनिज (मिस्ट टैंक) को प्रकृत से पूर्व से विच्छेद करवा कर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सके। कम की ऊंचाई 3 मीटर तथा लंबाई 20 मीटर से अधिक न हो। ओवरहाईन कम का समय रोकने हेतु वैक्यूमिक टैंकों से कुत्तारोपण किया जाए।
14. जहाँ तक संभव हो ओवरहाईन एवं अन्य अनुपयोगी/बिना उपयोग खनिज (मिस्ट टैंक) को खनन से पर्याप्त दूरी पट्टी में प्रकृत (डिफिनेट) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का पुनः उपयोग अथवा उचित वैक्यूमिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न मिस्ट जीव क्षेत्र के आस-पास के सड़की जल स्रोतों में ड्रॉइंग न हो। इसी रोकने हेतु स्टीम गैस तथा अन्य कोट में डिफिनेट वॉल / पारोप्येड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।
16. खनिज का परिवहन मेकनेकली कन्ट्रॉल वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कम रफे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं करा जाये सुनिश्चित किया जाए।
17. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना से अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
38	2%	0.76	Following activities at Village- Mukhtiyarpura	
			Plantation	1.88
			Total	1.88

18. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 महीने में अधिभार कम से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित काम संशोधन से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अधिवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करती हुई प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सम्पन्नता सुनिश्चित करना अपना उत्तरदायित्व होगा। कुलरोपण सम्पन्न होने पर पर्यावरण स्वीकृति मिलान की जायेगी।
19. सी.ई.आर. के तहत कुलरोपण (गैस, आग, धामून आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 500 नग चौकी के लिए प्रति 25,000 रुपये, चौराहे के लिए प्रति 20,000 रुपये, गांव एवं सिंचाई के लिए प्रति 25,000 रुपये तथा रेल-खार के लिए प्रति 10,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल प्रति 75,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल प्रति 88,000 रुपये हेतु घटकवार काम का विवरण प्रस्तुत किया गया है। पर्यावरण प्रभावक द्वारा काम संशोधन सुनिश्चितकरण के सम्बन्धि उपरोक्त पर्यावरण स्थान (उत्तर क्रमांक 174/11, बीकानेर 04 हेक्टर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
20. सी.ई.आर. एवं कुलरोपण कार्य के निरीक्षण एवं परीक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (मैजस्ट्रेट/प्रतिनिधि, काम संशोधन के पर्यवेक्षक/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण समिति के पर्यवेक्षक/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं कुलरोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सम्बन्धित कराया जाए।
21. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/खोज/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत अपनी द्वारा किये गये कार्य का निरीक्षण भी अधिभार कम से कराया जानसी विम्बेदायी होगी।
22. परखनन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (घरों तथा 1.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र) डील रोड, जौनखर्देन इलाके आदि में स्थानीय प्रशासन के 1,000 कुर्छों का समान कुलरोपण पूर्ण किया जाए। इतित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रयुक्त निवेशन बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
23. प्रत्यक्षता के अन्तर्गत ख खदान खोजन द्वारा वर्ष 2023-24 में सीधे क्षेत्र के अनुसार 500 मीटर, 1000 मीटर, 1500 मीटर, 2000 मीटर, 2500 मीटर, 3000 मीटर आदि अन्य स्थानीय प्रशासनों के 400 नग चौकी का योग (कुल 1,400 नग चौकी) खदान के कुल क्षेत्र में किया जाए। योग को सुनिश्चित रखने के लिये उपरोक्त एवं पर्यावरण प्रभावक द्वारा निर्धारित तार के सह अथवा ही कार्य का उपरोक्त किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित काम संशोधन द्वारा विन्दीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार कुलरोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले चौकी का ही योग किया जाए। उपरोक्त

कृषादेयता प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। कृषादेयता नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अन्ततः निरस्त की जा सकती है।

24. लेमिटा कियो जाने वाले पीछी में संयोजक (Musterbau) एवं पीछी के नाम का उल्लेख करने वाले कृषि-संयोजक सहित आगवारी प्रारण प्रविष्टि के साथ प्रथम करें।
25. कृषिदेयता क्षेत्र क्षेत्र के अंदर एवं बाहर प्रथम कृषादेयता कियो जाने एवं लेमिटा पीछी का संयोजक वेत (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कृषादेयता का गठ-रखत जानामी 8 वर्ष तक सुनिश्चित करने वाले हुए हुए पीछी को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
26. कियो नये कृषादेयता की सुली हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं सटीकता अर्थव्यवस्था निरीक्षण में समाहित करने वाले प्रतीकगत संचालन संकेत सम्पन्न एवं एन.ई.आई.ए.ए. प्रतीकगत को प्रेषित किया जाए।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. को तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं करने वाले पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
28. परियोजना में जिन-जिन स्थलों में पशुधरित अट्ट प्रस्तावित होगा, उन स्थलों पर नियमित जल विश्लेषण की व्यवस्था किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निरस्ता कर्मचारी नियम (Minerals Correlation Rule) को तहत कार्यवाही मिलने द्वारा सौकरजन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल, पीछर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निचाली को संरक्षण एवं संरक्षण किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण की निरीक्षण हेतु आवश्यक उपकरण किया जाए। ध्वनि का स्तर आवाहन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में कार्य करने वाले ध्वनि को इधर-उधर/नए अर्थात् प्रदान किए जाए एवं समय-समय पर विकिरणधर्मित ध्वनि एवं आवश्यकता अनुसार उपकरण उपकरण भी कराया जाए।
32. क्षेत्र क्षेत्र के अंदर स्थिति/ इलाक़ा अन्तः पर वेत क्षेत्र (एक महीना का स्टील संश्लेषित सहित) लगाया जाए।
33. पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (सलाई चिन्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सख्त व्यवस्था किया जाए। वेत डिमिंग अथवा वायु प्रदूषण निरीक्षण व्यवस्था स्थापित डिमिंग किया जाए, जिससे अट्ट का प्रस्तावित निरीक्षण में रहे।
34. आवाहन प्रक्रिया धू-जल स्तर के अंतर असाधारण प्रमाण में की जाएगी एवं आवाहन प्रक्रिया धू-जल स्तर के बीच किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
35. आवाहन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि कभी भी कभी कभी एवं ध्वनि-अनुसंधान पर सुधारा न हो। क्षेत्र में कार्य करने वाले प्राकृतिक ध्वनि-अनुसंधान, कर्मचारी का अनुचित संरक्षण अथवा प्रेषित होगा।
36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नीचे ध्वनि का आवाहन असाधारण नीचे ध्वनि नियम, 2016 के अन्तर्गत, अनुसंधित आवाहन योजना एवं पर्यावरणीय प्रस्ताव योजना को अनुसंधान किया जाए। सर्वे एका 1982 के अन्तर्गत का प्रस्ताव किया जाए।
37. कार्य स्थल पर यदि ध्वनि अधिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे ध्वनि को अथवा एवं सुधारा हेतु प्रेषित अथवा परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी।



आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए वे भी सज्जित हैं, जिसे परिवर्तन पूरी होने के पश्चात् इच्छा जा सके।

38. श्रमिकों को दिए गएन काल पर लक्ष्य पर्यन्त पिकिसरकीय सुविधा, नौकरान टायरोंर आदि की आवश्यक परिवर्तनर प्रस्तावक द्वारा की जाए।
39. श्रमिकों का समय-समय पर आसुतेरानरर इरुव ररिीररर बनाना आवश्यक है।
40. परररान की तकनीक, कार्य शैली एवं अनुसंधित उरररान ररररर के अनुसार वरिीक ररररर, रिररर परररान, ररररर की शक्ति एवं अररररर ररररररर है, न रिररर की प्रस्ताव का परिवर्तन एररईआरईएए, प्ररररररर / रररररर, वन और उरररररु ररररररन नररररर, शक्ति ररररर की पूर्ण अनुसरर के रिरर नहीं रिरर जाए।
41. इस परररररकीय ररररररि की अररर बनने का आररर रिररर अररररररर अररर अररर ररररररर पर अरररररर रररररर का नहीं है एवं न ही यह परररररकीय ररररररि रिररर रिररर ररररररर की नुकसरन रररररर अररर अररररररर अररररररर के अररररररर अररर रररर, रररर एवं ररररकीय रररररर / रिरररर के उरररररर रररु अरररररर रररर है।
42. एररईआरईएए, प्रररररररर ररररररर रररररर की दृररि री, रररररररर की ररररररर री ररररररर अररर रिररररररर रररर के रररररररर ररर री ररररर न ररररर की रररर री रररर री रररर री ररररररर/रिररर रररर अररर नई ररर रीरररने अरररर उरररररर / रिररररर के नानररर की और रररर बनने का अरररररर सुररररर ररररर है।
43. ररररररररर प्रस्तावक नररररर 3 ररररकीय ररररररर रररर री, जो रि रररररररर शैली की अररर-रररर आरररर ररर री प्रस्ताररि री, ररररररकीय ररररररि द्वारा होने के 7 रिररर के भीतर इस अरररर की सुकरनर प्रस्तारि करेगा रि रररररररर की रररररररकीय ररररररि प्रस्ता री नहीं है एवं ररररररकीय ररररररि ररर की अररररर रररररररर, प्ररररररररर ररररररर ररररररर नररररर री अररररररर रररु उरररररर है। रररर री इसका अररररररर एरर ईआरईएए, प्रररररररर की रररररररर www.mca.gov.in पर री रिररर जा सरररर है।
44. ररररररकीय ररररररि री री नई ररररर के ररररर रररु की नई ररररररररर की अरर वररररि रिरररर प्ररररररररर ररररररर रररररर, अररर नगर, शैलीय ररररररर प्रररररररर ररररररर रररररर, अररररररर, एररईआरईएए, प्रररररररर एवं एकीकृत शैलीय ररररररर, ररररररर, वन एवं उररररररु रररररररन नररररर, शक्ति ररररर, ररररररर की ररररर रिररर रिररर जाए।
45. एकीकृत शैलीय ररररररर, ररररररर, वन एवं उररररररु रररररररन नररररर, शक्ति ररररर, ररररररर द्वारा ररररररकीय ररररररि री प्रस्ता रररर के ररररर की नरररररररि की जाएगी। इस रररु ररररररररर प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्ता रिररु ररु रररररररररर एवं अररररररर रर ररर ररर एकीकृत शैलीय ररररररर, ररररररर, वन एवं उररररररु रररररररन नररररर, शक्ति ररररर, ररररररर की ररररर रिररर जाए।
46. एररईआरईएए, प्रररररररर, ररररररर, वन और उररररररु रररररररन नररररर, शक्ति ररररर/ एकीकृत शैलीय ररररररर, ररररररर, वन एवं उररररररु रररररररन नररररर, शक्ति ररररर, रररररर / शैलीय अररररर रिररररर रीरर/प्रररररररर ररररररर ररररररर के रररररररर/अररररररररररर की ररररर के अनुसररर के ररररर री री अररर रररर नररररररि रररु रररु ररररररर ररररर रिररर जाए। ररररररररर प्रस्तावक द्वारा रिररररररर ररररर का अनुसररर बनना नहीं ररने ररने पर ररररररकीय ररररररि रिरररर की जा सरररगी।

47. परिशिष्टका प्रस्तावक प्रतीकगट्ट पर्यावरण संरक्षण मन्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निर्वहन) अधिनियम, 1974 तथा (प्रदूषण नियंत्रण तथा निर्वहन) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये विधायी, परिशिष्टकृत और अन्य अधिनियम (संघ एवं राज्यों/संघान्त) नियम, 2016 तथा लोक सभियत संघ अधिनियम, 1987 (यथा संबंधित) की अंतिम विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
48. प्रस्तावित परिशिष्टका के बारे में एन.ई.आई.ए.ए., प्रतीकगट्ट में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की दशा में एन.ई.आई.ए.ए., प्रतीकगट्ट को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एन.ई.आई.ए.ए., प्रतीकगट्ट इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तों निर्दिष्ट करने का कार्य निर्णय ले सके। प्रमाण में कोई भी विवरण अथवा पत्र-व्यवहार एन.ई.आई.ए.ए., प्रतीकगट्ट / पर्यावरण, वन और जलसंधु पर्यावरण संरक्षण, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
49. प्रतीकगट्ट पर्यावरण संरक्षण मन्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रती की लम्बे लेगीय कार्यालय, जिला-कार्यालय एवं प्रयोग संघ एवं कलेक्टर, / प्रतीकगट्ट कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
50. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील मेसजल वीन ट्रीक्यूलर के समस्त मेसजल वीन ट्रीक्यूलर एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

कदम सहित, एन.ई.ए.ए.


कदम सहित, एन.ई.ए.ए.

**ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR EXPANSION OF
INDUCTION FURNACE OF CAPACITY- 35,770 TONNES / YEAR (2X 7 TONNE)
TO 49,990 TONNES / YEAR (2X 7 TONNE + 1 X 8 TONNE) & HOT CHARGING
ROLLING MILL OF CAPACITY- 32,990 TONNES / YEAR TO 49,990 TONNES /
YEAR OF M/S ARORA CHHATTISGAH ENERGY AND STEEL PRIVATE
LIMITED**

I. Statutory Compliance:

- i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).
- ii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of draw of ground water / from the competent authority concerned in case of draw of surface water required for the project.
- iii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.
- iv. Project Proponent shall not install any re-heating furnace based rolling mill, only Hot-Charging rolling mill through induction furnace shall be installed. Induction furnace shall be operated electrically only.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

- i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time; and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through lab recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
- ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
- iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_2 in reference to SO_2 and NO_2 emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 100° each), covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.
- iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with Fume Extraction System with Bag filters (PTFE) of adequate capacity and high efficiency shall be installed in induction furnace(s) with minimum 35 meter stack height to ensure that particulate matter emission less than 30 mg/m^3 all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. Proper ventilation shall also be provided

in induction furnace plant. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit: -

Particulate Matter in Induction Furnace	30 mg/m ³ (Thirty Milligram per Normal Cubic Meter)
--	---

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

- v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring, and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.
- vi. Sufficient number of mobile or stationary vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.
- vii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers/vehicles for transportation of raw materials.
- viii. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.
- ix. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTV) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.
- x. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

- i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of effluent (neutralization system) if required. The waste water generated during the process shall be reused in cooling purpose. MBR based sewage treatment arrangement of capacity 50 KLD shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Treated water shall be utilized in plantation and dust suppression. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.
- ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

- iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.
- iv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.
- v. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.
- vi. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.
- vii. The project proponent shall use the maximum surface water. Project proponent shall not use ground water without prior permission from the Central Ground Water Authority (CGWA).

IV. Noise Monitoring and Prevention

- i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as a part of six-monthly compliance report.
- ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

- i. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.
- ii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

- i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Furnace slag shall be used as sub-base material in road construction/ will be given to brick manufacturing units. End cutting shall be used recycled back as raw material in own induction Furnaces. Mill scales and filter dust shall be reused in own induction Furnaces. Used oil shall be given to authorized recyclers / agencies.
- ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.
- iii. Waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed off as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.
- iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.
- v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.
- vi. The project proponent shall install filter press for dry disposal of sludge received from ETP (if any) and shall use the waste as manure in plantation.

- v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.
- vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

B. Additional Conditions

- i. If any waste comes under Hazardous category, project proponent shall obtain authorization of Hazardous Waste disposal as per the Hazardous & Other Wastes (Management And Transboundary Movement) Rules, 2016 as amended from time to time.
- ii. Project proponent shall not disturb the livelihood of habitants, depends on forest based products.
- iii. Project proponent shall form a tripartite committee (Representative of Industry, Representative of District administration/CECA and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc.
- iv. This EC shall be granted subject to the conditions that the emission level shall not exceed the prescribed limit notified by Central Pollution Control Board failing which this EC shall deemed to be cancelled.
- v. No additional land shall be acquired for this project.
- vi. Local persons shall be given necessary training and employment during development and operation of the plant. The project proponent shall ensure skill development of local people.
- vii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.
- viii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
- ix. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.
- x. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely: PM₁₀, SO₂, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or other sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.
- xi. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.
- xii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as

amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

- xiii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.
- xiv. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.
- xv. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.
- xvi. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and strict action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- xvii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory or not fulfilled.
- xviii. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.
- xix. The Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.
- xx. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.
- xxi. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 18 of the National Green Tribunal Act, 2010.
- xxii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC

Chairman, SEAC

पैदाई संशोधन किंग जर्न साईन (जी- सी पीरिड अद्यतन)

की संख्या क्रमांक 40, 41/2, 41/4, 43/1/क, 43/1/ख, 43/2 एवं 44/2, राम-संशोधन, राहसील-प्रायतलांग, जिला-जयपुर कुल लीज क्षेत्र 2.325 हेक्टेयर, मिट्टी अद्यतन (बीम खनिज) क्रमांक - 750 फनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कड़ाई से पालन करवा सुनिश्चित किया जाए।

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी ब्लॉक में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 2.325 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकांश मिट्टी उत्खनन (बीम खनिज) क्रमांक-750 फनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करवाए पहले मुद्रा लेनाया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की शिफ्ट भागत सतहगत से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, संशोधन द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (एम्ब संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, संशोधन द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/08/2013 के अनुसार किसी निहित स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की सीमा सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, संशोधन द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/08/2013 एवं जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्दिष्ट पाईक-साईन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
5. उत्खनन की अधिकांश गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया न्यू-जल सार के तहत अंतर्गत प्रयोग में ली जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया न्यू-जल सार के नीचे किसी भी परिसिद्धि में नहीं किया जाए।
6. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), को उपचार की प्रक्रिया एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिसिद्धि में निरक्षरित नहीं किया जाए, अतः इसे प्रक्रिया में अथवा पुनरापेक्षा हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल को उपचार के निचे सीपिक टैंक एवं सोनीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिसिद्धि में निरक्षरित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं घरेलू दूषित जल को उपचार में न मिलने देने हेतु की व्यवस्था की जाए। उपर्युक्त दूषित जल को पुनःउपयोग भागत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, संशोधन द्वारा अधिसूचित मानक अथवा उत्तीर्णगई पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जी पी सीपीर एंड) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. न्यू-जल को उपयोग हेतु केंद्रीय न्यू-जल बोर्ड से उत्खनन जारी करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)
8. खनिज उत्खनन की विभिन्न स्तरीय से उत्पन्न स्फुरिटीय बसट उत्खनन का निरक्षण उपाधी एवं निरक्षरित कर के किया जाए। पशुम नार्म, रीम, संशोधन क्षेत्र, मरई एवं अन्य बसट उत्खनन निम्नूरी पर जल विद्यमान की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संभालन /संभाल सुनिश्चित किया जाए।

8. पहली एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1987 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुसार रखा जाएगा। उत्पन्न क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता वास्तु संरक्षण अधिनियम, इन और जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होने चाहिए।
9. जैस अर्थात् के रूप में उत्पन्न ईट के दुकानों आदि की सु-सजा एवं सड़क के संरक्षण हेतु उपयोग किया जाए।
10. प्लाई ऐंड ओ ब्रह्म से बचाने के लिए समय-समय पर पानी का छिड़काव किया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाने की प्लाई ऐंड ब्रह्म उत्पन्न आस-पास के क्षेत्रों में फैलकर पर्यावरण को प्रदूषित न करे, जिससे कि आस-पास के रहवासी पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
11. लीज क्षेत्र के भीतर प्लाई ऐंड ओ निर्दिष्ट स्थान पर कचरे क्षेत्र के भीतर रखा जाए।
12. उत्पन्न के दौरान हटाई गई कचरे मिट्टी (टीच सीईल) का उपयोग ईट निर्माण में उपयोग नहीं होने पर उत्पन्न हेतु उपयोग में नहीं करने वाली भूमि को पुनः उद्यान हेतु अथवा बहने ओवरसीडिंग को नियंत्रित (रेगुलेशन) करने में किया जाए। जहां पर कचरे मिट्टी (टीच सीईल) को उत्पन्न प्रक्रिया के साथ-साथ (सीनक्रेटिंग) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
13. ओवरसीडिंग एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित प्लाई आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सके एवं उत्पन्न से पर्याप्त दूरी गड़दों में पुनःसजा (रिज रिजिलिंग) हेतु भूमि का पुनः उपयोग अथवा उचित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित कचरे की लंबाई 60 मीटर तथा सतह 45 किमी से अधिक न हो। ओवरसीडिंग अन्य का उत्पन्न रोकने हेतु वैकल्पिक तरीके से सुसज्जित किया जाए।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्पन्न प्रक्रिया से उत्पन्न मिट्टी लीज क्षेत्र के आस-पास के राहों पर पर्याप्त में सुरक्षित न हो। इसे रोकने हेतु साईन बोर्ड, अन्य बोर्ड, ईट भंडार क्षेत्र से निर्दिष्ट दूरी / पारलैन्ग ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
15. मिट्टी, प्लाई ऐंड ओ एवं ईट का परिवहन तालमेलित अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से इसके दूरी बचाने में किया जाए ताकि मिट्टी अथवा ईट बचाने से बचने नहीं गिरे। उत्पन्न का परिवहन कर यह बहाली को हमला से अधिक नहीं भर जाना सुनिश्चित किया जाए।
16. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना से अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
8.84	2%	0.1768	Following activities	at

			Government Primary School, Village- (Chandigarh)	Deewapara
			Installation of Pipeline, Tap, sanitary ware drain line Sinks & Others	0.30
			Donation of Environment Conservation Related Books with Steel Erase	0.10
			Total	0.30

18. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 महीने में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. की उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों को कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर कार्यवाही रिपोर्ट में सम्पन्नित करने हूये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना अग्रमूलक उत्तरदायित्व होगा। कुशलतापूर्वक कार्यवाही होने पर पर्यावरण स्वीकृति निस्सत की जायेगी।
19. सी.ई.आर. कार्य एवं 1 मीटर की चौका पट्टी में कुशलतापूर्वक कार्य को संपन्नित एवं पर्यवेक्षण हेतु वि-खीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पर्यवेक्षक/प्रतिनिधि एवं शिक्षा प्रशासन या उपरीक्षण पर्यवेक्षण संस्थान के पर्यवेक्षक/प्रतिनिधि) सहित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं 1 मीटर की चौका पट्टी में कुशलतापूर्वक का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त सहित वि-खीय समिति से सम्पन्नित कराया जाए।
20. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु आते हों, तब उन्हें खदान/खदान/पट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत कार्य द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना अग्रमूलक जिम्मेदारी होगी।
21. पर्यवेक्षण प्रस्तावक द्वारा पर्यवेक्षण हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (कार्य क्षेत्र 01 मीटर चौकी पट्टा, डील रोड, औद्योगिक जमा आदि में स्थानीय प्रशासिक को 450 रुपाई का खर्च कुशलतापूर्वक किया जाए। इति पट्टी का निरीक्षण खीय समिति नियंत्रण बोर्ड की कार्यवाहीका के अनुसार किया जाए।
22. इन्फ्रिक्टा के आधार पर खदान प्रयोग द्वारा वर्ष 2023-24 में कम से कम 450 रुपाई खीय क्षेत्र के अनुसार बंद, पीपल, नीप, करंड, चीपू, आम, इमली, जर्बून, नीस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण 3 पकिटाई में खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण की सुनिश्चित रखने के लिये उपरोक्त एवं पर्यवेक्षण प्रस्तावक (जिस काटेदार दार के साथ अथवा ही गार्ड का उपयोग) किया जाए। साथ उपरोक्त नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा खीय क्षेत्र में उपरोक्तानुसार कुशलतापूर्वक किया जाए। 3 फीट से 6 फीट लंबाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त कुशलतापूर्वक प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। कुशलतापूर्वक नहीं करने पर जारी पर्यवेक्षण स्वीकृति निस्सत की जा सकती है।
23. संपन्नित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Marking) एवं पौधों के नाम का पर्यवेक्षण करने हूये फोटोप्रस्ताव सहित जानकारी अर्थवाचित रिपोर्ट के साथ जमा करे।

37. पार्षदानीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ह वार्षिक रिपोर्टें जलसीसगढ़ पार्षदानीय संरक्षण समझौते, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यलय जलसीसगढ़ पार्षदानीय संरक्षण समझौते, रायपुर, एम.ई.आई.ए.ए., जलसीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यलय पार्षदानीय, वन एवं जलवायु परिवर्तन संरक्षण, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
38. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यलय पार्षदानीय, वन एवं जलवायु परिवर्तन संरक्षण, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पार्षदानीय स्वीकृति में प्रस्तावित शर्तों के पालन की परिधि की जाएगी। इस हेतु परिवोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण रीति एकीकृत क्षेत्रीय कार्यलय पार्षदानीय, वन एवं जलवायु परिवर्तन संरक्षण, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
39. एम.ई.आई.ए.ए., जलसीसगढ़, पार्षदानीय, वन और जलवायु परिवर्तन संरक्षण, भारत सरकार, / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यलय, पार्षदानीय, वन एवं जलवायु परिवर्तन संरक्षण, भारत सरकार, रायपुर / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, / जलसीसगढ़ पार्षदानीय संरक्षण समझौते के नियमित/अनियमित को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली सीमित/सीमित हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पार्षदानीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
40. परिवोजना प्रस्तावक जलसीसगढ़ पार्षदानीय संरक्षण समझौते एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निर्वहन) अधिनियम, 1984, वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निर्वहन) अधिनियम, 1986, पार्षदानीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बंधने वाले नियमों, परिशुद्धनय और अन्य अधिनियम (जिसमें एवं सीमागत संरक्षण) नियम, 2016 तथा लोक सचिव सेवा अधिनियम, 1986 (तथा संबंधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
41. प्रस्तावित परिवोजना के बारे में एम.ई.आई.ए.ए., जलसीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की दशा में एम.ई.आई.ए.ए., जलसीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एम.ई.आई.ए.ए., जलसीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने कायत निर्णय ले सके। प्रदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्मूलन एम.ई.आई.ए.ए., जलसीसगढ़ / पार्षदानीय, वन एवं जलवायु परिवर्तन संरक्षण, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
42. जलसीसगढ़ पार्षदानीय संरक्षण समझौते पार्षदानीय स्वीकृति की शर्तों को उनके क्षेत्रीय कार्यलय, जिला-कार्यालय एवं जलसीसगढ़ एवं कलेक्टर/सहायक जलसीसगढ़ कार्यलय में दिवस की अवधि के सिधे प्रदर्शित करेगा।
43. पार्षदानीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से समझौते, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती है।

सदस्य सचिव, एम.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एम.ई.ए.सी.